

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

लोकसभा..... के विदान सभा
को प्रस्तुत की गई
Presented to the Legislature

on 27 FEB 2017

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 6



विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
सक्षिप्त अवलोकन		vii-xi
अध्याय - 1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	1.1	1
उत्तरदायित्व की रूपरेखा	1.2 से 1.4	1-2
हरियाणा सरकार की साझेदारी	1.5	2
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.6 से 1.7	3-4
वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न	1.8	4-5
वित्त लेखाओं का मिलान	1.9	5
लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया	1.10 से 1.12	6-7
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	1.13	7
लेखाओं के अंतिमकरण न करने के प्रभाव	1.14	7
सा.क्षे.उ. के अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार उनका निष्पादन	1.15 से 1.18	7-9
अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द करना	1.19 से 1.20	10
लेखा टिप्पणियां	1.21 से 1.22	10-12
लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.23	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.24 से 1.26	12-14
सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.27	14
इस प्रतिवेदन का कवरेज	1.28	14
अध्याय - 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राजस्व की टैरिफ, बिलिंग और संग्रहण	2	15-36
अध्याय - 3 लेन - देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
निविदा आमंत्रण नोटिस की शर्तों को लागू करने में विफलता	3.1	37-38
बैंक गारंटी को लागू करने में विफलता	3.2	38-39
पुनःनिविदा के कारण अतिरिक्त व्यय	3.3	40
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
केबल की अधिक खरीद	3.4	41
त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन	3.5	42
निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण न करने के कारण हानि	3.6	43-44

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
ऊर्जा बिलों के बकाया देयों की अवसूली	3.7	44-45
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
पुनर्गठित - त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए.पी.डी.आर.पी.)	3.8	45-50
डिस्कोम्ज में ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशालाओं का कार्यचालन	3.9	50-55
हरियाणा भास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड		
मैट्रो लिंक का कार्यान्वयन तथा परिचालन	3.10	55-60
सांविधिक निगम		
हरियाणा वित्तीय निगम		
वसूली निष्पादन	3.11	60-65
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड		
कंपनी का कार्यचालन	3.12	65-72
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
दुलाई प्रभारों की अस्वीकृति	3.13	72-73
हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
कर्मचारियों के अंशदान का अधिक भुगतान	3.14	73-75

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	परिशिष्ट 1	1.11	77-78
2	परिशिष्ट 2	1.15	79-82
3	परिशिष्ट 3	2.6.1.5 ii	83
4	परिशिष्ट 4	2.7.9	84
5	परिशिष्ट 5	2.8.1	85
6	परिशिष्ट 6	2.8.3	86
7	परिशिष्ट 7	3.11.3.1	87-89
8	परिशिष्ट 8	3.12.2	90
संकेताक्षरों की शब्दावली			90-93



यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सार्विधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, समय - समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा की जाती है। नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सार्विधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं तथा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक सार्विधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्यधीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 - के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2015 - 16 के दौरान नमूना - लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2015 - 16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा - मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि तथा वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने से संबंधित ₹ 3,755.23 करोड़ के वित्तीय इंप्लीकेशनस से आवेष्टित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'राजस्व के टैरिफ, बिलिंग तथा संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 23 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (21 कंपनियां तथा दो साविधिक निगम) और छ: अकार्यरत कंपनियां थीं जिनमें 29,246 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2016 को 29 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूँजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 41,068.02 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.93 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.07 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूँजीगत का 25.22 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 74.78 प्रतिशत शामिल था। विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का 91.22 प्रतिशत तक परिगणित किया। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान 15 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/प्रदानों के लिए ₹ 8,383.81 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 तथा 1.8)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से, 17 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2016 तक अपने 21 लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 14 लेखाओं ने ₹ 306.69 करोड़ का लाभ दर्शाया तथा सात लेखाओं ने ₹ 2,125.53 करोड़ की हानि दर्शाई। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर-पूँजी पर कम से कम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी है। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ₹ 5.64 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.16)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

30 सितंबर 2016 को 22 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 39 लेखे बकाया थे। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं तथा इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.10 तथा 1.11)

2 सरकारी कंपनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ‘राजस्व की टैरिफ, बिलिंग और संग्रहण’ की निष्पादन लेखापरीक्षा ने सेवा प्रभारों एवं किराए की कम वसूली, परिहार्य ब्याज हानि तथा विद्युत की अधिक आपूर्ति प्रकट की जिसने कंपनी की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

बिजली कनैक्शन देते समय की गई लागत वसूल करने के लिए कंपनी उपभोक्ताओं से सेवा कनैक्शन प्रभार वसूल करती है। जनवरी 2001 के बाद दरों में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.6.1.1)

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने ₹ 254.42 करोड़ के संचित आर.ए.जे में से ₹ 114.49 करोड़ की विनियामक परिसंपत्तियों (आर.ए.जे) की वसूली, 2013-14 के लिए टैरिफ के एक हिस्से के रूप में अनुमत कर दी। 2014-17 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ (एम.वार्फ.टी.) गठन के अंतर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (ए.आर.आर.) फाईल करते समय कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के साथ शेष ₹ 139.93 करोड़ के आर.ए.जे की वसूली का मामला नहीं उठाया था।

(अनुच्छेद 2.6.1.3)

कंपनी ने कृषि पंपसेट उपभोक्ताओं को 2011-15 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 15,233.50 एम.यू.ज के विरुद्ध 15,952.82 एम.यू.ज की विद्युत आपूर्ति की परिणामस्वरूप बिजली के 719.32 एम.यू.ज की अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 425.97 करोड़ की सबसिडी की कम प्राप्ति हुई।

(अनुच्छेद 2.6.1.5(i))

ईंधन सरचार्ज समायोजनों के दावे फाईल करने में देरी के कारण कंपनी को ₹ 137.86 करोड़ का संधारण लागत वहन करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.6.1.7)

अग्रिम खपत जमा के असंशोधन के कारण कंपनी को ₹ 30.60 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.7.6)

मीटर किराए के कम प्रभारण, उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी करने में देरी और बिलिंग की अवधि का अनुपालन न करने के कारण ₹ 12.73 करोड़ की हानि हुई। लोड के अनधिकृत प्रयोग में वृद्धि और खराब/क्षतिग्रस्त मीटरों और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टैटिक मीटरों के साथ बदलने में देरी के कारण राजस्व की हानि संभवतः अधिक थी।

(अनुच्छेद 2.7.8)

एच.ई.आर.सी. के निर्धारित मानकों के अनुसार संचारण और वितरण हानियों को रोकने में इसकी विफलता के कारण कंपनी को ₹ 1,729.75 करोड़ की हानि भी उठानी पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.7.9)

3 लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों तथा साविधिक निगमों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशन्स थी। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

- अनुबंध को हस्ताक्षर करने से पहले क्रय आदेशों को जारी करने के साथ-साथ बिड-सिक्योरिटी की वैधता से संबंधित एन.आई.टी. की शर्तों को लागू करने में समयोचित कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप निम्नतम बोलीकर्ता घोषित होने के बाद फर्म अनुबंध से पीछे हट गई। कंपनी द्वारा अभी ₹ 48 लाख की बिड-सिक्योरिटी वसूल की जानी है।

(अनुच्छेद 3.1)

- ठेकेदार की चूक पर बैंक गारंटी को पूरी तरह भुनाने की कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.36 लाख की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

- कंपनी ने बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन किया तथा कार्य की पुनःनिविदा के कारण उसे ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.3)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने वास्तविक खपत पर विचार किए बिना ही केबल की खरीद की जिसके कारण ₹ 7.70 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई तथा उन पर ₹ 1.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

- कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित किए बिना भुगतान की निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

- कंपनी द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाए न जाने के कारण ₹ 1.17 करोड़ के अतिरिक्त उधार ली गई निधियों पर ब्याज के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि उठाई गई। ₹ 1.95 करोड़ मूल्य के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर लंबी अवधियों के लिए अप्रयुक्त रहे।

(अनुच्छेद 3.6)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.इ.आर.सी. विनियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.14 लाख की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.7)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- आर-ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन ने देरी के साथ-साथ निष्फल व्यय भी वहन किया। शहरों को गो-लाईव घोषित कर दिया गया यद्यपि उन्होंने 'गो-लाईव' घोषित किए जाने के लिए मापदंड को पूरा नहीं किया। सलाहकारों पर किया गया ₹ 6.89 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रयुक्त रही। संशोधित टैरिफ शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 299.96 करोड़ की वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.8)

- ट्रांसफार्मर भरम्मत कार्यशालाएं कार्यकुशलता में निम्न-स्तर की थी जिसके कारण बिना भरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मरों का संचय हुआ जिसने वितरण नेटवर्कस के रख-रखाव को प्रभावित किया। क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर्ज में भरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मर्ज की प्रतिशतता, 2015-16 तक, तीन वर्षों की अवधि के दौरान कम होकर यू.एच.बी.वी.एन.एल. में 57 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में 70 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक रह गई। यह भरम्मत के लिए निविदा के अंतिमकरण में देरी तथा फर्मों को अपेक्षित कच्चा माल तथा स्थान प्रदान करने में कंपनियों की विफलता के कारण था।

(अनुच्छेद 3.9)

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड

- हुडा ने परियोजना की लागत तथा इसकी संभावित देयताओं की सीमा पर पूर्ण नजर रखे बिना ही, रियायत ग्राही की चूक तथा अनुबंध की समाप्ति के समय रियायत ग्राही की देयताओं के 80 प्रतिशत को अपनाते हुए एक रियायत अनुबंध किया। हुडा तथा इसकी उत्तराधिकारी एच.एम.आरटी.सी. रियायत अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप रियायत ग्राही द्वारा ₹ 11.84 करोड़ राशि के अधिक यात्रा किराया के प्रभारण तथा कनैकिटविटी चार्जिंज के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.10)

हरियाणा वित्तीय निगम

- निगम ने 'बन टाइम सैटलमेंट स्कीम' के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना के कारण 15 लेखाओं में ₹ 10.43 करोड़ की हानि उठाई। निगम, प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा प्रतिभूति के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण ₹ 38.29 करोड़ के लंबित देयों को वसूल नहीं कर सका और इस राशि को बटटे खाते में डालना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.11)

हरियाणा बन विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी न तो इसके द्वारा नियत लाभ लक्ष्य प्राप्त कर सकी न ही काटी गई लकड़ी और बन उत्पादन से अपेक्षित लाभ सुनिश्चित कर सकी। गोल लकड़ी की वसूली के लिए नियत न्यूनतम 50 प्रतिशत के मानदंड की तुलना में कम वसूली और अनुपयुक्त भूमि पर पौधारोपण परियोजना के संबंध में दोषपूर्ण योजना के कारण कंपनी ने ₹ 3.27 करोड़ की हानि भी उठाई।

(अनुच्छेद 3.12)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड


- भारतीय खाद्य निगम को प्रत्यक्ष रूप से गेहूं की आपूर्ति के अनुदेशों की अनुपालना करने की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2.29 करोड़ के ढुलाई प्रभार वहन करने पड़े।

(अनुच्छेद 3.13)



अध्याय १

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
की कार्यप्रणाली



अध्याय 1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) की स्थापना की जाती है। 31 मार्च 2016 को 29 सा.क्षे.उ. थे। इनमें से एक निगम¹ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) में सूचीबद्ध था। वर्ष 2015-16 के दौरान कोई सा.क्षे.उ. निगमित नहीं किया गया था तथा एक सा.क्षे.उ.² बंद किया गया था। दो सा.क्षे.उ.³ ने अपने परिचालन बंद कर दिए तथा अकार्यरत बन गए। 31 मार्च 2016 को राज्य सा.क्षे.उ. के विवरण नीचे तालिका 1.1 में दिए गए हैं:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2016 को सा.क्षे.उ. की कुल संख्या

सा.क्षे.उ. की श्रेणी	कार्यरत सा.क्षे.उ.	अकार्यरत सा.क्षे.उ. ⁴	कुल
सरकारी कंपनियां	21	6	27
साविधिक निगम	2	शून्य	2
कुल	23	6	29

30 सितंबर 2016 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 34,109.41 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2015-16 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6.92 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितंबर 2016 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने अंततम अतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1,770.50 करोड़ की कुल हानि उठाई। मार्च 2016 की समाप्ति पर उनके पास 29,246 कर्मचारी थे।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

1.2 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) द्वारा शासित है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत पूँजी सरकार (सरकारों) द्वारा रखी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। पुनः, अधिनियम की धारा 143(7) के अनुसार केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी अन्य कंपनी के मामले में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना - लेखापरीक्षा करने के लिए

¹ हरियाणा वित्तीय निगम।

² हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड।

³ एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

⁴ अकार्यरत सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

आदेश दे सकते हैं तथा ऐसी नमूना-लेखापरीक्षा पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधान लागू होंगे। 1 अप्रैल 2014 से पहले आरंभ हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। तत्वेव अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियां धारा 143(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) की लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

सरकार तथा विधान-मंडल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सा.क्षे.उ. के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी तथा निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधान-मंडल, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश का लेखांकन तथा उपयोग भी मॉनीटर करता है। इस प्रयोजन के लिए, उनके अंतिमकरण के तीन माह के भीतर अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार राज्य सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार की साझेदारी

1.5 इन सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की भारी वित्तीय साझेदारी है। यह साझेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूंजी तथा ऋण-** शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** जब कभी अपेक्षित होता है तो राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं परिदानों के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटियां-** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं से सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान हेतु गारंटियां भी देती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.6 नीचे तालिका 1.2 में दिए गए विवरण के अनुसार 29 सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2016 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 41,068.02 करोड़ था:

तालिका 1.2: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. की श्रेणी	सरकारी कंपनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
कार्यरत सा.क्षे.उ.	10,125.17	30,651.91	40,777.08	213.50	49.40	262.90	41,039.98
अकार्यरत सा.क्षे.उ.	19.32	8.72	28.04	-	-	-	28.04
कुल	10,144.49	30,660.63	40,805.12	213.50	49.40	262.90	41,068.02

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।


31 मार्च 2016 को राज्य सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 99.93 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में तथा शेष 0.07 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। यह कुल निवेश, 25.22 प्रतिशत पूंजी एवं 74.78 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2011-12 में ₹ 30,881.66 करोड़ से 32.99 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 41,068.02 करोड़ हो गया था जैसाकि नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश



1.7 चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा 31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर उनकी प्रतिशतता नीचे चार्ट 1.2 में इंगित की गई है। सा.क्षे.उ. निवेश का दबाव मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। यद्यपि विद्युत क्षेत्र में निवेश 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 29,104.19 करोड़ से ₹ 37,463.34 करोड़ तक बढ़ गया था, संपूर्ण निवेश में इसका भाग, प्रतिशतता में 94.24 प्रतिशत तक अल्प मात्रा में घटा।

चार्ट 1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठकों में आंकड़े, कुल निवेश में क्षेत्रीय निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इकिवटी, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, ऋणों के बट्टे खाते में डालने एवं ब्याज माफी के लिए बजटीय बहिर्गमन का 2015-16 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
1	बजट से इकिवटी पूँजी बहिर्गमन	6	102.92	7	68.22	9	1,638.53
2	बजट से दिए गए ऋण	1	6.48	2	153.25	2	156.83
3	बजट से अनुदान/परिदान	11	10,639.10	9	5,357.76	12	6,588.45
4	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	13	10,748.50	13	5,579.23	15	8,383.81
5	ऋणों एवं ब्याज की माफी	-	-	1	81.24	-	-
6	जारी गारंटिया	5	10,425.04	6	3,966.62	7	4,380.42
7	गारंटी वचनबद्धता	9	25,074.45	8	28,746.85	9	15,447.21

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

सा.क्षे.उ. को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी फीस प्रभारित की जाती है। राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. के आधार पर 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस प्रभारित की। गारंटी वचनबद्धता 2013-14 में ₹ 25,074.45 करोड़ से घटकर 2015-16 के दौरान ₹ 15,447.21 करोड़ हो गई। 2015-16 के दौरान पांच सा.क्षे.उ. ने ₹ 32.32 करोड़ की गारंटी फीस का भुगतान किया। चार सा.क्षे.उ. ने वर्ष के दौरान गारंटी फीस का भुगतान नहीं किया तथा 31 मार्च 2016 को उनके विरुद्ध ₹ 8.77 करोड़ की संचित/बकाया गारंटी फीस थी। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (₹ 5.26 करोड़) प्रमुख चूककर्ता था। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 3.23 करोड़), हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम (₹ 0.26 करोड़) तथा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़) अन्य चूककर्ता थे।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.9 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2016 को इस विषय में स्थिति नीचे तालिका 1.4 में बताई गई है:

तालिका 1.4: वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋणों, बकाया गारंटियों की राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं ⁵ के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ.* के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	8,903.66	9,170.82	267.16
ऋण	13,426.44 ⁶	1,316.53	12,109.91
गारंटियां	14,845.17	15,447.21	602.04

* स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये अन्तर, 16 सा.क्षे.उ. के संबंध में थे तथा कुछ अंतर 2004-05 से मिलान हेतु लिबित थे। सरकार तथा सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

⁵ अनन्तिम आंकड़े।

⁶ इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को हरियाणा डिस्कोमज को अग्रिम दिए गए ₹ 12,110 करोड़ के ऋण शामिल हैं।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

1.10 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) के साथ पठित धारा 96(1) के अनुसार कंपनियों की प्रत्येक वर्ष की वित्तीय विवरणियां संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितंबर के अंत तक अंतिमकृत की जानी अपेक्षित हैं। ऐसा करने में विफलता तत्रैव अधिनियम की धारा-99 के अंतर्गत दंड प्रावधान आकृष्ट करती है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

नीचे तालिका 1.5 कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा 30 सितंबर 2016 तक लेखाओं के अंतिमकरण में की गई प्रगति के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.5: कार्यरत सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अंतिमकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	22	24	24	25	23
2.	वर्ष के दौरान अंतिमकृत तथा पूरक लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त लेखाओं की संख्या	22	18	23	22	21
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	29	34	35	36	39
4.	कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	17	19	19	19	22
5.	बकाया - अवधि (संख्या वर्षों में)	1 से 4	1 से 4	1 से 4	1 से 5	1 से 5

बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. के बैकलोग को जल्दी समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा लेखाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता है। सा.क्षे.उ. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की कम से कम एक साल के लेखे अंतिमकृत किए जाएं ताकि बकायों का आगे संचयन न हो।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए एवं अपनाया जाए। यद्यपि लेखाओं के बकाया के बारे में वित्त विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था, पर्याप्त उपचारात्मक उपाए नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

1.11 उन वर्षों के दौरान जिनके लेखाओं का अंतिमकरण नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने 16 सा.क्षे.उ. में ₹ 8,543.36 करोड़ {इक्विटी: ₹ 1,648.03 करोड़ (10 सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 156.83 करोड़ (दो सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 4,139.16 करोड़ (सात सा.क्षे.उ.) तथा सबसिडी: ₹ 2,599.34 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया था, जैसा कि परिशिष्ट 1 में वर्णित है। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश तथा व्यय उचित रूप से लेखाओं में लिए गए हैं या नहीं तथा वह उद्देश्य प्राप्त किया गया है या नहीं जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधानसभा के नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त अकार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा भी लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया थे। छ: अकार्यरत सा.क्षे.उ. में से दो⁷ परिसमापन की प्रक्रिया में थे जिनके लेखे 14 से 17 वर्षों से बकाया थे। शेष चार अकार्यरत सा.क्षे.उ.⁸ में से, यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लेखे बकाया नहीं थे। एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे 2014 - 15 तथा 2015 - 16 वर्षों हेतु बकाया थे जबकि हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड के लेखे वर्ष 2015 - 16 हेतु बकाया थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1.13 नीचे तालिका 1.6 सार्विधिक निगमों के लेखाओं पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी किए गए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) के विधानसभा में प्रस्तुतिकरण की स्थिति दर्शाती है।

1.6: विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	सार्विधिक निगम का नाम	वर्ष, जब तक विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके पृ.ले.प.प्र. विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	हरियाणा वित्तीय निगम	2014 - 15	-	-
2	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2012 - 13	2013 - 14	मुद्रणाधीन
			2014 - 15	अभी ए.जी.एम. के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

लेखाओं के अंतिमकरण न करने के प्रभाव

1.14 लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से संबंधित विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं के बकायों की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2015 - 16 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में सा.क्षे.उ. के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानसभा को नहीं दी जा सकी।

सा.क्षे.उ. के अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार उनका निष्पादन

1.15 सरकारी कंपनियों तथा सार्विधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम शरीशिष्ट 2 में वर्णित हैं। सा.क्षे.उ. टर्नओवर और राज्य स.घ.उ. का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. गतिविधियों की स्थिति दर्शाता है। नीचे तालिका 1.7 2015 - 16 को समाप्त

⁷ हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

⁸ हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, एच.ए.आर.यू.पी. कोल कारपोरेशन लिमिटेड तथा यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर तथा राज्य स.घ.उ. के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.7: राज्य स.घ.उ. की तुलना में कार्यरत सा.क्षे.उ. टर्नओवर के विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
टर्नओवर ⁹	21,465.56	22,384.88	25,262.69	36,608.23	34,109.41
राज्य स.घ.उ. ¹⁰	3,00,755.57	3,50,406.61	3,95,747.73	4,41,864.26 ¹¹	4,92,656.90 ¹²
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	7.13	6.38	6.38	8.28	6.92

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा राज्य स.घ.उ. से एकत्र की गई सूचना।

राज्य स.घ.उ. से राज्य सा.क्षे.उ. का टर्नओवर प्रतिशतता में 2011-12 में 7.13 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 6.92 प्रतिशत रह गया।

1.16 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई समग्र हानियां नीचे चार्ट 1.3 में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 1.3: कार्यरत सा.क्षे.उ. की हानियां



(समग्र हानियां वर्ष के दौरान संचित लाभ/हानि का निवल प्रभाव है जिसके लिए लेखे अंतिमकृत किए गए थे तथा कोष्ठकों में आंकड़े, संबंधित वर्षों में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष, जिसके लेखे अंतिमकृत किए गए थे, के सक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट 2** में दिए गए हैं। 01 अक्टूबर 2015 से

⁹ 30 सितंबर 2016 को अंततम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार टर्नओवर।

¹⁰ चालू कीमतों पर।

¹¹ शीघ्र अनुमान।

¹² अग्रिम अनुमान।

30 सितंबर 2016 की अवधि के दौरान 17 कार्यरत सा.क्षे.उ. के संबंध में 21 लेरवे प्राप्त किए गए थे। इनमें से 14 लेरवाओं ने ₹ 306.69 करोड़ का लाभ दर्शाया तथा सात लेरवाओं ने ₹ 2,125.53 करोड़ की हानि दर्शाई। एक कार्यरत सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड ने अपने प्रथम लेरवे तैयार नहीं किए हैं। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 143.75 करोड़), हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 108.21 करोड़) तथा हरियाणा वित्तीय निगम (₹ 51.83 करोड़) थे। प्रमुख हानियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,480.57 करोड़) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 636.16 करोड़) द्वारा उठाई गई थी।

1.17 सा.क्षे.उ. के कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे तालिका 1.8 में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: राज्य सा.क्षे.उ. के मुख्य पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
पूँजी लागत पर रिटर्न (प्रतिशत)	-	-	2.01	6.96	8.35
उधार	21,838.13	27,231.91	30,739.75	37,847.90	42,712.65
टर्नओवर ¹³	21,465.61	22,384.88	25,262.69	36,608.23	34,109.41
उधार/टर्नओवर अनुपात	1.02:1	1.22:1	1.22:1	1.03:1	1.25:1
ब्याज भुगतान	2,445.50	3,526.20	4,361.24	4,411.32	3,960.52
संचित लाभ/हानियां	8,622.09	21,210.01	23,813.48	24,043.86	28,338.17

स्रोत: सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिमकृत वार्षिक लेरवाओं के अनुसार।

(टर्नओवर, जो कि कार्यरत सा.क्षे.उ. के लिए है, को छोड़कर उपर्युक्त आंकड़े सभी सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं)।

सभी सा.क्षे.उ. की लगाई गई पूँजी पर रिटर्न की प्रतिशतता 2013–14 में 2.01 से बढ़कर 2015–16 में 8.35 हो गई। टर्नओवर से उधारों का अनुपात, जो 2011–12 में 1.02:1 था, बढ़कर 2012–13 तथा 2013–14 में 1.22:1 हो गया और तत्पश्चात् 2014–15 में घटकर 1.03:1 रह गया। तथापि, यह 2015–16 में बढ़कर 1.25:1 हो गया।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया (अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर-पूँजी पर कम से कम चार प्रतिशत रिटर्न अदा करनी है। 13 सा.क्षे.उ. ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेरवाओं के अनुसार ₹ 408.57 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया किंतु केवल तीन¹⁴ सा.क्षे.उ. ने ही ₹ 5.64 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 238.69 करोड़ का लाभ अर्जित करने के बावजूद कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

¹³ 30 सितंबर 2016 को अंततम अंतिमकृत लेरवाओं के अनुसार कार्यरत सा.क्षे.उ. का टर्नओवर।

¹⁴ हरियाणा वन विकास निगम – 30 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम – 10 प्रतिशत तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड – 10 प्रतिशत।

अकार्यरत सा.क्षे.उ. को बन्द करना

1.19 31 मार्च 2016 को छ: अकार्यरत सा.क्षे.उ. (सभी कंपनियां) थे। इनमें से दो सा.क्षे.उ.¹⁵ ने परिसमापन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2015 - 16 के दौरान, अकार्यरत सा.क्षे.उ. ने वेतन तथा स्थापना व्यय पर ₹ 0.40 करोड़ का व्यय किया। यह व्यय, एफ.डी.आर. पर ब्याज के माध्यम से वहन किया गया था।

1.20 अकार्यरत सा.क्षे.उ. के संबंध में परिसमापन के स्तर नीचे तालिका 1.9 में दिए गए हैं:

तालिका 1.9: अकार्यरत सा.क्षे.उ. का परिसमापन

क्र.सं.	विवरण	कंपनियां
1	अकार्यरत कंपनियों की कुल संख्या	6
2	उपर्युक्त (1) के अंतर्गत संख्या	
(क)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	-
(ख)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	2
(ग)	समापन अर्थात् बंद करने के आदेश/अनुदेश जारी किए गए किंतु परिसमापन प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं की गई	4

एक अकार्यरत कंपनी नामतः हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड वर्ष 2015 - 16 के दौरान बंद (नवंबर 2015) की गई थी। दो कंपनियों ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन का मार्ग चुना तथा 12 से 17 वर्षों की अवधि के लिए परिसमापनाधीन थी। शेष चार कंपनियां समापनाधीन थी अर्थात् समापन आदेश/अनुदेश जारी किए गए थे किंतु परिसमापन प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं की गई थी।

लेखा टिप्पणियां

1.21 अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान 16 कार्यरत कंपनियों ने अपने 19 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) को अग्रेषित किए। इनमें से 11 कंपनियों के 14 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे। इसके अतिरिक्त छ: कंपनियों के छ: लेखे, जो 30 सितंबर 2015 को अंतिमकरणाधीन थे, भी उपर्युक्त अवधि के दौरान अंतिमकृत किए गए थे। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त साविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने

¹⁵

हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे तालिका 1.10 में दिए गए हैं:

तालिका 1.10: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013 - 14		2014 - 15		2015 - 16	
		दृष्टांतों की संख्या	राशि	दृष्टांतों की संख्या	राशि	दृष्टांतों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	10	29.51	5	2.83	9	122.69
2	हानि का बढ़ना	2	1,081.47	6	1,074.35	9	1,067.77
3	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	6	254.86	4	3,805.09	7	2,448.82
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	3	667.14	5	5,979.35	11	1,239.19

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखाओं को अपरिमित प्रमाण - पत्र, 12 लेखाओं को परिमित प्रमाण - पत्र तथा तीन लेखाओं को प्रतिकूल प्रमाण - पत्र (अर्थात् लेखे सत्य एवं सही स्थिति प्रतिबिंबित नहीं करते) प्रदान किए। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा परिमित वर्ष 2014 - 15 के लिए ₹ 478.28 करोड़ तक द.ह.बि.वि.नि.लि.¹⁶ की प्रतिवेदित हानि (₹ 636.16 करोड़) में वृद्धि का प्रभाव था। उपर्युक्त के अतिरिक्त द.ह.बि.वि.नि.लि. के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के परिमितों के प्रभाव का विचार करने के पश्चात् वर्ष 2014 - 15 के लिए ₹ 1,114.44 करोड़ की हानि (सांविधिक लेखापरीक्षक के परिमित के पश्चात्) ₹ 1,204.40 करोड़ तक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. के परिमितों ने वर्ष 2014 - 15 के लिए हारट्रोन¹⁷ के प्रतिवेदित लाभ (₹ 3.51 करोड़) को ₹ 7.72 करोड़ की हानि में बदल दिया। लेखांकन मानकों के साथ कंपनियों की अनुपालना खराब रही। वर्ष के दौरान 18 लेखाओं में अनुपालना न करने के 66 दृष्टांत थे।

1.22 इसी प्रकार, दो कार्यरत सांविधिक निगमों में से हरियाणा राज्य भण्डारण निगम ने वर्ष 2014 - 15 तथा 2015 - 16 के अपने दो लेखे अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के दौरान पूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किए। वर्ष 2014 - 15 हेतु टिप्पणियां अतिमकृत की गई हैं तथा वर्ष 2015 - 16 हेतु 30 सितंबर 2016 को प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा वित्तीय निगम के वर्ष 2014 - 15 के लेखे, जो 30 सितंबर 2015 को अतिमकरणाधीन थे, भी उपर्युक्त अवधि के दौरान अतिमकृत किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा ने लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता इंगित की। विगत तीन वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखाओं पर

¹⁶ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

¹⁷ हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिए गए हैं:

तालिका 1.11: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013 – 14		2014 – 15		2015 – 16	
		दृष्टांतों की संख्या	राशि	दृष्टांतों की संख्या	राशि	दृष्टांतों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	3.78	1	2.28	3	7.49
2	हानि का बढ़ना	1	4.55	-	-	-	-
3	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	1	40.81	-	-	2	7.07
4	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	2	4.39	2	28.82

अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के दौरान, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2014 – 15 तथा 2015 – 16 के दो लेखे प्राप्त किए गए थे तथा दोनों लेखाओं ने सांविधिक लेखापरीक्षकों से परिमित प्रमाण – पत्र प्राप्त किए।

लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 18 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी किए गए थे। तथापि, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में राज्य सरकार से सितंबर 2016 तक उत्तर प्रतीक्षित थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 1996) हैं कि वे भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर उसमें शामिल अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करें। तथापि, 30 सितंबर 2016 तक 50 प्रतिशत निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 71 प्रतिशत लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं जैसा नीचे

तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितंबर 2016 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक / सा.क्षे.उ.)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.लेप.) तथा अनुच्छेद		नि.लेप. / अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2013-14	04.09.2015	2	9	-	3
2014-15	14.03.2016	2	15	2	14
कुल		4	24	2	17

कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.25 30 सितंबर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रकट उन निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों, जिन पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चा की गई, की स्थिति नीचे तालिका 1.13 में दिए गए अनुसार थी:

तालिका 1.13: 30 सितंबर 2016 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समीक्षाओं/अनुच्छेदों की तुलना में चर्चा किए गए

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	नि.लेप.	अनुच्छेद	नि.लेप.	अनुच्छेद
2012-13	2	10	-	2
2013-14	2	9	-	-
2014-15	2	15	-	-
कुल	6	34	-	2

लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 फरवरी 2009 तथा मार्च 2016 के मध्य राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपु के सात प्रतिवेदनों से संबंधित 35 अनुच्छेदों पर 'एक्शन टेकन नोट्स' (एटी.एन.) (30 सितंबर 2016) प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे तालिका 1.14 में इंगित किया गया है:

तालिका 1.14: कोपु प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	कोपु रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी एटी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2008-09	1	14	1 (पैरा सं. 14)
2010-11	1	10	1 (पैरा सं. 8)
2011-12	1	8	2 (पैरा सं. 3 और 5)
2012-13	1	16	3 (पैरा सं. 4, 5 और 7)
2013-14	1	10	5 (पैरा सं. 3 से 6 और 10)
2014-15	1	12	9 (पैरा सं. 4 से 12)
2015-16	1	16	14 (पैरा सं. 1 से 4, 6 से 10 और 12 से 16)
योग	7	86	35

कोपु के इन प्रतिवेदनों में नौ विभागों¹⁸ से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशों सम्मिलित हैं, जो 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार, निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट/ड्राफ्ट पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा और कोपु की सिफारिशों पर ए.टी.एन. का जवाब भेजना, निर्धारित अवधि के भीतर हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली करना तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार करना सुनिश्चित करे।

सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.27 राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान अपने किसी भी सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

इस प्रतिवेदन का कवरेज

1.28 इस प्रतिवेदन में ₹ 3,755.23 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित एक निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात् “उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में राजस्व की टैरिफ, बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण” तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। प्रबंधन ने एक अनुच्छेद का उत्तर नहीं दिया जबकि हरियाणा सरकार का तीन अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर उत्तर प्रतीक्षित था।

¹⁸

कृषि, वन, गृह, उद्योग, विद्युत, लो.नि.वि. (भ. एवं स.), अ.जा. एवं पि.व. कल्याण, परिवहन तथा पर्यटन।

अध्याय 2

सरकारी कंपनियों से संबंधित

निष्पादन लेखापरीक्षा

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राजस्व की टैरिफ़, बिलिंग और संग्रहण

हरियाणा के उत्तरी भागों में विद्युत के वितरण के लिए 15 मार्च 1999 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) निगमित की गई थी। कंपनी का उद्देश्य एक कुशल, समन्वित और मितव्यी वितरण प्रणाली विकसित करना एवं उसका रख-रखाव करना और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना है। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान राजस्व की टैरिफ़, बिलिंग और संग्रहण से संबंधित कंपनी की क्रियाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ सेवा प्रभारों की कम वसूली, किराए का कम प्रभारित करना और विद्युत की अधिक आपूर्ति को इंगित किया जिसने कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

बिजली कनैक्शन देते समय की गई लागत वसूल करने के लिए कंपनी उपभोक्ताओं से सेवा कनैक्शन प्रभार वसूल करती है। जनवरी 2001 के बाद दरों में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.6.1.1)

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने ₹ 254.42 करोड़ के सचित आर.एज में से ₹ 114.49 करोड़ की विनियामक परिसंपत्तियों (आर.एज) की वसूली, 2013-14 के लिए टैरिफ़ के एक हिस्से के रूप में अनुमत कर दी। 2014-17 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ़ (एम.वाईटी.) गठन के अंतर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (ए.आर.आर.) फाईल करते समय कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के साथ शेष ₹ 139.93 करोड़ के आर.एज. की वसूली का मामला नहीं उठाया था।

(अनुच्छेद 2.6.1.3)

कंपनी ने कृषि पंपसेट उपभोक्ताओं को 2011-15 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 15,233.50 एम.यूज के विरुद्ध 15,952.82 एम.यूज की विद्युत आपूर्ति की परिणामस्वरूप बिजली के 719.32 एम.यूज की अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 425.97 करोड़ की सबसिडी की कम प्राप्ति हुई।

(अनुच्छेद 2.6.1.5(i))

ईंधन सरचार्ज समायोजनों के दावे फाईल करने में देरी के कारण कंपनी को ₹ 137.86 करोड़ का संधारण लागत वहन करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.6.1.7)

अग्रिम खपत जमा के असंशोधन के कारण कंपनी को ₹ 30.60 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.7.6)

मीटर किराए के कम प्रभारण, उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी करने में देरी और बिलिंग की अवधि का अनुपालन न करने के कारण ₹ 12.73 करोड़ की हानि हुई। लोड के अनधिकृत प्रयोग में वृद्धि और खराब/क्षतिग्रस्त मीटरों और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टैटिक मीटरों के साथ बदलने में देरी के कारण राजस्व की हानि संभवतः अधिक थी।

(अनुच्छेद 2.7.8)

एच.ई.आर.सी. के निर्धारित मानकों के अनुसार संचारण और वितरण हानियों को रोकने में इसकी विफलता के कारण कंपनी को ₹ 1,729.75 करोड़ की हानि भी उठानी पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.7.9)

2.1 प्रस्तावना

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) हरियाणा के उत्तरी भागों में बिजली के वितरण के लिए 15 मार्च, 1999 को निगमित की गई थी। कंपनी का उद्देश्य एक कुशल, समन्वित और मितव्यी वितरण प्रणाली विकसित करना एवं उसका रख-रखाव करना और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना है। कंपनी 33 किलो वोल्ट (के.वी.) तक की संचारण एवं वितरण प्रणाली पर नियंत्रण रखती है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) के आधार पर हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा टैरिफ नियत किया जाता है।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को विद्युत के विक्रय का कार्य कंपनी के निदेशक (परिचालन) के अधीन है जो वितरण नेटवर्क के स्थापन, परिचालन एवं रख-रखाव और राजस्व के बिलिंग एवं संग्रहण को मॉनीटर भी करता है। राजस्व के मिलान, संग्रहण और बैंकिंग का कार्य वित्तीय सलाहकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- बिजली प्रदान करने की समग्र लागत एच.ई.आर.सी. को ए.आर.आरज के समय पर प्रस्तुतिकरण द्वारा वसूल की जा रही है;
- टैरिफ आदेश, विक्रय परिपत्र और विक्रय अनुदेश बिना किसी अस्पष्टता के जारी किए गए थे और फील्ड कार्यालयों द्वारा समय पर कार्यान्वित किए गए थे;
- मीटरिंग और बिलिंग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किए जा रहे थे;
- राजस्व का संग्रहण और लेखांकन मितव्यितापूर्वक और कुशलपूर्वक पूर्ण किया गया था; तथा
- बिलिंग और संग्रहण क्रिया में जोखिम समाप्त करने हेतु मानीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण कुशल थे।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन लेखापरीक्षा मानदंड के विरुद्ध किया जा रहा है जिनके स्रोत निम्नलिखित थे:

- बिजली अधिनियम, 2003 और एच.ई.आर.सी. द्वारा समय - समय पर जारी विनियम;
- एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी टैरिफ आदेश और निर्देश / अनुदेश;
- एच.ई.आर.सी./ कंपनी द्वारा जारी राजस्व के संग्रहण, इसके लेखा - जोखा तथा चोरियों की रोकथाम से संबंधित दिशानिर्देश; तथा
- एच.ई.आर.सी./ कंपनी द्वारा नियत बिलिंग और संग्रहण कुशलता के लक्ष्य, कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी. एंड सी.) हानियां और सतर्कता जांच।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक की गई लेखापरीक्षा में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान टैरिफ, बिलिंग और बेची गई ऊर्जा के लिए राजस्व के संग्रहण से संबंधित कंपनी की क्रियाओं का परीक्षण शामिल था। लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, कंपनी के मुख्यालय और नौ परिचालन परिमंडलों (सभी मंडलों और उप-मंडलों को आवृत्त करते हुए) में से पांच¹ के अभिलेख 'सिंपल रैंडम सैंपलिंग मैथड विदाउट रिसेसमेंट' के द्वारा चयन किए गए थे। चयनित सैंपल में राजस्व का 65 प्रतिशत शामिल था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं की बिलिंग कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार की जा रही थी, कंपनी द्वारा अनुरक्षित उपभोक्ताओं के बिलिंग का इलैक्ट्रोनिक डाटा, डाटा एक्सट्रैक्शन और विश्लेषण यंत्र अर्थात् आई.डी.ई.ए. (इंटर एक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन और विश्लेषण) सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विश्लेषित किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर कंपनी के साथ एंट्री कॉफ्रेंस (जनवरी 2016) में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणाम प्रबंधन को सूचित किए गए (जून 2016) और एमिट कॉफ्रेंस (जुलाई 2016), जिसमें कंपनी के प्रबंधन ने प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में भाग लिया था, में इस पर चर्चा की गई। यह निष्पादन लेखापरीक्षा अंतिम करते समय प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.6.1 टैरिफ प्रस्ताव

अपेक्षित कुल राजस्व, बिजली प्रदान करने की अनुमानित लागत और राजस्व गैप को पूरा करने के प्रस्ताव दर्शाते हुए कंपनी प्रतिवर्ष 30 नवंबर तक एच.ई.आर.सी. को अपनी ए.आर.आर. प्रस्तुत करती है। कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता इसकी परिचालन आवश्यकताओं को पोषित करने हेतु इसके परिचालनों से सृजित आधिक्य और भावी पूँजीवर्धन कार्यक्रमों पर निर्भर होती है।

¹ करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

2.6.1.1 सेवा कनैक्शन प्रभारों के संशोधन हेतु याचिका दायर करने में विलंब

कंपनी बिजली कनैक्शन देते समय की गई लागत वसूल करने के लिए अपने उपभोक्ताओं से सेवा कनैक्शन प्रभार (एस.सी.सीज) प्रभारित करती है। एच.ई.आर.सी. विनियम, 2005 के अनुसार कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल तक एक लागत डाटाशीट संकलित और प्रकाशित करना होता है जिसमें उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले एस.सी.सीज शामिल होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने 1 जनवरी 2001 को विभिन्न श्रेणियों² के उपभोक्ताओं के लिए एस.सी.सीज दरों नियत की थी और श्रम तथा सामग्री लागत में वृद्धि के बावजूद अप्रैल 2010 तक उन्हें संशोधित नहीं किया था। यह संशोधन भी एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना किया गया था और इसलिए परिणामतः अगस्त 2010 में वापस ले लिया गया। कंपनी ने उपभोक्ताओं को कनैक्शन जारी करने पर 2011-12 से 2014-15 के दौरान ₹ 178.56 करोड़³ का व्यय किया और ₹ 54.32 करोड़ वसूल किए। इस प्रकार, उपभोक्ताओं से लागत की तुलना में ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई थी। कंपनी ने बाद में एच.ई.आर.सी. के पास जनवरी 2015 में एस.सी.सीज के संशोधन के लिए एक याचिका दायर की जो जुलाई 2016 में अनुमोदित की गई।

2.6.1.2 बिजली अधिनियम, 2003 के उल्लंघन में टैरिफ रियायत

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार, राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता श्रेणी को सबसिडी देने का निर्णय करती है तो राज्य सरकार कंपनी को सबसिडी प्रदान करके उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। यह पुनः निर्धारित करता है कि राज्य सरकार के ऐसे कोई भी निर्देश क्रियात्मक नहीं होंगे यदि भुगतान इन प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता और राज्य आयोग द्वारा नियत टैरिफ ही लागू होगा।

17 जून 2005 को, राज्य सरकार ने ऐसे परिवार, जहां कनैक्शन एक महिला के नाम पर है और संपत्ति की मालिक भी महिला है, को आपूर्ति बिजली के घरेलू टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट की घोषणा की। एच.ई.आर.सी. ने वर्ष 2005-06 के लिए 9 नवंबर 2005 के अपने टैरिफ आदेश में महिला उपभोक्ताओं को टैरिफ में वरीयता से इनकार कर दिया। उसी माह में, कंपनी ने इस कारण देय सबसिडी का दावा करने के लिए वित्त विभाग (एफ.डी.) से मांग की। एफ.डी. ने फिर भी, कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने से मना कर दिया (17 नवंबर 2005) और कंपनी को अपने स्वयं के संसाधनों से कमी पूरा करने का सुझाव दिया। एफ.डी. और एच.ई.आर.सी. के इनकार के बावजूद, कंपनी ने फिर भी बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधान और टैरिफ आदेशों के विरुद्ध महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 से 2014-15 (फरवरी 2015 तक) रियायत की अनुमति जारी रखी। ऐसे कनैक्शनों में 2005 से फरवरी 2015 के दौरान ₹ 5.57 करोड़ की राशि शामिल थी।

² सिंगल फेज गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.), तीन फेज (एन.डी.एस.), बहुद आपूर्ति, लो-टेंसन (एल.टी.) तथा हाई-टेंसन (एच.टी.) औद्योगिक आपूर्ति आदि।

³ कृषि पंपसेट उपभोक्ताओं के अलावा।

2.6.1.3 विनियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन में विलंब

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 8.2.2 निर्धारित करती है कि यदि एक विशेष वर्ष में टैरिफ के प्रभाव को सीमित करने के लिए पूर्व में आयोग द्वारा विनियामक परिसंपत्तियां (आर.एज)⁴ ग्रहण की गई हैं, तो आर.ए. की रखाव लागत कंपनी को अनुमत की जानी चाहिए और इसकी वसूली तीन वर्षों की अवधि में कर ली जानी चाहिए।

एच.ई.आर.सी. ने प्रत्येक वर्ष के लिए आर.ए. के रूप में राजस्व गैप अनुमत कर दिया था जो वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ₹ 254.42 करोड़ तक संचित हो गया था। एच.ई.आर.सी. ने फिर भी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ के परिहार के लिए 2013-14 के टैरिफ आदेश में टैरिफ के एक भाग के रूप में ₹ 114.49 करोड़ की वसूली अनुमत कर दी थी और आर.एज का अनावृत्त भाग अर्थात् ₹ 139.93 करोड़ (₹ 254.42 करोड़ - ₹ 114.49 करोड़) ब्याज लागत के साथ अगले ए.आर.आरज अर्थात् 2014-15 और 2015-16 में वसूल किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ (एम.वाईटी.) फ्रेमवर्क के अंतर्गत ए.आर.आर. फाईल करते समय ₹ 139.93 करोड़ के शेष आर.एज की वसूली का मामला एच.ई.आर.सी. के साथ नहीं उठाया था।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि ए.आर.आर. में कंपनी की वास्तविक लागत पर विचार करने के लिए कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को मांग की है। इसका अंतिम परिणाम अभी प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.6.1.4 नियमों के अधीन प्रावधान न की गई आकस्मिक रिजर्व निधि का सृजन

बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948 ने प्रत्येक वर्ष में राजस्व से निश्चित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 0.25 प्रतिशत के बराबर आकस्मिक रिजर्व निधि (सी.आर.एफ.) के सृजन के लिए प्रावधान किया। इस प्रकार विनियोजित राशि, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत अधिकृत प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना था। फिर भी, बिजली अधिनियम, 2003 में सी.आर.एफ. के सृजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने सी.आर.एफ. के लिए प्रावधान करके 2003-04 से 2007-08 के दौरान ₹ 21.09 करोड़ तक ए.आर.आरज बढ़ा दिए जिसे एच.ई.आर.सी. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया (2008-09)। एच.ई.आर.सी. ने निर्देश दिया कि ₹ 27.86 करोड़ (₹ 21.09 करोड़ पर ₹ 6.77 करोड़ के ब्याज सहित) का संग्रह केवल इसके अनुमोदन के बाद आहरित किया जाना चाहिए। कंपनी ने 2014-17 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ (एम.वाईटी.) फ्रेमवर्क के लिए याचिका दायर करते समय इस संग्रह के परिसमापन के लिए मामला एच.ई.आर.सी. के साथ उठाया (मई 2014) जो सहमत हो गया (अक्तूबर 2014) और निधि मार्च 2015 में परिसमाप्त कर दी गई। प्रबंधन ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि एफ.डी.आरज के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रबंध कर लिया गया था।

⁴

विनियामक परिसंपत्तियां, वार्षिक राजस्व आवश्यकता और संग्रहणीय राजस्व के बीच वित्तीय अंतर के कारण वसूल न की गई लागत है जिनकी एच.ई.आर.सी. द्वारा आगामी वर्षों में डिस्कोन्ज द्वारा वसूल किए जाने की अनुमति जारी की गई है।


इस प्रकार, कंपनी ने एक निधि सृजित की जो विद्यमान नियमों के अंतर्गत आवृत्त नहीं थी। निधि बाद में एच.ई.आर.सी. के निर्देशों के अंतर्गत परिसमाप्त करनी पड़ी और इस परिसमाप्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ₹ 5.20 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त व्यय हुआ (उधार लेने पर 12.25 प्रतिशत की ब्याज दर घटा एफ.डी.आरज पर 9.14 प्रतिशत पर अर्जित ब्याज, पर छ: वर्षों के लिए परिकलित)।

2.6.1.5 कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के कारण हानि

कृषि पंपसेट (ए.पी.) उपभोक्ताओं की आपूर्ति को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है यानि मीटर वाले और फ्लैट रेट (बिना मीटर वाले) उपभोक्ता। राज्य सरकार, ए.पी. उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के कारण होने वाले घाटे की सबसिडी के रूप में प्रतिपूर्ति करती है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- एच.ई.आर.सी. ने 2011-12 से 2014-15 के वर्षों के दौरान ए.पी. उपभोक्ताओं को 15,233.50 एम.यूज विद्युत की आपूर्ति अनुमोदित की। सबसिडी ₹ 5.04 और ₹ 6.53 प्रति यूनिट के मध्य शृंखलित थी। कंपनी ने, तथापि, इस अवधि के दौरान ए.पी. उपभोक्ताओं को 15,952.82 एम.यूज विद्युत आपूर्ति की। परिणामतः 719.32 एम.यूज विद्युत की अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 425.97 करोड़ की सबसिडी दावा करने योग्य नहीं थी। प्रबंधन ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की अधिक आपूर्ति के कारण सबसिडी ट्रूयू-अप याचिका में दावा करने योग्य है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2011-14 की अपनी ट्रूयू-अप याचिकाओं में, कंपनी ने स्वयं अतिरिक्त सबसिडी का दावा नहीं किया है।
- नीचे चार्ट 2.1, 2015-16 तक गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित और दावा की गई सबसिडी और प्राप्त न होने की गई सबसिडी और सबसिडी की कम प्राप्ति के कारण लिए गए उधार पर भुगतान किए गए अतिरिक्त ब्याज की स्थिति को सूचित करता है:

चार्ट 2.1: सबसिडी की प्राप्ति न होने के कारण हानि




स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

यह देखा जा सकता है कि कम प्राप्त सबसिडी की राशि 2011-12 में ₹ 393.19 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 2,922 करोड़ हो गई। कंपनी ने सबसिडी की देरी से प्राप्ति के कारण लिए गए अपने अधिक उधार पर ₹ 748.69 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान किया जैसा कि **परिशिष्ट 3** में ब्यौरा दिया गया है।

iii) कंपनी द्वारा अपनाए गए विद्युत विनियामक उपायों (पी.आर.एमजे) के अनुसार, कृषि पंपसेट (ए.पी.) उपभोक्ताओं को प्रतिदिन न्यूनतम आठ घंटों के लिए विद्युत प्रदान की जानी थी ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके और ए.टी. एंड सी. हानियों को न्यूनतम रखा जा सके। यदि बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को मानक घंटों से अधिक विद्युत की आपूर्ति की जाती है, तो कंपनी को मानक घंटों से अधिक आपूर्ति ऊर्जा के आनुपातिक मात्रा पर राजस्व की हानि उठानी पड़ती है।

चार्ट 2.2: ए.पी. उपभोक्ताओं को विद्युत की अधिक आपूर्ति



स्रोत: कंपनी और कंपनी के वार्षिक लेखाओं द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

कंपनी ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को ₹ 35.50 करोड़ मूल्य की 2,056.01 एम.यू.जे अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की जो दावा करने योग्य न होने के कारण कंपनी की हानि थी।

2.6.1.6 उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज का अभुगतान

बिजली अधिनियम, 2003 और एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी समर्थक विनियमों के अनुसार कंपनी, संबंधित श्रेणियों के उपभोक्ताओं से चार⁵/दो⁶ माह की बिजली खपत के बराबर अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) वसूल कर सकती है जिस पर ब्याज भुगतान योग्य है।

⁵ घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) और गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं के संबंध में, जहां द्विमासिक बिलिंग की जाती है।

⁶ डी.एस. और एन.डी.एस. उपभोक्ताओं से भिन्न उपभोक्ताओं के संबंध में, जहां मासिक बिलिंग की जाती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 206.04 करोड़ के भुगतान योग्य देय ब्याज के विरुद्ध, कंपनी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान एच.ई.आर.सी. से अपने ए.आर.आरज में ₹ 231.16 करोड़ अनुमोदित करवा लिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.12 करोड़ का अधिक दावा हुआ। कंपनी ने इस अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित ₹ 231.16 करोड़ के विरुद्ध ब्याज के रूप में वास्तव में ₹ 157.81 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार कंपनी ने उपभोक्ता प्रतिभूति पर अधिक ब्याज का दावा करके अपनी ए.आर.आरज बढ़ा दिए परंतु उपभोक्ताओं को कम ब्याज का भुगतान किया।

2.6.1.7 एफ.एस.ए. दावों को प्रस्तुत करने में विलंब

टैरिफ विनियम, 2008 कंपनी से छमाही आधार पर एच.ई.आर.सी. को ईंधन सरचार्ज समायोजन (एफ.एस.ए.)⁷ दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। मई 2010 में, एच.ई.आर.सी. ने उपभोक्ताओं पर होलिंग लागत का बोझ कम करने हेतु विनियम संशोधित कर दिए और अनुमोदित प्रति यूनिट परिवर्तनीय विद्युत खरीद लागत के 10 प्रतिशत तक मासिक आधार पर एफ.एस.ए. वसूल करने के लिए कंपनी को अनुमत कर दिया। दिसंबर 2012 में जारी एम.वार्ड.टी. विनियमों द्वारा एफ.एस.ए. की वसूली त्रैमासिक आधार पर की जानी अनुमत कर दी गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मई, 2010 से मासिक आधार पर एफ.एस.ए. का दावा करने की बजाय वितरण कंपनियों ने 2010-11 के लिए ₹ 1,576.46 करोड़⁸ के एफ.एस.ए. का दावा देरी से अक्तूबर 2011 में किया। एच.ई.आर.सी. ने ₹ 1453.25 करोड़ के एफ.एस.ए. की अनुमति दी और दावा प्रस्तुत करने में देरी के कारण होलिंग लागत की अनुमति अप्रैल 2012 से दी। अप्रैल, 2010 से मार्च 2012 तक ₹ 137.86 करोड़⁹ की होलिंग लागत इस प्रकार कंपनी के लिए एक परिहार्य लागत बन गई।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि मामला एच.ई.आर.सी. के साथ आगामी ट्र्यू-अप या ए.आर.आर. के लिए याचिका दायर करते समय उठाया जाएगा। तथ्य रह जाता है कि एच.ई.आर.सी. ने मामले का निर्णय पहले ही कंपनी के विरुद्ध कर दिया है।

2.6.1.8 कैपेक्स पर व्यय का दावा करने में असमर्थता

कंपनी ने 2011-15 के दौरान ₹ 5,246.16 करोड़ के पूंजीगत व्यय योजना (कैपेक्स) का प्रस्ताव दिया। एच.ई.आर.सी. ने, तथापि, कुल प्रस्तावित में से ₹ 2,419 करोड़ की अनुमति नहीं दी क्योंकि कंपनी निवेशों के परिणामस्वरूप प्राप्य सुधारों और कमाए जा सकने वाले लाभों की

⁷ यदि वास्तविक विद्युत खरीद लागत अनुमोदित विद्युत खरीद लागत से अधिक हो, एच.ई.आर.सी. कंपनी को एफ.एस.ए. के रूप में अधिक विद्युत खरीद लागत की प्रतिपूर्ति कर देती है।

⁸ एफ.एस.ए. दावे में एफ.एस.ए. प्रभार और पूर्वावधि व्यय शामिल होते हैं।

⁹ 48.57 प्रतिशत यूएचबीवीएनएल. का एफ.एस.ए. हिस्सा दर्शाते हुए गुणा (₹ 1,453.25 करोड़ पर 12.50 प्रतिशत की दर से कार्यगत पूंजी पर ए.आर.आर. में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत छ: माह का ब्याज (2010-11) + ₹ 1,544.08 करोड़ (₹ 1,453.25 करोड़ + ₹ 90.83 करोड़ जोकि ₹ 1,453.25 करोड़ पर छ: माह के लिए 12.50 प्रतिशत की दर से ब्याज दर्शाते हुए (2011-12))।

पहचान नहीं कर सकी। पुनः एच.ई.आर.सी. से स्कीमों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, जो एक आवश्यकता थी, कंपनी द्वारा ₹ 31.30 करोड़ (2013 - 14 के दौरान कैथल में प्रियदर्शिनी स्कीम पर ₹ 2.61 करोड़ और उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यों पर ₹ 28.69 करोड़) के किए गए पूंजीगत व्यय की अनुमति भी एच.ई.आर.सी. ने नहीं दी थी (मई 2015)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कैपेक्स का दावा करने हेतु आवश्यक सुधारों को दर्शाने में असमर्थता के साथ-साथ एच.ई.आर.सी. से पूर्व अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना व्यय करने के परिणामस्वरूप उनकी अस्वीकृति कंपनी की निवेश करने की क्षमता और इसके वितरण नेटवर्क-सुधार पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है।

2.6.1.9 एच.ई.आर.सी. के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्कीम का कार्यान्वयन

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 46 में प्रावधान है कि एक बिजली लाईन प्रदान करने में कंपनी द्वारा किया गया तर्कसंगत व्यय उपभोक्ता से प्रभारित किया जा सकता है। एच.ई.आर.सी. आदेश कंपनी को वित्तीय अर्थों वाले कोई भी विक्रय परिपत्र जारी करने की अनुमति केवल पूर्व अनुमोदन से देते हैं।

कंपनी ने यह कहते हुए कि परिपत्र जारी करने से पहले एच.ई.आर.सी. से अनुमोदन ले लिया जाएगा, 'तत्काल स्कीम' के अंतर्गत कृषि पंपसेट (ए.पी.) कनैक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया। फिर भी, कंपनी ने अपेक्षित सहमति प्राप्त किए बिना ही स्कीम के अंतर्गत कनैक्शन देने के लिए विक्रय परिपत्र जारी कर दिए (मई और अगस्त 2015)। कंपनी ने उन उपभोक्ताओं से सामान्य लागत से ₹ एक लाख अधिक प्रभारित किए जो ए.पी. कनैक्शन वरीयता से प्राप्त करने के इच्छुक थे। कंपनी ने 515 आवेदकों से ₹ 7.57 करोड़ प्राप्त किए और दिसंबर 2015 तक 206 कनैक्शन प्रदान करने पर ₹ 2.44 करोड़ व्यय कर दिए। 309 उपभोक्ताओं को कनैक्शन स्टोर में सामग्री की अनुपलब्धता के कारण प्रदान नहीं किए जा सके।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि स्कीम को नियमित करने के लिए याचिका एच.ई.आर.सी. के पास फाईल की गई थी (जनवरी 2016) और एच.ई.आर.सी. का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)। तथ्य रहता है कि स्कीम एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना प्रारंभ की गई थी।

2.7 विद्युत आपूर्ति के लिए मीटर लगाना और बिलिंग करना

जुलाई 2005 की एच.ई.आर.सी. अधिसूचना के साथ पठित बिजली अधिनियम, 2003, बिजली आपूर्ति कोड तथा विक्रय मैनुअल, 2013 के अनुसार, उपभोक्ताओं को आपूर्ति केवल मीटर प्रतिस्थापन के माध्यम से दी जानी चाहिए। कंपनी द्वारा मीटर बदलने अपेक्षित हैं, जब वे कंपनी को आरोप्य वोल्टेज उत्तर-चढ़ाव आदि तकनीकी कारणों से अथवा वर्षा, भूचाल या बाढ़ आदि प्राकृतिक कारणों से खराब हों/जल जाएं। यह भी अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ताओं के बिल, टैरिफ आदेश तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य अनुसूचियों के अनुसार बनाए जाएं।

2.7.1 आपूर्ति कोड का अनुपालन न करने के कारण हानि

आपूर्ति कोड के अनुसार 50 के.डब्ल्यू से 2000 के.डब्ल्यू. लोड के लिए कनैक्शन 11 के.वी. लाईन पर तीन फेज में दिया जाना चाहिए। विक्रय परिपत्र (यू-47/2009 दिनांक 31 दिसंबर 2009) के अनुसार स्वतंत्र फीडर पर टैपिंग के द्वारा कनैक्शन प्रदान करने की अनुमति तभी है जब उपभोक्ता, जो स्वतंत्र फीडर पर बिजली कनैक्शन प्राप्त करना चाहता है, ने सब स्टेशन से उपभोक्ता स्थान पर भीटर के प्वाइंट तक वितरण लाईन की लागत जमा करवा दी हो। फिर भी, फीडिंग लाईन से टैपिंग का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने नेवल उपमंडल (करनाल परिमंडल) में एक उपभोक्ता को स्वतंत्र 11 के.वी. फीडर की बजाय वर्तमान 33 के.वी. ग्रिड लाईन पर टैपिंग अनुमत करके 850 के.डब्ल्यू. लोड का नया कनैक्शन प्रदान किया था (19 मई 2010)। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- 33 के.वी. लाईन की टैपिंग के परिणामस्वरूप ₹ 54.52¹⁰ लाख की शेयरिंग लागत की अवसूली हुई जोकि उपभोक्ता से वसूल किया जा सकता था यदि कनैक्शन 132 के.वी. सब-स्टेशन से स्वतंत्र 11 के.वी. फीडर से दिया जाता।
- एच.ई.आर.सी. ने उन उपभोक्ताओं, जिन्होंने विश्वसनीय विद्युत का विकल्प चुना था, से ₹ 1.50 प्रति यूनिट पर विश्वसनीयता प्रभार उद्घग्न करने के लिए डिस्कोम्ज को अनुमत कर दिया था (14 मार्च 2013)। यद्यपि, ग्रिड लाईन पर जुड़े होने के कारण इस उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय थी, इस उपभोक्ता को इन अनुदेशों के अधीन नहीं लाया गया था और आपूर्ति ऊर्जा के लिए 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 55.32 लाख के विश्वसनीयता प्रभार उद्घग्नीत नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में उपभोक्ता को ऊर्जा कनैक्शन प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। प्रबंधन ने अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (अक्तूबर 2016)।

2.7.2 गलत श्रेणी में कनैक्शन जारी करने के कारण हानि

लोक जल निर्माण (पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.)¹¹ और गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.)¹² के अंतर्गत आने वाली उपभोक्ता श्रेणियों का टैरिफ लो-टेंसन (एल.टी.) औद्योगिक¹³/बृहद आपूर्ति¹⁴ श्रेणी की तुलना में उच्चतर होता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यमुनानगर परिमंडल के 13 उपमंडलों में लो-टेंसन (एल.टी.) के अधीन श्रेणीबद्ध 94 कनैक्शनों में से, 25 कनैक्शन

¹⁰ ₹ 54.52 लाख = (₹ 18,69,938 / .650 x 3.79) / 2

¹¹ पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. में सरकार और सरकारी उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित सीवरेज निपटान। ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि सहित पंप (सिंचाई से भिन्न) शामिल हैं।

¹² एन.डी.एस. टैरिफ सभी गैर-आवासीय परिसरों अर्थात् व्यावसायिक गृहों, स्कूलों, सिनेमा, कलबों, सार्वजनिक कार्यालयों, होटलों इत्यादि पर लागू होता है।

¹³ एल.टी. 50 के.डब्ल्यू. तक सभी लघु औद्योगिक कनैक्शनों को एल.टी. औद्योगिक लोड।


¹⁴ बृहद आपूर्ति श्रेणी के अंतर्गत कनैक्शन एम.ई.एस., ट्रेक्शन से अन्य रेलवे, केंद्रीय पी.डब्ल्यू.डी., अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के लिए 10 के.डब्ल्यू. से अधिक सामान्य या मिश्रित लोड के लिए प्रदान किए जाते हैं।

पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के अधीन वर्गीकृत किए जाने चाहिए थे क्योंकि ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड़ा) में जलापूर्ति के लिए जारी किए गए थे और 69 को एन.डी.एस. श्रेणी के अधीन क्योंकि ये बैंकों, स्कूलों, होटलों, टेलीफोन एक्सचेंज और वन विभाग के कार्यालयों को जारी किए गए थे। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 2011-12 से 2015-16 (फरवरी 2016 तक) के दौरान ₹ 34.79 लाख (₹ 18.51 लाख पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. कनैक्शनों में और ₹ 16.28 लाख एन.डी.एस. कनैक्शनों में) की कम वसूली हुई। कंपनी ने कम प्रभारित की गई राशि की वसूली को प्रभावित करने वाले कनैक्शनों की श्रेणी को बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की (मार्च 2016)।

2.7.3 स्वराब/जले/बंद मीटर्ज का न बदला जाना

निष्पादन के मानदंड पर 16 जुलाई 2004 का एच.ई.आर.सी. विनियम अपेक्षा करता है कि दोषपूर्ण मीटर प्रतिस्थापित मीटरों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। कंपनी के विक्रय मैनुअल में स्वराब मीटर के सूचित किए जाने के एक माह के भीतर बदले जाने का प्रावधान है। नीचे चार्ट 2.3, 2015-16¹⁵ तक गत पांच वर्षों के दौरान स्वराब मीटरों के बदले जाने की स्थिति इंगित करता है:

चार्ट 2.3: स्वराब मीटरों के बदले जाने की स्थिति



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि स्वराब मीटरों के एक प्रतिशत का मानक कभी प्राप्त नहीं किया गया था। आगे, बिलिंग डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि स्वराब मीटर एक माह की निर्धारित समय सीमा के भीतर बदले नहीं गए थे क्योंकि चयनित परिमिलों में 2011-16 के दौरान 1.34 लाख उपभोक्ताओं की बिलिंग एक वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार औसत आधार पर की गई थी। एच.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेशों में देखा था (10 जनवरी 2013) कि लंबी अवधियों तक स्वराब/बंद मीटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के परिणामस्वरूप न केवल उपभोक्ता को परेशानी होती है बल्कि आपूर्ति विद्युत की अनुपयुक्त बिलिंग और माप से कंपनी का राजस्व भी प्रभावित होता है।

¹⁵


फरवरी 2016 तक।

2.7.4 इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्ज को स्टैटिक मीटर्ज के साथ न बदला जाना

मार्च 2006 में, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने निर्धारित किया कि सभी उपभोक्ताओं के मीटर स्टैटिक प्रकार के होंगे। इन विनियमों की अनुपालना न करने वाले मीटर्ज, कंपनी द्वारा स्वयं या उपभोक्ताओं के अनुरोध पर बदले जाने चाहिए। एच.ई.आर.सी. ने टैरिफ आदेशों (26 जून 2012 और 7 मई 2015) में देखा कि भारी संख्या में इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्ज जो विद्युत रिकार्डिंग सही ढंग से नहीं कर रहे थे 31 मार्च 2016 तक बदलने शेष थे।

नीचे चार्ट 2.4 बदले गए तथा बदलने के लिए लंबित इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्ज की 2015-16 तक गत पांच वर्षों के दौरान की स्थिति इंगित करता है:

चार्ट 2.4: इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टैटिक मीटर्ज से बदलने की स्थिति



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मीटर्ज के बदलने की प्रतिशतता 2011-14 के दौरान बढ़ गई थी, 31 मार्च 2016 को कुल 4.64 लाख इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्ज स्टैटिक मीटर्ज के साथ बदले जाने लंबित थे जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण तथा परिणामी हानि हुई।

प्रबंधन ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि शहरी क्षेत्रों में 70-80 प्रतिशत मीटर्ज बदले जा चुके थे परंतु कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का सामना कर रही थी और सभी खराब/इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर्ज बदलने का आश्वासन दिया।

2.7.5 स्वतंत्र फीडर उपभोक्ताओं से यूनिटज का कम प्रभारण

विक्रिय मैनुअल में प्रावधान है कि स्वतंत्र फीडर के मामले में, दो मीटर्ज प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए एक उपभोक्ता स्थान पर और दूसरा सब-स्टेशन सिरे पर। दोनों मीटर्ज के बीच खपत में अंतर के मामले में दोनों में से उच्चतर को बिलिंग के लिए लिया जाएगा।


लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने ₹ 26.84 लाख जो अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान छ: उपभोक्ताओं (यमुनानगर में पांच और सोनीपत परिमंडल में एक) के संबंध में प्रतिस्थापित दो मीटर्ज की उच्चतर रीडिंग के आधार पर देय थे प्रभारित नहीं किए। कंपनी ने उपभोक्ताओं से इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की (जुलाई 2016)।

2.7.6 अग्रिम खपत जमा का संशोधन न करना

बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी समर्थक विनियमों के अनुसार, कंपनी संबंधित उपभोक्ता श्रेणियों के चार/दो महीनों के ऊर्जा खपत प्रभारों के बराबर अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) वसूल कर सकती है। वार्षिक खपत के आधार पर ए.सी.डी. में संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जाना चाहिए।

नीचे चार्ट 2.5, 2011-12 से 2015-16 तक गत पांच वर्षों के दौरान अपेक्षित और उपलब्ध ए.सी.डी. इगित करता है।

चार्ट 2.5: अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) अपेक्षित तथा उपलब्ध



स्रोत: कंपनी तथा वार्षिक लेखाओं द्वारा प्रदत्त डाटा।

यह अवलोकित किया जा सकता है कि पिछली अवधियों की खपत पद्धति पर आधारित वसूलनीय ए.सी.डी. 2011-12 में ₹ 37.93 करोड़ से 2015-16 में ₹ 261.95 करोड़ तक बढ़ गई थी। कंपनी को, वसूल न की गई ए.सी.डी. के कारण ₹ 30.60 करोड़ (उधार देने की दर तथा ए.सी.डी. उपभोक्ताओं को भुगतान की जाने वाली एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज की दर के मध्य अंतर पर परिकलित) अतिरिक्त ब्याज लागत बैंकों से निधियां उठाने के कारण देनी पड़ी थी।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कुछ परिमंडलों में ए.सी.डी. संशोधित कर दिया गया था तथा स्वयं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से ए.सी.डी. संशोधित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

2.7.7 उपभोक्ता प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए ब्याज पर टी.डी.एस. की कटौती न करना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार कंपनी प्रत्येक ₹ 5,000 से अधिक ब्याज पर 10 प्रतिशत (व्यक्तिगत) तथा 20 प्रतिशत (कंपनियों) की दर पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी हैं। स्रोत पर कर की कटौती न करने के मामले में, भुगतान प्राप्तकर्ता, चूक की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज के अतिरिक्त स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि के बराबर पेनलटी के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सोनीपत परिमंडल की दो उप मंडलों¹⁶ में कंपनी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान बृहद आपूर्ति (एल.एस.) तथा मध्यम आपूर्ति (एम.एस.) को उनके ए.सी.डी. पर ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था परंतु ₹ 22.51 लाख के आयकर की कटौती नहीं की यद्यपि प्रत्येक मामले में ब्याज भुगतान ₹ 5,000 से अधिक था। इसने ₹ 22.51 लाख की पेनलटी तथा आगे ₹ 9.95 लाख (मार्च 2016 तक) का दण्डिक ब्याज आकृष्ट किया। इस प्रकार, स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता ने ₹ 32.46 लाख की देयता सृजित की।

2.7.8 बिलिंग डाटा के विश्लेषण में अवलोकित त्रुटियाँ

कंपनी ने बिलों के सृजन का कार्य (अर्थात् डाटा एंट्री, कंप्यूटराइज्ड बिलों का सृजन तथा प्रिंटिंग) दो एजेंसियों को दिया (फरवरी 2007) जो सभी उपभोक्ताओं के लिए डाटा बेस रखती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बिलों के सृजन हेतु बाह्य एजेंसी के माध्यम से 18 शहरों में जहां यह पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति की थी, एक सिस्टम स्थापित किया है।

(क) मीटर रेंट को कम प्रभारित करना

सामान्य एवं विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार कंपनी द्वारा सितंबर 2011 से जहां मीटर स्थापित किए गए थे सिंगल फेज मीटर (विक्रय अनुदेश यू-27/2011) के लिए ₹ 20 प्रति माह तथा तीन फेज मीटर के लिए ₹ 30 प्रति माह मीटर किराया प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने 2011-16 के दौरान 2.23 लाख बिलों में 1.86 लाख उपभोक्ताओं से ₹ 47.64 लाख का मीटर किराया कम प्रभारित किया था। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

(ख) दोषपूर्ण/जले हुए मीटरों पर मीटर रेंट की वसूली

सेल्स मैनुअल के अनुसार, यदि कंपनी द्वारा आपूर्ति मीटर बंद अथवा त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो मीटर बंद अथवा खराब रहने की अवधि के लिए कोई मीटर सेवा प्रभार (मीटर रेंट) वसूलनीय नहीं है। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने 2011-16 के दौरान 22.14 लाख बिलों में उस अवधि, जिसमें मीटर खराब रहे, के लिए ₹ 9.22 करोड़ का मीटर रेंट प्रभारित किया था जो उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार था।

¹⁶ सिटी उप-मंडल तथा राई उप-मंडल।

(ग) उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी करने में विलंब

आपूर्ति संहिता के अनुसार, नए कनैक्शन का प्रथम बिल उपभोक्ताओं को अगली बिलिंग चक्र के बिलों के साथ जारी किया जाएगा। विक्रय मैनुअल भी अपेक्षा करता है कि संबंधित उप-मंडल अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए गए सभी नए कनैक्शनों के लिए बिल समय पर जारी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयन किए गए परिमंडलों में नए कनैक्शनों के प्रथम बिल गैर-घरेलू आपूर्ति श्रेणी में चार माह से लेकर 17 वर्षों से अधिक तथा घरेलू आपूर्ति श्रेणी में चार माह से लेकर 18 वर्षों से अधिक समय तक शृंखलित विलंब के साथ जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 2011-16 के दौरान ₹ 27.65 करोड़ के राजस्व की विलंबित वसूली पर ₹ 3.19 करोड़ के व्याज की हानि हुई।

(घ) बिजली शुल्क का अनुदग्धण

विक्रय मैनुअल के अनुसार, बिलिंग साइकिल के दौरान उपभोग की गई के.डब्ल्यू.एच. यूनिट्स पर उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क (ई.डी.) प्रभारित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार संगठनों पर ई.डी. के उद्ग्रहण से छूट दी थी। फिर भी, उनकी रिहायशी कालोनियां तथा कैटीन ई.डी. के उद्ग्रहण की छूट से आवृत्त नहीं थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- (i) कंपनी ने रेलवे को दो कनैक्शन प्रदान किए, एक उत्तरी रेलवे वर्कशाप, यमुनानगर तथा दूसरा रेलवे कालोनी सोनीपत जो रिहायशी टाउनशिप प्रयोजन हेतु प्रयोग किए गए थे। अप्रैल 2010 से दिसंबर 2015 के दौरान रिहायशी कालोनी में उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर ₹ 25.90 लाख की राशि का ई.डी. प्रभारित नहीं किया गया।
- (ii) 2011-16 के दौरान आपूर्ति 15.69 एम.यू.ज विद्युत के विरुद्ध 6,809 बिलों में 1,283 उपभोक्ताओं से ₹ 15.69 लाख की राशि का ई.डी. प्रभारित नहीं किया गया।

इस प्रकार, कंपनी ने ₹ 41.59 लाख का ई.डी. कम उदगृहीत किया था। ई.डी. का अभुगतान, वसूल न किए गए शुल्क से चार गुणा तक की पेनल्टी भी आकृष्ट कर सकता है।

(ड.) विलंबित भुगतानों के लिए न लगाया गया सरचार्ज

विक्रय मैनुअल के अनुसार, यदि उपभोक्ता देय तिथि तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करते, तो मासिक/द्विमासिक बिलों के विलंबित भुगतान के लिए 1.5/3 प्रतिशत सरचार्ज प्रभारित किया जाएगा।


लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2011-16 के दौरान ₹ 21.53 करोड़ के विद्युत बिक्री बकाया (एस.ओ.पी.) वाले 21 हजार उपभोक्ताओं को जारी 30 हजार बिलों में ₹ 71.76 लाख का सरचार्ज उदगृहीत नहीं किया। कंपनी ने वसूली के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी (मार्च 2016)।

(च) उपभोक्ताओं द्वारा भार का अनाधिकृत प्रयोग

विक्रिय मैनुअल निर्धारित करता है कि यदि कनेक्टिड लोड, संस्वीकृत लोड के 10 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो वन टाइम पेनलटी लगाई जाएगी। यदि वास्तविक खपत उपलब्ध नहीं है तो घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत का निर्धारण एल.डी.एच.एफ.¹⁷ फार्मूला के आधार पर किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 9.52 लाख डी.एस. उपभोक्ताओं ने 2011-16 के दौरान 1,407.78 एम.यूज विद्युत की खपत की जबकि एल.डी.एच.एफ. फार्मूला के अनुसार खपत केवल 754.80 एम.यूज होनी चाहिए। आगे, 100 प्रतिशत भार घटक पर 24 घंटों के लिए पूर्ण संस्वीकृत लोड पर खपत किए जाने वाले अधिकतम संभावित यूनिट्स संस्वीकृत लोड के यूनिट्स के 1.81 से 3.07 गुणा तक परिकलित किए गए हैं जैसाकि नीचे चार्ट 2.6 में वर्णित है:

चार्ट 2.6: उपभोक्ताओं द्वारा लोड का अनाधिकृत प्रयोग



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

2015-16 तक गत पांच वर्षों के दौरान लोड का अनाधिकृत प्रयोग के परिणामस्वरूप, उनके संस्वीकृत लोड के अनुसार अधिकतम संभावित खपत को ध्यान में रखने के बाद 117.99 एम.यूज विद्युत की अधिक खपत हुई। कंपनी द्वारा उपभोक्ता का खपत पैटर्न ध्यान में रखते हुए उनको, उनका संस्वीकृत लोड बढ़ाने तथा अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। कंपनी ने इस हेतु स्टेटिक मीटिंग में पहले से उपलब्ध तकनीकी विशेषताओं/क्षमताओं का प्रयोग नहीं किया।

¹⁷ विद्युत की चोरी के मामले में पेनलटी लगाने के लिए प्रयुक्त फार्मूला (एल. = उपभोक्ता का लोड, डी. = दिन, एच. = 16 घंटे, एफ. = 0.25 डी.एस. को लागू घटक।

(छ) बिलिंग आवधिकता का पालन न करना

सप्लाई कोड यह प्रावधान करता है कि कंपनी द्वारा डी.एस. तथा एन.डी.एस. (20 के.डब्ल्यू. लोड तक) के संबंध में उपभोक्ताओं को दो माह तक की अवधि के लिए बिल जारी करने चाहिए। निम्न तालिका 2015-16 तक गत पांच वर्षों के दौरान बिल प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ब्याज की हानि सूचित करती है।

तालिका संख्या: 2.1: बिल प्रस्तुत करने में विलंब के कारण ब्याज की हानि

दिनों की रेंज	बिलों की संख्या (लाख में)	बिल की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
70-80	1.87	7.46	0.14
80-100	1.36	5.46	0.38
100-120	1.56	7.24	1.02
120 से अधिक	5.84	29.99	7.52
कुल	10.63	50.15	9.06

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

बिलों के तैयार करने में निर्धारित आवधिकता का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप सप्लाई कोड के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त ₹ 9.06 करोड़¹⁸ के ब्याज की हानि हुई थी।

(ज) उपभोक्ताओं का पूर्ण ब्यौरा न रखना

आपूर्ति कोड प्रावधान करता है कि नया कनैक्शन प्रदान करने के लिए आवेदन फार्म आवेदक की फोटोग्राफ, पहचान प्रूफ, परिसर पर स्वामित्व अथवा कानूनी अधिकार, आवेदक के वर्तमान पते के प्रूफ सहित हर प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। उपभोक्ता का नाम, पता तथा खाता संख्या बिल पर प्रिंट किया जाना होता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2011-16 के दौरान 4.17 लाख उपभोक्ताओं के 32.07 लाख बिलों के बिलिंग डाटाबेस में पता उपलब्ध नहीं था। परिणामतः चूककर्त्ता उपभोक्ताओं के परिसर ढूँढते समय तथा उसी परिसर में नया कनैक्शन जारी करने के मामले में अनापत्ति प्रमाण - पत्र जारी करते समय कंपनी अपंग हो सकती है।

2.7.9 अत्यधिक उप संचारण तथा वितरण हानियाँ

वितरण के दौरान विद्युत की हानियाँ मुख्यतः दो कारणों से अर्थात् तकनीकी एवं वाणिज्यिक होती हैं। तकनीकी हानियाँ, विद्युत संचारण एवं वितरण के लिए प्रयुक्त उपकरण के अन्तर्निहित प्रकृति के कारण होती हैं तथा वाणिज्यिक हानियाँ विद्युत की चोरी, दोषपूर्ण भीटरों तथा भीटर राहित आपूर्ति लेने के कारण होती हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2011-12 में जबकि कंपनी की कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (ए.टी. एवं सी.) हानियाँ एच.ई.आर.सी. मानकों के अंदर थी वे 2012-16 के दौरान बढ़ गई जैसाकि **परिशिष्ट 4** में दर्शाई गई हैं। परिणामतः कंपनी को ₹ 1,729.75 करोड़ की अतिरिक्त हानियाँ वहन करनी पड़ी थी। उच्च ए.टी. एवं सी. हानियों के लिए मुख्य कारण


¹⁸

60 दिनों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध 70 दिनों से अधिक खपत अवधि वाले बिल की राशि पर ब्याज परिकलित किया गया।

जैसाकि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किए गए, ए.पी. उपभोक्ताओं को मीटर रहित आपूर्ति, दोषपूर्ण मीटरों के कारण कम बिलिंग तथा इलैक्ट्रो-मैकैनिकल मीटरों का न बदलना था, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है।

कंपनी ने अपने फीडरज पर हानियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। नीचे 2.7 चार्ट मार्च 2014 से मार्च 2016 के दौरान लाइन हानियों की फीडर वार रेंज की समग्र स्थिति सूचित करता है।

चार्ट 2.7: फीडरज की संख्या तथा उनकी लाइन हानियों की प्रतिशतता



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि लाइन हानियों वाले फीडरज की संख्या मार्च, 2014 को 735 से मार्च, 2016 में 843 तक 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई थी तथा फीडरज, जिन पर हानियां 80 प्रतिशत से अधिक थी, की संख्या भी मार्च, 2014 को 187 से मार्च, 2016 में 409 तक बढ़ गई थी।

पुनः, एच.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेश (2015) में निर्देश दिया था कि 31 मार्च 2015 को 50 प्रतिशत से अधिक लाइन हानियों वाले ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) फीडरज की संख्या मार्च 2016 तक आधी तक कम की जाए और सभी शहरी फीडरज की हानियां मार्च 2016 तक 25 प्रतिशत तक लाई जाए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2015 को 823 आर.डी.एस. फीडरज में से 765 में लाइन हानियां 50 प्रतिशत से अधिक थीं और ये 2016 में 950 फीडरज में से 806 तक बढ़ गईं। इसी प्रकार, शहरी फीडरज की लाइन हानियां 25 प्रतिशत तक कम नहीं की जा सकीं क्योंकि 602 फीडरज में से 183 ने 25 प्रतिशत से अधिक हानियां की (मार्च 2016)।

2.8 राजस्व का संग्रहण

सभी श्रेणियों के संबंध में बिल किया गया राजस्व संबंधित उप मंडलों पर तथा इस प्रयोजन हेतु कंपनी द्वारा नियुक्त संग्रहण एजेंसियों द्वारा भी संगृहीत किया जाता है। कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि देय राजस्व शीघ्रता से संगृहीत किया जाए तथा बकायों का संचय न हो।

2.8.1 राजस्व संग्रहण की दक्षता

फरिशिष्ट 5 में दिए गए अनुसार 2011-12 से 2015-16 तक समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित, संगृहीत तथा बकाया शेष राजस्व के ब्यौरे ने प्रकट किया कि:

- दक्षता संग्रहण 2011-12 में 57 प्रतिशत से 2015-16 में 67 प्रतिशत तक बढ़ने के बावजूद बकाया शेष अप्रैल 2011 में ₹ 2,735.84 करोड़ से मार्च 2016 में ₹ 3,802.47 करोड़ तक बढ़ गए थे।
- केवल दो माह के निर्धारण तक सीमित उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं के विरुद्ध बकाया राजस्व - शेष ने 5.56 से 8.41 माहों का निर्धारण निरूपित किया।
- बकाया राशि के आयुवार विश्लेषण ने प्रकट किया कि इसमें तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ₹ 822.46 करोड़ शामिल थे जिसने दर्शाया कि बकाया देय वसूल करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे; तथा
- 31 मार्च 2016 को ₹ 3,802.47 करोड़ के बकाया देनदारों में ₹ 3,208.72 करोड़ के अन्य देनदारों को छोड़ते हुए अंतर्राज्य बिक्री के कारण ₹ 593.74 करोड़ शामिल हैं। कंपनी की वाणिज्यिक विंग द्वारा अनुरक्षित देनदारों की उपभोक्ता लेजरों (कनैकिटड तथा डिस्कनैकिटड उपभोक्ता) ने ₹ 1,283.18 करोड़ का अंतर छोड़ते हुए ₹ 1,925.54 करोड़ के देनदार दर्शाए जिसका अभी तक मिलान नहीं किया गया था (मार्च 2016)।

प्रबंधन ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि निर्धारित राजस्व, चोरी पता लगने के मामलों/लोड कटौती प्लान में बिलों के प्रस्तुतिकरण के कारण बढ़ गया जबकि उसके विरुद्ध वास्तविक संग्रहण आरभिक अवधि के दौरान कम रहा। प्रबंधन ने आगे बताया कि उपभोक्ताओं से वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.8.2 कनैक्शनों की आवधिक जांच


विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 द्वारा उपकरण के निरीक्षण और जांच करने के लिए उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने हेतु लॉइसेंसी को प्राधिकार दिया गया है। कंपनी के परिचालन स्टॉफ द्वारा चैकिंग के अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों की सहायता से उपभोक्ताओं के परिसरों की चैकिंग करके छापे मारने का कार्य अपर-महानिदेशक पुलिस के नियंत्रण अधीन सतर्कता टीमों को सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2011-16 के दौरान उपभोक्ताओं की चैकिंग, उपभोक्ताओं की कुल संख्या का दो से सात प्रतिशत तक रही तथा ₹ 134.27 करोड़ की राशि निर्धारित चोरी मामलों में वसूलनीय रही। पुनः, कंपनी ने, उच्च हानियों वाले फीडर पर छापे मारने के लिए कोई रणनीतिक योजना नहीं बनाई थी।

2.8.3 चूककर्त्ताओं बकायों का संबंध

विक्रय मैनुअल के अनुसार, यदि बिल का भुगतान रियायत अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर नहीं किया जाता तो उपभोक्ता की आपूर्ति काट दी जानी चाहिए। इस प्रकार, डिस्कनैकिटड परिसर को आपूर्ति तब तक बहाल नहीं की जानी चाहिए जब तक उपभोक्ता द्वारा सभी देयों का भुगतान नहीं किया जाता। मार्च 2016 तक गत पांच वर्षों के राजस्व के बकायों की श्रेणीवार स्थिति (जींद¹⁹ सर्कल को छोड़कर) परिशिष्ट 6 में दर्शाई गई है। डिस्कनैकिटड चूककर्ता उपभोक्ताओं की स्थिति नीचे चार्ट 2.8 में प्रकट की गई है:

चार्ट 2.8: कनैकिटड तथा डिस्कनैकिटड चूककर्ता उपभोक्ताओं की स्थिति



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त डाटा।

जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है, कि कनैकिटड चूककर्ता 2011-12 में 4.20 लाख से 2015-16 में 5.50 लाख तक बढ़ गए थे तथा बकाया देय भी उसी अवधि के दौरान ₹ 781.49 करोड़ से ₹ 1,137.48 करोड़ तक बढ़ गए जो सूचित करते हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा चूक पर कनैकशन डिस्कनैकट नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, डिस्कनैकिटड उपभोक्ताओं से वसूलनीय चूक राशि 2011-12 में ₹ 549.75 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 788.06 करोड़ तक बढ़ गई थी जो सूचित करती है कि कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपनी बकाया चूक राशि वसूल करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि चयन किए गए सर्कलों में 492 डिस्कनैकिटड अस्थाई उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 2.26 करोड़ की चूक राशि जनवरी 2016 को वसूल नहीं की गई थी।

2.9 आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण उचित आश्वासन देने के लिए कि प्रबंधन के लक्ष्यों का दक्षता एवं प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है, के लिए प्रयुक्त एक प्रबंधन साधन है। प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण एवं जांच करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण साधनों में से एक है।

कंपनी ने अपनी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के माध्यम से 2014-15 तक हाई-टेंसन, लो टेंसन तथा अस्थाई कनैकशन एवं बल्क सप्लाई कनैकशनों की लेखापरीक्षा की है तथा

¹⁹

जींद सर्कल अगस्त 2013 में डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित किया गया।

डी.एस, एन.डी.एस. तथा ए.पी. कनैक्शनों की बाह्य लेखापरीक्षा जून 2014 तक पूर्ण कर ली थी। हमने अवलोकित किया कि जुलाई 2007 से मार्च 2014 के दौरान उठाई गई ₹ 46.70 करोड़ की वित्तीय आपत्तियों वाली 9,303 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां न तो प्रभारित की गई और न ही आज तक (मार्च 2016) संबंधित उप-मंडलों द्वारा समायोजित की गई। पुनः, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने प्रणाली की त्रुटियों पर टिप्पणी नहीं की थी जैसे समायोजन दावे फाइल करने में विलंब, गलत श्रेणी में कनैक्शनों का जारी करना, मीटर रेंट का कम प्रभारण, दोषपूर्ण/जले हुए मीटरों पर मीटर रेंट की वसूली, प्रथम बिल जारी करने में विलंब, वोल्टेज विनियमों का अनुपालन न करना तथा लोड का अनाधिकृत विस्तारण जिनका कंपनी के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

टैरिफ, बिलिंग तथा राजस्व के संग्रहण के संबंध में कंपनी के निष्पादन में अनेक पहलुओं पर कमियां पाई गई। एच.ई.आर.सी. के समक्ष सर्विस कनैक्शन प्रभारों के पिटीशन तथा ईंधन सरचार्ज समायोजन दावे प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 262.10 करोड़ की राशि की कम वसूली या अतिरिक्त लागत हुई। ए.पी. उपभोक्ताओं को अधिक आपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹ 425.97 करोड़ की लागत आई जो अवसूलनीय थी। इसने कंपनी की तरलता को प्रभावित किया। पुनः, उपभोक्ताओं को विद्युत कनैक्शन प्रदान करने, मीटरिंग तथा बिलिंग से संबंधित सप्लाई कोड का अनुपालन न करने के कारण ₹ 1.71 करोड़ की हानि अथवा अवसूली हुई। कंपनी ने उपभोक्ताओं से नियमित आधार पर वसूलनीय ₹ 261.95 करोड़ के अग्रिम खपत जमा, गत अवधियों की उनकी खपत पद्धति के आधार पर संशोधित नहीं किए थे। मीटर रेट का कम प्रभारण, उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी में विलंब तथा बिलिंग की आवधिकता का अनुपालन न करने के कारण ₹ 12.73 करोड़ की हानि हुई। लोड के अनाधिकृत प्रयोग में वृद्धि तथा दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मीटरों के तथा स्टेटिक मीटरज के साथ इलैक्ट्रो-मैट्रिकल मीटरज के प्रतिस्थापन में विलंब के कारण राजस्व की हानि संभवतः उच्चतर थी। एच.ई.आर.सी. के निर्धारित मानकों के अनुसार संचारण तथा वितरण हानियां रोकने में अपनी विफलता के कारण कंपनी द्वारा ₹ 1,729.75 करोड़ की हानि भी वहन करनी पड़ी थी।

अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी:

- अपने ए.आर.आरज एकदम सही एवं समय पर बनाना सुनिश्चित करे ताकि एच.ई.आर.सी. के विचार हेतु प्रस्तावों में सभी लागतें तथा दावे विधिवत प्रस्तुत किए जा सकें;
- टैरिफ आदेशों, विद्युत अधिनियम के प्रावधानों तथा विद्युत आपूर्ति के लिए बिलिंग के समय तथा उपभोक्ताओं को रियायत अनुमत करते समय सप्लाई कोड का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें;
- एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों के साथ-साथ इलैक्ट्रो-मैट्रिकल मीटर प्रतिस्थापित करने हेतु वित्तीय एवं मानवशक्ति संसाधनों के पर्याप्त वचनबद्धता के साथ समयबद्ध कार्यक्रम विकसित करें;

- उपभोक्ता बिलों के प्रस्तुत करने हेतु प्रयुक्त उपभोक्ता डाटा बेस पर तार्किक नियंत्रण तथा मामलों, जहां संस्कीकृत लोड से अधिक खपत है, की आवधिक समीक्षा सुदृढ़ करे;
- एच.ई.आर.सी., के निर्धारित मानकों के अनुसार ए.टी. एड सी. हानियों की प्रगतिशील कटौती के लिए एक रणनीति विकसित करे; तथा
- अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा की बेहतर आवृत्ति तथा प्रणाली त्रुटियों पर समय पर उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

मामला सरकार को अगस्त 2016 में भेजा गया था, इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

अध्याय ३

लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां



3 लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकारी कंपनियों तथा साविधिक निगमों के लेन-देनों की नमूना-जांच से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

सरकारी कंपनियां

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.1 निविदा आमंत्रण नोटिस की शर्तों को लागू करने में विफलता

अनुबंध को हस्ताक्षरत करने से पहले खरीद आदेशों को जारी करने के साथ-साथ बिड-सिक्योरिटी की वैधता से संबंधित एन.आई.टी. की शर्तों को लागू करने में समयोचित कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप निम्नतम बोलीकर्ता घोषित होने के बाद फर्म अनुबंध से पीछे हट गई। कंपनी द्वारा अभी ₹ 48 लाख की बिड-सिक्योरिटी वसूल की जानी है।

कंपनी ने टर्नकी आधार पर पंचकूला एरिया में 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइनों की आपूर्ति, निर्माण, टैस्टिंग तथा कमीशनिंग के लिए निविदाएं आमत्रित की (अक्टूबर 2013)। निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) के अनुसार, बोलीकर्ताओं को बोली खुलने की तिथि से सात महीनों की अवधि के लिए तथा बाद में अपेक्षित किसी विस्तारण के लिए ₹ 48 लाख की एक बिड-सिक्योरिटी जमा करना अपेक्षित था। सफल बोलीदाता द्वारा अवार्ड की अधिसूचना (कंपनी द्वारा स्वीकृति-पत्र) के तीस दिनों के भीतर अनुबंध करार को हस्ताक्षर करना तथा अनुबंध मूल्य की 10 प्रतिशत की दर पर एक निष्पादन गारंटी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यदि सफल बोलीकर्ता समझौते को हस्ताक्षर करने या निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो सिक्योरिटी जब्त की जानी थी।

एन.आई.टी. के जवाब में, तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा अवार्ड की अधिसूचना ₹ 26.60 करोड़ के मूल्य पर निम्नतम बोलीदाता को जारी कर दी गई थी। अवार्डी ने 31 जुलाई 2014 तक वैध तथा बाद में 30 सितंबर 2014 तक बढ़ाई गई अवधि के लिए ₹ 48 लाख की बैंक गारंटी (बी.जी.) प्रस्तुत की थी। ₹ 26.60 करोड़ के लिए 1 जुलाई 2014 को स्वीकृति-पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया गया था।

एन.आई.टी. की शर्तों में, ठेकेदार को अनुबंध समझौता हस्ताक्षर करना तथा 31 जुलाई 2014 तक बी.जी. के रूप में ₹ 2.66 करोड़ की निष्पादन गारंटी (पी.जी.) प्रस्तुत करना अपेक्षित था। कंपनी ने क्रय आदेश जारी कर दिए (16 सितंबर 2014) यद्यपि, अनुबंध अभी हस्ताक्षरित किया जाना था। ठेकेदार ने ₹ 2.66 करोड़ की पी.जी. जमा नहीं करवाई। कंपनी ने अनुबंध को हस्ताक्षर करने का मामला 22 सितंबर 2014 को उठाया यानि अनुबंध समझौता हस्ताक्षर 30 दिन की अपेक्षित अवधि के समाप्त होने के बाद तथा बिड-सिक्योरिटी (अक्टूबर 2014 तथा नवंबर 2014) के लिए स्मरण-पत्रों के बाद बी.जी. 30 सितंबर 2014 को रद्द हो गई थी।

क्रय आदेश अंततः 11 मार्च 2015 को समाप्त कर दिया गया था तथा ₹ 29.20 करोड़ की कीमत पर दूसरी फर्म को पुनः अवार्ड कर दिया गया (नवंबर 2015)। कंपनी ने जुलाई 2016 तक ₹ 8.10 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

आडिट ने अवलोकित किया कि बिड-सिक्योरिटी, जोकि यह आश्वासन लेने का साधन है कि चयनित बोलीदाता अनुबंध को हस्ताक्षर करेगा तथा चूक के मामले में बिड-सिक्योरिटी को समर्पित कर देगा, 30 सितंबर 2014 को रद्द हो गई थी तथा इसे बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कंपनी को बिड-सिक्योरिटी की वैधता की निरंतरता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था जब इसने 22 सितंबर 2014 को अनुबंध को हस्ताक्षर करने का मामला उठाया था जोकि 30 सितंबर 2014 को बिड-सिक्योरिटी वैधता के समाप्त होने से केवल 8 दिन पहले किया गया था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2016) कि फर्म तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी तथा ₹ 48 लाख जो जब्त किए जाने थे, शेष कार्य की समाप्ति के बाद जोखिम तथा लागत राशि के साथ ठेकेदार से वसूल कर लिए जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा क्रय आदेश को जारी करने से पहले अनुबंध को हस्ताक्षर करने के साथ-साथ ₹ 48 लाख की बी.जी. की वैधता को सुनिश्चित करने हेतु समयोचित कार्रवाई से स्थिति को बदला जा सकता था तथा निम्नतम बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद अनुबंध से पीछे हटने से फर्म को रोका जा सकता था।

3.2 बैंक गारंटी को लागू करने में विफलता

ठेकेदार की चूक पर बैंक गारंटी को पूरी तरह भुनाने की कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.36 लाख की अवसूली हुई।

कंपनी द्वारा अनुबंध को हस्ताक्षर करने की तिथि से 12 महीनों यानि फरवरी 2012 तक की पूर्णता की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 29.12 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए कार्य दिया गया था (मार्च 2011)। अनुबंध की नियमों एवं शर्तों में प्रावधान किया गया था कि यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य के निष्पादन में असफल हुआ तो कंपनी अनुबंध को खत्म कर सकती थी। ऐसी स्थिति में कंपनी ठेकेदार से कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त कीमत, यदि कोई हो, वसूल करने की हकदार थी।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ने ₹ 1.95 करोड़ तथा ₹ 0.91 करोड़ की दो बी.जी. के साथ-साथ निष्पादन सिक्योरिटी के लिए ₹ 2.86 करोड़ की बैंक गारंटी (बी.जी.) प्रस्तुत की (मार्च 2011)। कंपनी ने ठेकेदार के रनिंग बिलों से ब्याज सहित वसूलनीय मोबीलाइजेशन अग्रिम के लिए ₹ 2.86 करोड़ का भुगतान किया (अप्रैल 2011)।

कंपनी ने जिस सीमा तक मोबीलाइजेशन अग्रिम वसूलनीय था, लेने के बाद ₹ 1.95 करोड़ की बी.जी. वापस कर दी (दिसंबर 2012)। तथापि, ठेकेदार कार्य को पूरा करने में समर्थ नहीं हुआ और कंपनी ने अनुबंध को खत्म कर दिया (फरवरी 2014)। अनुबंध को खत्म करते समय, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटी.डी.जे.) ने निर्णय किया (फरवरी 2014) कि ठेकेदार के बी.जी. को न केवल व्याज सहित मोबीलाइजेशन अग्रिम वसूल करने के लिए बल्कि भविष्य में चूककर्त्ता ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर किए जाने वाले कार्य पर होने वाली प्रत्याशित अतिरिक्त लागत तथा लिकविडेटिड डैमेजिज (एल.डी.) को वसूलने के लिए भी भुनाया जाए। तदनुसार, कंपनी ने पूर्ण मात्रा में ₹ 2.86 करोड़ के बी.जी. को भुनाकर तथा ठेकेदार के रनिंग बिलों से ₹ 2 लाख की कटौती करके निष्पादन सिक्योरिटी के प्रति ₹ 2.88 करोड़ वसूल किए। कंपनी ने ठेकेदार के रनिंग बिलों से ₹ 2.91 करोड़ की एल.डी. की भी कटौती की। मोबीलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध प्राप्त ₹ 0.91 करोड़ की शेष बी.जी., बकाया मोबीलाइजेशन अग्रिम तथा उस पर व्याज के बराबर ₹ 54.64 लाख की सीमा तक आंशिक रूप से (मार्च 2014) भुना ली गई थी।

₹ 10.23 करोड़ मूल्य के बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने एक निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किया (जून 2014) तथा कार्य को ₹ 16.75 करोड़ की कुल लागत पर दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया (जनवरी 2015) यानि ₹ 6.52 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर जिसमें ₹ 14.61 करोड़ की कीमत का कार्य अभी तक (जुलाई 2016) पूरा कर लिया गया है। व्यय की जाने वाली संभावित ₹ 6.52 करोड़ की अतिरिक्त लागत के विरुद्ध कंपनी के पास उपलब्ध कवरेज ₹ 4.40 करोड़ था अर्थात् यह ₹ 2.12 करोड़ कम था। इसी प्रकार, अतिरिक्त लागत को आवृत्त करने के लिए कंपनी को मोबीलाइजेशन अग्रिम के प्रति इसके पास उपलब्ध ₹ 0.91 करोड़ की पूर्ण बी.जी. भुना लेनी चाहिए थी।

सरकार ने बताया (अगस्त 2016) कि बी.जी. का पूरा इनवोकेशन क्लेम बैंक के पास प्रस्तुत कर दिया गया था (28 फरवरी 2014) लेकिन बैंक ने बताया कि ठेकेदार द्वारा देय सभी धन के लिए ही दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कंपनी ने यह बकाया, मोबीलाइजेशन अग्रिम अर्थात् ₹ 54.64 लाख की सीमा तक कम कर दिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (नवंबर 2015) कि कंपनी ने प्रारंभ में जारीकर्त्ता बैंक से, बैंक गारंटी की पूरी राशि की मांग की थी (28 फरवरी 2014 तथा 4 मार्च 2014) जो बाद में बकाया मोबीलाइजेशन अग्रिम की सीमा तक कम कर दी गई थी। अभिलेखों का अवलोकन प्रकट करता है कि कंपनी ने स्वयं बैंक को इस बात की पुष्टि की थी कि ठेकेदार से कुल वसूलनीय राशि ₹ 54.64 लाख थी यद्यपि यह ₹ 0.91 करोड़ की पूर्ण बैंक गारंटी को इनवोक करने के लिए जोर डाल सकती थी और इसे ले सकती थी। यदि यह पूरा भुना लिया जाता तो यह आगे ₹ 36.36 लाख वसूल कर सकती थी जो उस सीमा तक अतिरिक्त लागत के अंतर को कम कर सकता था।

निष्पादन सिक्योरिटी के ₹ 2.88 करोड़ तथा ठेकेदार के रनिंग बिलों से कटौती की गई रिटेंसन मनी के ₹ 1.52 करोड़ जो कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् जारी की जानी थी।

3.3 पुनःनिविदा के कारण अतिरिक्त व्यय

कंपनी ने बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन किया तथा कार्य की पुनःनिविदा के कारण उसे ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

कंपनी ने 220 के.वी. तथा 132 के.वी. ट्रांसमिशन लाइनों के लिए प्लाट की प्राप्ति, डिजाइन, आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन, परीक्षण तथा कमीशनिंग के लिए विश्व बैंक वित्तपोषित (डब्ल्यू.बी.) स्कीमों के अंतर्गत सिंगल पार्ट टेंडर इंक्वायरी आमत्रित की (जुलाई 2012)। बोली शर्तों में अपेक्षित था कि बोली के मूल्यांकन तथा अनुबंध अवार्ड की अनुशंसा से संबंधित सूचना तब तक बोलीदाता को प्रकट नहीं की जाए जब तक कि अनुबंध अवार्ड की सूचना सभी बोलीदाताओं को न दे दी जाए।

प्राप्त चार बोलियों (पैकेज 'ए') में निम्नतम बोलीदाता (एल-1) ने किसी अन्य फर्म के साथ ज्वाइंट वैन्चर (जे.वी.) एग्रीमेंट करने के बाद ₹ 18.14 करोड़ की उद्धृत दरों के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में बोली में भाग लिया। उपर्युक्त कथित बोली शर्तों की अवहेलना करते हुए, कंपनी ने एल-1 बोलीदाता को सूचित किया (27 फरवरी 2013) कि इसकी बोली नॉन-रिस्पासिव थी तथा इसको और अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। एल-1 बोलीदाता ने स्पष्ट किया (7 मार्च 2013) कि बोली को पूर्ण तथा मूल्यांकित माना जाए।

कंपनी ने ₹ 18.76 करोड़ की उद्धृत दर पर एल-2 बोलीदाता को आईर देने के लिए विश्व बैंक की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया (15 मार्च 2013) तथा सहमति के लिए विश्व बैंक को बोली मूल्यांकन रिपोर्ट (बी.ई.आर.) भेज दी (8 अप्रैल 2013)। विश्व बैंक ने सूचित किया (28 मई 2013) कि यह पैकेज 'ए' की समीक्षा नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी ने विश्व बैंक को समीक्षा के लिए बी.ई.आर. के प्रस्तुतिकरण से पहले ही एक बोलीदाता को मूल्यांकित स्थिति प्रकट कर दी थी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पैकेज 'क' के लिए अपने मूल्यांकन को रद्द करने का निर्णय लिया तथा टेंडर दोबारा आमत्रित किया (1 अगस्त 2013)। अंततः डब्ल्यू.बी. की सहमति प्राप्त करने के बाद ₹ 20.78 करोड़ के मूल्य पर किसी अन्य फर्म को अनुबंध अवार्ड किया गया था (3 जनवरी 2014)।

सरकार ने बताया (अगस्त 2016) कि इसमें कोई प्रक्रियागत चूक नहीं थी लेकिन दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में एल-1 बोलीदाता द्वारा बार-बार पूछने के कारण, कंपनी को बोलीदाता को बताना पड़ा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने डब्ल्यू.बी. निर्देशों के उल्लंघन में बोलीदाता के साथ संपर्क किया था तथा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए और अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इसे सूचित किया था। अंततः पुनःनिविदा जारी करनी पड़ी जहां पर प्राप्त दरें पहली निविदा से ₹ 2.02 करोड़ (₹ 20.78 करोड़ - ₹ 18.76 करोड़) ज्यादा थीं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.4 केबल की आधिक खरीद

कंपनी ने वास्तविक खपत पर विचार किए बिना ही केबल की खरीद की जिसके कारण ₹ 7.70 करोड़ की निधियों की ब्लॉकिंग तथा उन पर ₹ 1.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज हुआ।

कंपनी ने, गांवों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान 12.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पी.वी.सी.² केबल के प्राप्त के लिए ₹ 24.04 करोड़ (अक्टूबर 2012) तथा ₹ 118.58 करोड़ (दिसंबर 2013) की वित्तीय सहायता³ प्राप्त की। कंपनी ने विभिन्न साईज की 240 कि.मी. केबलज की प्राप्ति के लिए 30 जून 2013 तक एक वर्ष के लिए दो फर्मों के साथ वैध रेट कन्ट्रैक्ट किया (22 जून 2012)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी के पास 28 मई 2013 को इसके स्टोर में उपर्युक्त विशिष्टताओं वाली 20.48 कि.मी. की केबल थी तथा जुलाई 2012 से अप्रैल 2013 के दौरान दिए गए क्रय आदेशों के विरुद्ध अन्य 696 कि.मी. केबल की प्राप्ति प्रतीक्षित थी। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान इन केबलों की खपत क्रमशः शून्य तथा 31.50 कि.मी. थी। खपत के रूपान तथा स्टोरों में उपलब्ध एवं प्रतीक्षित मात्रा पर विचार किए बिना ही कंपनी ने मार्च 2014 तक भिन्न-भिन्न डिलीवरी शैड्यूल के साथ 240 कि.मी. की केबल के छः और क्रय आदेश दे दिए (26 जून 2013)। फर्मों ने ₹ 7.70 करोड़ की लागत पर अगस्त 2013 से मार्च 2014 के दौरान इन केबलों की 227 कि.मी. की आपूर्ति की।

सरकार ने बताया कि जुलाई 2016 तक इसके स्टोर में उपर्युक्त बताए गए साईज की 638 कि.मी. की केबल है।

इस प्रकार, खपत रूपानों तथा उपलब्ध स्टाक पर विचार किए बिना जून 2013 में 240 कि.मी. केबलज की अतिरिक्त मात्रा के लिए क्रय आदेश देने हेतु कंपनी के निर्णय के परिणामस्वरूप 227 कि.मी. केबलज की मात्रा की अत्यधिक खरीद हुई फलस्वरूप दिसंबर 2015 तक ₹ 7.70 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई तथा ₹ 1.68 करोड़⁴ की परिहार्य ब्याज देयता बनी।

² पोली विनियल क्लोराइड।

³ परियोजना लागत का 90 प्रतिशत।

⁴ 12.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित कुल ब्याज का 90 प्रतिशत (परियोजना में आर्ड.सी.फॉडिंग की प्रतिशतता)।

3.5 ब्रृटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन

कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित किए बिना भुगतान की निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पी.एस.यूज पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा संख्या 2.1.7.4 द्वारा इंगित किया गया था कि कंपनी ने सामग्री के एक बड़े भाग (75 से 80 प्रतिशत तक) पर निर्माण से लिंक किए बिना ही भुगतान की निर्मुक्ति के कारण चार अनुबंधों में ₹ 15.36 करोड़ के अधिक भुगतान किए थे। इसकी प्रतिक्रिया में, कंपनी ने भुगतान की निर्मुक्ति की प्रतिशतता, सामग्री की प्राप्ति पर 80/75 से 60/50 तक, उसके निर्माण के बाद 40/30 प्रतिशत तक तथा कमीशनिंग के बाद निर्मुक्ति किए जाने हेतु शेष 10 प्रतिशत के रूप में कम कर दिया। सब - स्टेशन के निर्माण/संवर्धन कार्यों के ठेके देने की मानक शर्तों तथा फीडर कार्य - अनुबंधों में यह प्रावधान किया गया कि ठेकेदार वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद, 90 दिनों तक वैध, विश्वसनीय निष्पादन के लिए कुल अनुबंध कीमत के 10 प्रतिशत के समान एक निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) प्रस्तुत करेगा।

कंपनी ने ₹ 7.70 करोड़ (सामग्री ₹ 7.36 करोड़ तथा निर्माण लागत ₹ 0.34 करोड़) की लागत पर एक ठेकेदार को 51 ओवरलोडिड फीडरों के द्विविभाजन/त्रिविभाजन के लिए सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण के लिए एक टर्नकी अनुबंध दिया (जून 2011)। कार्य दिसंबर 2011 तक छ: महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। ठेकेदार ने ₹ 4.96 करोड़ मूल्य की सामग्री की आपूर्ति की जिसके विरुद्ध जून 2013 तक ₹ 3.82 करोड़ (सामग्री की प्राप्ति पर 60 प्रतिशत के रूप में ₹ 2.98 करोड़ जमा इसके निर्माण पर ₹ 0.84 करोड़) का भुगतान किया गया। कंपनी ने कार्य आदेश के 10 प्रतिशत मूल्य के रूप में ₹ 0.77 करोड़ की बी.जी. प्राप्ति की थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (फरवरी 2015) कि ठेकेदार, ₹ 0.83 करोड़ मूल्य की अनिर्मित सामग्री के अतिरिक्त ₹ 1.95 करोड़ मूल्य की निर्मित सामग्री के साथ भी कार्य का निष्पादन करने में विफल रहा। इस प्रकार, कंपनी ने कार्य की वास्तविक प्रगति मॉनीटर किए बिना ही ठेकेदार को ₹ 1.04⁵ करोड़ का अधिक भुगतान किया। यद्यपि, कंपनी ने ₹ 0.77 करोड़ की बी.जी. भुनाने के बाद पेनलटी तथा ब्याज के उद्ग्रहण और ली गई सामग्री की कीमत के लिए ठेकेदार से ₹ 2.06 करोड़ के दावे किए थे (जनवरी 2015)। अभी तक कुछ भी वसूली नहीं की गई थी (मार्च 2016)।

इस प्रकार, कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित किए बिना ही भुगतान की निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

⁵ ₹ 3.82 करोड़ (कुल भुगतान किया गया) घटा ₹ 1.95 करोड़ (इरेक्टिड मैट्रियल का मूल्य) घटा ₹ 0.83 करोड़ (कंपनी के पास उपलब्ध मैट्रियल का मूल्य)।

3.6 निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण न करने के कारण हानि

कंपनी द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाए न जाने के कारण ₹ 1.17 करोड़ के अतिरिक्त उधार ली गई निधियों पर ब्याज के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि उठाई गई। ₹ 1.95 करोड़ मूल्य के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर लंबी अवधियों के लिए अप्रयुक्त रहे।

कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत ₹ 35.15 करोड़ की कुल लागत पर टर्नकी आधार पर परिचालन परिमिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक तथा सोनीपत के अंतर्गत 33 के.वी. के 15 सब-स्टेशनों तथा संबंधित लाइनों की आपूर्ति तथा प्रतिस्थापन के लिए एक निजी फर्म के साथ कन्ट्रैक्ट किया (अक्टूबर 2007)। कन्ट्रैक्ट में निर्धारित किया गया कि उपकरण बारह महीनों की अवधि के लिए सभी दोषों से मुक्त होना चाहिए। कन्ट्रैक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि आपूर्ति उपकरण की पांच वर्षों की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यचालन की गारंटी होगी। बोली दस्तावेजों के अनुसार पांच वर्षों की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद निर्मुक्त की जाने वाली, कन्ट्रैक्ट मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर, निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) ठेकेदार द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित थी।

ठेकेदार ने 31 जनवरी 2009 तक वैध तथा 31 जनवरी 2010 तक बढ़ाई गई ₹ 3.51 करोड़ की पी.बी.जी. प्रस्तुत की। अनुबंध सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया तथा सितंबर 2008 से मई 2010 के मध्य 15 सब-स्टेशन क्रियाशील किए गए। तथापि, तीन विद्युत ट्रांसफार्मर (पी.टी.ज) खराब हो गए थे जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.1: अक्रियाशील विद्युत ट्रांसफार्मरों का ब्यौरा

क्र. स.	सब-स्टेशन का नाम	ओ.पी. सर्कल	पी.टी. की क्षमता	कमीशनिंग की तिथि	तक गारंटी	क्षति की तिथि
1	शामदो	जींद	8 एम.वी.ए.	27.02.2009	26.02.2014	17.12.2010
2	जयतपुरा	अंबाला	10 एम.वी.ए.	30.04.2010	29.04.2015	11.06.2014
3	बरसाना	अंबाला	10 एम.वी.ए.	24.05.2010	23.05.2015	16.10.2014

स्रोत: कंपनी से प्राप्त सूचना।

ठेकेदार ने इस आधार पर विद्युत ट्रांसफार्मरों को मरम्मत करने से मना कर दिया (जुलाई 2015) कि गारंटी अवधि 12 महीनों के लिए थी। कंपनी ने मामले को कानूनी रिमेंबरेंसर के पास भेज दिया जिसका विचार था (अगस्त 2015) कि पांच वर्षों की अवधि तकनीकी विनिर्देशन का हिस्सा थी और वह भी अनुबंध का हिस्सा था तथा दोनों प्रावधानों का अनुपालन किया जाना था। इसलिए, फर्म पांच वर्षों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मरों के संतोषजनक परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 1.95 करोड़⁶ मूल्य के तीन क्षतिग्रस्त पी.टी.ज मरम्मत/बदले नहीं गए थे तथा 16 महीने से लेकर पांच वर्षों से अधिक अवधि तक अप्रयुक्त रहे थे (मार्च 2016)। अक्रियाशील पी.टी.ज ठेकेदार द्वारा मरम्मत/बदले नहीं गए थे।

⁶ शामदो स्थित पी.टी. के लिए ₹ 55.72 लाख तथा जयतपुरा एवं बरसाना स्थित प्रत्येक पी.टी. के लिए ₹ 69.65 लाख।

31 जनवरी 2010 को पी.बी.जी. की वैधता की समाप्ति के बाद कंपनी ने फरवरी 2010 से नवंबर 2010 की अवधि के दौरान पी.बी.जी. प्राप्त नहीं की तथा पी.टीज की कमियों/क्षतियों से उत्पन्न जोखिमों के लिए स्वयं को एकपोज कर लिया। इसके बाद, ठेकेदार ने 31 जुलाई 2011 तक वैध ₹ 3.51 करोड़ की बजाए केवल ₹ 1.17 करोड़ की पी.बी.जी. प्रस्तुत की (4 दिसंबर 2010)। कंपनी ने पी.बी.जी. की कम की गई राशि पर कोई आपत्ति नहीं की तथा उसको स्वीकार कर लिया। कंपनी ने पी.बी.जी. को 23 मई 2015 तक आगे बढ़ाने के लिए ठेकेदार से बात की (18 जुलाई 2011) लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया (27 जुलाई 2011) तथा निवेदन किया कि गारंटी अवधि 12 माह की थी। इसी बीच पी.बी.जी. 31 जुलाई 2011 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, शामदो स्थित (दिसंबर 2010) क्षतिग्रस्त पी.टी. तथा पी.बी.जी. की समयावधि बढ़ाने के लिए ठेकेदार द्वारा (जुलाई 2011) इनकार करने को ध्यान में रखते हुए, यदि कंपनी ने स्वयं जुलाई 2011 में ही ₹ 1.17 करोड़ की पी.बी.जी. को भुनवा लिया होता तो, ₹ 1.77 करोड़⁷ की (मार्च 2016 तक उधार निधियों पर दिए गए ब्याज सहित) हानि आंशिक रूप से बचाई जा सकती थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि कंपनी क्षतिग्रस्त पी.टीज को मरम्मत के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी करेगी और यदि पी.टीज मरम्मत नहीं किए जाते हैं तो दूसरी बोली के विरुद्ध उपलब्ध पी.बीज को भुनवा लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त निष्पादन बैंक गारंटी इस अनुबंध के लिए नहीं भुनाई जा सकती।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.7 ऊर्जा बिलों के बकाया देयों की अवसूली

बिजली अधिनियम तथा एच.ई.आर.सी. विनियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.14 लाख की अवसूली हुई।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 56 अपेक्षा करती है कि यदि कोई व्यक्ति बिजली के प्रभारों या कोई अन्य राशि के भुगतानों की उपेक्षा करता है तो लाइसेंसी लिखित में कम से कम 15 दिनों का नोटिस देने के बाद बिजली की आपूर्ति काट सकता है जब तक ऐसे प्रभार या अन्य राशि लाइसेंसी को अदा नहीं की जाती। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2014 प्रावधान करता है कि दो बिलिंग साईकल्ज के अनुमानित विद्युत खपत के बराबर एक सिक्योरिटी जमा (अग्रिम खपत जमा - ए.सी.डी.) सभी उपभोक्ताओं द्वारा दी जानी चाहिए जिसके मूल्य की पिछले वर्ष की खपत प्रवृत्ति पर आधारित पर्याप्तता के लिए वर्ष के आरंभ में लाइसेंसी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

परिचालन परिमिल, फरीदाबाद के अंतर्गत छैन्सा उपमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सी-1⁸ तथा सी-2⁹ दो कनैकशनों वाले एक बड़े आपूर्ति उपभोक्ता ने क्रमशः जुलाई 2008 तथा नवंबर 2009 में कनैकशनों की प्रदानगी के समय ₹ 9.02 लाख

⁷ ₹ 1.17 करोड़ की पी.बी.जी. की राशि जमा ₹ 0.60 करोड़ का ब्याज अगस्त 2011 से मार्च 2016 तक (अर्थात् 56 माह) 10.90 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

⁸ खाता संख्या सी.एच.एच.टी. - 0001

⁹ खाता संख्या सी.एच.एच.टी. - 0005

(क्रमशः ₹ 2.52 लाख तथा ₹ 6.50 लाख) की एसीडी. जमा करवाई। उपभोक्ता ने क्रमशः मई तथा जून 2015 से देयों के भुगतान में चूक की। अगस्त 2015 तक देयों के निपटान के लिए उपभोक्ता ने ₹ 61.80 लाख (सी-1 के लिए ₹ 10.93 लाख तथा सी-2 के लिए ₹ 50.87 लाख) के दो चैक दिए (5 सितंबर 2015) जो डिस्ट्रिक्ट हो गए थे (14 सितंबर 2015)। कंपनी ने 10 सितंबर 2015 को ऊर्जा आपूर्ति डिस्कॉन्ट कर दी। ₹ 9.02 लाख की उपलब्ध एसीडी. के समयोजन के बाद दिसंबर 2015 तक कुल देय बढ़कर ₹ 84.14 लाख तक (सरचार्ज के साथ) हो गए।

लेरवापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2015) कि यद्यपि कंपनी द्वारा 2014-15 के खपत पैटर्न के आधार पर 2015-16 के दौरान ₹ 35.33 लाख (सी-1 के लिए ₹ 5.29 लाख तथा सी-2 के लिए ₹ 30.04 लाख) की एसीडी. अनुरक्षित करना अपेक्षित था, इसने ₹ 26.30 लाख की अतिरिक्त एसीडी. प्राप्त नहीं की थी।

संबंधित उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ.) ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि चूक राशि उपभोक्ता के आवासीय कनैक्शन खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी (18 फरवरी 2016) तथा वसूल कर ली जाएगी। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि उपभोक्ता का आवासीय खाता भी कंपनी द्वारा काट दिया गया है (फरवरी 2016) और इसीलिए वसूली की संभावना बहुत कम है।

इस प्रकार, बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.ई.आर.सी. विनियम, 2014 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.14 लाख की सीमा तक देयों की वसूली नहीं हुई। यदि ₹ 26.30 लाख की अतिरिक्त एसीडी. प्राप्त कर ली गई होती तो अवसूली उस सीमा तक कम की जा सकती थी।

सरकार ने बताया (जून 2016) कि चूककर्ता परिसरों को आपूर्ति डिस्कॉन्ट न करने के लिए तथा समयोन्नित तरीके से देय एसीडी. की वसूली न करने के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर ली गई है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.8 युनर्गिटित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)

आर-एपीडीआरपी. के कार्यान्वयन ने देरी के साथ-साथ निष्फल व्यय भी वहन किया। शहरों को गो-लाईव घोषित कर दिया गया यद्यपि उन्होंने 'गो-लाईव' घोषित किए जाने के लिए भापदंड को पूरा नहीं किया। सलाहकारों पर किया गया ₹ 6.89 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रयुक्त रही। संशोधित टैरिफ शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 299.96 करोड़ की वसूली हुई।

3.8.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी. तथा सी.) हानियों को पर्याप्त रूप में कम करके तथा राज्य विद्युत उपयोगिताओं के वितरण नेटवर्क के

सुदृढ़ीकरण द्वारा विद्युत वितरण सैक्टर की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को पुनः बहाल करने के उद्देश्य से पुर्नगठित - त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया (सितंबर 2008)। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में ली जानी थी। भाग - क में बेसलाइन डाटा तैयार करने, ऊर्जा अकाउटिंग/ऑडिटिंग के लिए आईटी. एप्लीकेशन को अपनाना तथा आईटी. आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्र के लिए परियोजनाएं शामिल थी जबकि भाग - ख में सब - स्टेशनों तथा लाइनों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण शामिल था। स्कीम में बड़े कस्बों में पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा डाटा संकलन प्रणाली (एस.सी.ए.डी.ए.) की स्थापना पर भी विचार किया गया था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) दो वितरण कंपनियां (डिस्कोम्ज) हैं जो क्रमशः उत्तरी जोन¹⁰ तथा दक्षिण जोन¹¹ में प्रत्येक नौ परिचालन परिमिलों द्वारा बिजली वितरित कर रही हैं।

लेखापरीक्षा ने कार्यान्वयन, मानीटरिंग की पर्याप्तता एवं अभिप्रेत लाभों के आंकलन हेतु 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए 36 परियोजनाओं (यू.एच.बी.वी.एन.एल: 20 तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.:16) में से 25 परियोजनाओं (एक शहर को एक परियोजना माना जाता है) और एस.सी.ए.डी.ए.¹² (फरीदाबाद शहर) के अभिलेखों की जांच की।

3.8.2 निधिकरण यंत्रावली

भाग - ए में, प्रारंभ में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत निधियां भारत सरकार से ऋण के रूप में प्रदान की जानी थी, जो एक बार अपेक्षित प्रणाली की स्थापना प्राप्त करने तथा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा (एम.ओ.पी.) नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कर दिए जाने पर, अनुदान में बदल दी जाएगी। भाग - बी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में, परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाना था तथा शेष निधियां वित्तीय संस्थाओं यानि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.)/विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) से उठाई जानी थी। स्कीम के नियमों तथा शर्तों की अनुपालना के अध्यधीन भाग - बी की 50 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तनीय थी। जी.ओ.आई. से समग्र ऋण पी.एफ.सी. द्वारा भेजा जाना था।

¹⁰ उत्तरी जोन: अंबाला, झज्जर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

¹¹ दक्षिण जोन: भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

¹² पर्यवेक्षक नियंत्रण तथा डाटा संकलन।

परियोजना के भाग-ए तथा भाग-बी क्रमशः सितंबर 2012 तथा मार्च 2017 से पहले तथा एस.सी.ए.डी.ए. अगस्त 2016 तक पूरे किए जाने निर्धारित थे। योग्य कस्बों के विवरण, संस्वीकृत ऋण, प्राप्त राशि तथा उन पर किया गया व्यय (मार्च 2016 तक) नीचे तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

परियोजनाएं	योग्य शहरों की संख्या	संस्वीकृत ऋण	संशोधित लागत ¹³	प्राप्त ऋण	किया गया व्यय	टिप्पणियां
भाग - ए	36	165.63	201.03	95.73 (डी.एच.:54.28, यू.एच.:41.45)	88.08 (डी.एच.:39.37, यू.एच.:48.71)	कार्य प्रगति में
भाग - बी	33	1,322.58	-	शून्य	शून्य	परियोजना पूर्णतः छोड़ी गई
एस.सी.ए.डी.ए. (भाग - ए) फरीदाबाद	1	24.29	-	7.29	2.03	कार्य प्रगति में
एस.सी.ए.डी.ए. (भाग - बी) फरीदाबाद	1	120.61	-	3.50	शून्य	मार्च 2016 में प्राप्त ऋण

स्रोत: डिस्कोम्ज से प्राप्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भाग-ए परियोजनाओं की समाप्ति के लिए संभावित समय सारणी सितंबर 2016 तक बढ़ा दी गई थी यद्यपि डिस्कोम्ज द्वारा सभी 36 शहर 'गो लाइव' घोषित कर दिए गए थे (सितंबर 2015)।

डिस्कोम्ज ने भाग-बी परियोजनाओं को छोड़ दिया था (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: फरवरी 2016) तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.: सितंबर 2015) क्योंकि परियोजनाएं विलंबित थी तथा समाप्ति के लिए निर्धारित तिथि के संबंध में बचा समय बहुत कम था। एस.सी.ए.डी.ए. (भाग - क) के लिए कार्य अगस्त 2015 में दिया गया था तथा अगस्त 2016 तक पूरा किया जाना निर्धारित था।

3.8.3 लेखापरीक्षा परिणाम

(क) स्कीम के लिए तैयारी में कमियाँ

भाग-बी परियोजना की डी.पी.आरज की तैयारी पर निष्फल व्यय

33 निर्धारित शहरों के (यू.एच.बी.वी.पी.एन.एल.: 20 तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 13 शहर) आर-ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना के भाग-बी के निष्पादन के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आरज) की तैयारी का कार्य मैसर्ज आर.ई.सी. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (आर.ई.सी.-पी.डी.सी.एल.), नई दिल्ली को सौंपा गया था (अगस्त तथा दिसंबर 2009)। डी.पी.आरज, पी.एफ.सी. को प्रस्तुत कर दिए गए थे (जुलाई 2010 से मार्च 2011) जिसने ₹ 673.58 करोड़ की राशि के ऋण संस्वीकृत किए (मार्च 2011 तथा नवंबर 2011)। कार्य ऋण की संस्वीकृति के तीन महीनों के भीतर किया जाना था। तथापि, डिस्कोम्ज ने

¹³

पी.एफ.सी. (संस्वीकरण प्राधिकारी) द्वारा अनुमोदित न की गई संशोधित लागत/संशोधित डी.पी.आरज।

मार्च 2011 से नवंबर 2012 के दौरान बोली प्रक्रिया को शुरू नहीं किया था। इस देरी के कारण डी.पी.आरज को अपडेटिंग/संशोधित किए जाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वे वर्ष 2008-09 के डाटा पर आधारित थी। परिणामस्वरूप, डिस्कोम्ज ने डी.पी.आरज के अपडेटिंग/संशोधन का कार्य मैसर्ज पी.एफ.सी. कंसलटिंग लिमिटेड, नई दिल्ली¹⁴ (पी.एफ.सी.सी.एल.) को दिया (दिसंबर 2012) जिसने डी.पी.आरज को अद्यतन किया (मई 2013 से जून 2013) तथा पी.एफ.सी. ने 29 कस्बों के लिए ₹ 1,107.26 करोड़ के ऋण संशोधित किए (27 सितंबर 2013)। डिस्कोम्ज ने परामर्शदाताओं को ₹ 6.89 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 3.70 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 3.19 करोड़) निर्मुक्त किए (जनवरी 2013 से मई 2015)।

सरकार ने बताया (सितंबर 2016) कि भारत सरकार ने तीन वर्षों की पूर्णता अवधि के साथ मार्च 2011 में डी.पी.आरज मूलस्वरूप से अनुमोदित किए थे। मई 2013 में पी.एफ.सी./जी.ओ.आई. को प्रस्तुत संशोधित डी.पी.आरज सितंबर 2013 में स्वीकृत कर दिए गए थे लेकिन समय-समय पर जारी किए गए एन.आई.टी.ज को अंतिम नहीं किया जा सका। बाद में राज्य सरकार ने इस आधार पर भाग-बी का कार्यान्वयन छोड़ने का निर्णय किया कि भाग-बी के अंतर्गत तैयार परियोजनाएं पुरानी हो चुकी थीं। सरकार ने यह भी बताया कि परामर्शदाता द्वारा तैयार डी.पी.आरज कंपनी की अप्रत्यक्ष संपत्तियां हैं जो किसी प्रणाली के अपग्रेडेशन के लिए संभावतया भविष्य में प्रयोग की जा सकती है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए डी.पी.आरज तैयार किए गए थे प्राप्त नहीं किए जा सके तथा ये रिपोर्ट्स परियोजना विशिष्ट हैं। अतः, परामर्शदाता को भुगतान किया गया ₹ 6.89 करोड़ का व्यय अनुमोदित डी.पी.आरज पर समयोचित अनुवर्ती कार्रवाई करने में कंपनी की असमर्थता के कारण निष्फल बना दिया गया।

(ख) आर-ए.पी.डी.आर.पी. के निष्पादन में कमियाँ

(i) नियांत्रित मानदण्ड की अनुपालना किए बिना 'गो-लाइव' स्टेटस की घोषणा

ऋण की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, भाग-ए परियोजनाएं, ऋण को अनुदान में बदलने योग्य बनाने के लिए, स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के भीतर पूर्ण की जानी थी। यानि यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा: 27 फरवरी 2009 तक तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा 25 सितंबर 2009 तक। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आई.टी.आई.ए.) की नियुक्ति में देरी थी, ऋण को अनुदान में बदलने की तिथि 30 सितंबर 2015 तक बढ़ा दी गई थी। आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग-ए परियोजना के गो-लाइव के साथ सभी वाणिज्यक परिचालन जैसे भीटरिंग, बिलिंग, संग्रहण, नए कनैक्शन, डिस्कनैक्शन, ऊर्जा लेखापरीक्षा आदि को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आई.टी. प्रणाली से किए जाने चाहिए थे। सभी 36 आर-ए.पी.डी.आर.पी. कस्बे डिस्कोम्ज द्वारा सितंबर 2015 में गो-लाइव घोषित कर दिए गए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि डिस्कोम्ज ने सभी घोषित शहरों को गो-लाइव घोषित कर दिया यद्यपि वे गो-लाइव किए जाने के लिए अपेक्षित मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे। क्रिया कलाप जैसे कस्टमर केयर तथा बिलिंग (सी.सी.बी.) का समन्वय, जी.आई.एस. डाटा, संपत्ति मैपिंग तथा संपूर्ण उपभोक्ता इडैक्सिंग पूरी नहीं की गई थी (मार्च 2016)। डिस्कोम्ज ने बताया कि प्रणाली के स्थाईकरण के लिए कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे थे।

¹⁴ पी.एफ.सी. की एक सहायक कंपनी।

(ii) टैरिफ की अपडेटिंग में देरी के कारण राजस्व की विलंबित वसूली

डिस्कोम्ज को यह सुनिश्चित करना है कि टैरिफ संशोधन तुरंत बिल जनरेशन प्रणाली में कार्यान्वित कर दिया जाय ताकि राजस्व की हानि से बचा जा सके। हरियाणा बिजली विनियायक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने दिनांक 27 मार्च 2015 तथा 7 मई 2015 के आदेश द्वारा 1 अप्रैल 2015 से लागू टैरिफ तथा ईंधन प्रभार समायोजन (एफ.एस.ए.) के उद्ग्रहण के शेड्यूल को संशोधित किया।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि एच.ई.आर.सी. के आदेशों के अनुसार संशोधित टैरिफ सितंबर 2015 में 36 आर-ए.पी.डी.आर.पी. कस्बों में में कार्यान्वित कर दी गई थी। सॉफ्टवेयर में आदेशों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप अप्रैल से अगस्त 2015 तक ₹ 299.96 करोड़ (यू.एच.बी.वी.एन.एल.-₹ 92.15 करोड़ तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.-₹ 207.81 करोड़) की विलंबित वसूली हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई/सितंबर 2016) कि यद्यपि नई टैरिफ शेड्यूल के कार्यान्वयन के लिए समयोचित कार्रवाई कर ली गई थी, अप्रतिरोध्य परिस्थितियों ने इसका कार्यान्वयन विलंबित कर दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि टैरिफ संशोधन, इस प्रणाली का एक भाग है जिसे तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए था।

(iii) एच.टी. कनैक्शनों में एम.डी.ए.एस. का उपयोग न करना

लेरवापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि डी.एच.बी.वी.एन.एल. के आर-ए.पी.डी.आर.पी. शहरों में एच.टी. कनैक्शनों पर एम.डी.ए.एस.¹⁵ परिचालित किए जा चुके थे, डिस्कोम्ज ने इसका उपयोग नहीं किया तथा इसके बजाए अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान 5,082 एच.टी. उपभोक्ताओं के लिए मीटर डाटा संग्रहण के लिए एक ठेकेदार को ₹ 73.15 लाख का भुगतान किया। यदि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वयं आर-ए.पी.डी.आर.पी. सिस्टम का प्रयोग कर लिया होता तो ₹ 73.15 लाख के व्यय को रोका जा सकता था।

सरकार ने बताया (सितंबर 2016) कि एम.डी.ए.एस. अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान प्रयोग नहीं किए जा सके क्योंकि यह संक्रमण अवधि थी जिसके दौरान बड़े शहरों जैसे फरीदाबाद तथा गुरुग्राम नए प्लेटफार्म पर मार्गिंगेट किए गए थे तथा एम.डी.ए.एस. प्रणाली की स्थिरता अभी प्राप्त की जानी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एच.टी. उपभोक्ताओं के संबंध में आईटी.आई.ए. द्वारा मोडेम लगा दिए गए थे तथा डिस्कोम्ज ने सितंबर 2015 में स्वयं इन्हें गो-लाइव घोषित कर दिया था।

निष्कर्ष

आर-ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन को विलंबों के साथ-साथ निष्फल व्यय भी वहन करना पड़ा। शहर 'गो-लाइव' घोषित कर दिए गए थे यद्यपि उन्होंने 'गो-लाइव' घोषित किए जाने के मापदण्ड को पूरा नहीं किया था। परामर्शदाताओं पर किया गया ₹ 6.89 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रयुक्त रही।

¹⁵

मीटर डाटा संकलन प्रणाली (एम.डी.ए.एस.) मीटर डाटा प्राप्त करना तथा किसी मानवीय हस्तक्षेप को रोकते हुए सुदर स्थानों से उपभोक्ता मीटरों को स्वचालित ढंग से चुनना और सही बिलिंग प्रयोजनों के लिए मीटर डाटा का प्रयोग करना है।

संशोधित टैरिफ को सम्मिलित करने के लिए सॉफ्टवेयर के अद्यतन में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 299.96 करोड़ की वसूली में विलंब हुआ। इस प्रकार, कंपनियों की वित्तीय व्यावहारिकता को वापस लौटाने तथा ए.टी. तथा सी. हानियों को कम करने का आर-ए.पी.डी.आर.पी. का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.9 डिस्कोम्ज में ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशालाओं का कार्यचालन

ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशालाएं कार्यकुशलता में निम्न-स्तर की थी जिसके कारण बिना मरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टीज) का संचय हुआ जिसने वितरण नेटवर्क्स के रख-रखाव को प्रभावित किया। क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर्ज में मरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मर्ज की प्रतिशतता, 2015-16 तक, तीन वर्षों की अवधि के दौरान कम होकर यू.एच.बी.वी.एन.एल. में 57 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में 70 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक रह गई। यह मरम्मत के लिए टेंडर के अंतिमकरण में देरी तथा फर्मों को अपेक्षित कच्चा माल तथा स्थान प्रदान करने में कंपनियों की विफलता के कारण था।

3.9.1 प्रस्तावना

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) राज्य में विद्युत वितरण करती हैं। क्षतिग्रस्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों (डी.टीज) तथा विद्युत ट्रांसफार्मरों (पी.टीज)¹⁶ की मरम्मत करने के लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. (डिस्कोम्ज) ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशालाओं (टी.आर.डब्ल्यूज) तथा ट्रांसफार्मर हैंडलिंग वर्कशापस (टी.एच.डब्ल्यूज) चलाते हैं। टी.आर.डब्ल्यूज के मामले में, इनहाउस मरम्मत के लिए लेबर प्राइवेट फर्मों को आउटसोर्स किया जाता है तथा सामग्री एवं मूलभूत संरचना डिस्कोम्ज द्वारा प्रदान की जाती है जबकि टी.एच.डब्ल्यूज में, क्षतिग्रस्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों (डी.टीज) को प्राइवेट फर्मों द्वारा उनके स्वयं के कच्चे माल तथा मूलभूत संरचना का प्रयोग करते हुए फर्म परिसर में कार्य आदेश आधार पर मरम्मत किए जाते हैं। 31 मार्च 2016 को यू.एच.बी.वी.एन.एल. में दो¹⁷ टी.आर.डब्ल्यूज, पांच¹⁸ टी.एच.डब्ल्यूज तथा एक विद्युत ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशाला (पानीपत) तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में सात¹⁹ टी.एच.डब्ल्यूज थे।

कार्यशालाओं की कुल कार्यकुशलता के मूल्यांकन के लिए एक लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा 2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के लिए इन कार्यशालाओं की कार्यचालन को आवृत्त करती है।

¹⁶ यह 33 के बी. से ज्यादा के हाई वोलटेज स्तर पर ट्रांसमिशन उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है।

¹⁷ धूलकोट तथा कैथल।


¹⁸ दाहर, ज्योतिसर, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

¹⁹ भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोहना।


3.9.2 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

31 मार्च 2016 को गत पांच वर्षों से दोनों डिस्कोम्ज की कार्यशाला में मरम्मत किए जाने वाले डी.टीज, वास्तव में मरम्मत किए गए तथा मरम्मत किए गए डी.टीज की प्रतिशतता की स्थिति नीचे चार्ट 3.1 में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.1: यू.एच.बी.वी.एन.एल. में मरम्मत किए गए क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर



चार्ट 3.2: डी.एच.बी.वी.एन.एल. में मरम्मत किए गए क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर



(स्रोत: डिस्कोम्ज से प्राप्त सूचना)

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है 31 मार्च 2016 तक यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में क्रमशः 23,747 तथा 12,582 डी.टीज मरम्मत किए बिना पड़े थे। कुल क्षतिग्रस्त डी.टीज से मरम्मत किए गए डी.टीज की समग्र प्रतिशतता यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में क्रमशः 2012-13 में 57 प्रतिशत से 2015-16 में 31 प्रतिशत तक तथा 2013-14 में 70 प्रतिशत से 2015-16 में 22 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि डी.टीज इनहाउस तथा आउटसोर्सिंग अनुबंध द्वारा वर्ष 2014 तक फर्मों द्वारा मरम्मत करवाए गए थे तथा इसके बाद इनहाउस मरम्मत कार्य रोक दिया गया था तथा मरम्मत, आउटसोर्स किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यशालाओं में मरम्मत न किए गए डी.टीज का संचय था जो कंपनियों द्वारा उनके वितरण नेटवर्कों के सही रख-रखाव की योग्यता को बुरी तरह से

प्रभावित करेगा। आगे, स्टाफ के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां, ट्रांसफार्मरों के संयुक्त निरीक्षण की प्रक्रियाओं, कच्चे माल का प्रबंध, स्टोरज तथा पुर्जों का जारी करना, मरम्मत योग्य ट्रांसफार्मरों के जॉब कार्ड को खोलना, किए जाने वाले मरम्मत कार्य के लिए समय अवधि तथा मितव्ययोग्य मरम्मत से परे ट्रांसफार्मरों की घोषणा आदि को विनिर्दिष्ट करने वाली एक कार्यशाला नियम-पुस्तिका के अभाव ने शीघ्र निर्णय तथा प्रभावी मॉनीटरिंग को कमज़ोर किया जो मरम्मत की गति को बढ़ा सकती थी। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- (i) जबकि सितंबर 2013 के दौरान मरम्मत के लिए प्राप्त डी.टीज का 86 प्रतिशत 60 दिनों के भीतर मरम्मत कर दिया गया था, अप्रैल 2011 में 60 दिनों के भीतर केवल 14 प्रतिशत डी.टीज की ही मरम्मत की गई थी।
- (ii) डी.टीज के मरम्मत में लगी हुई फर्मों को कच्चा माल तथा स्थान प्रदान करने के लिए कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. में 5,009 तथा 3,895 डी.टीज का संचय हुआ जो कि मार्च 2016 तक समाप्त हो गया।
- (iii) इसी प्रकार डी.एच.बी.वी.एन.एल. में अप्रैल 2011 से जनवरी 2013 के दौरान 63 तथा 100 के.वी.ए. डी.टीज का संचय था क्योंकि फर्म 2011-12 से 2013-14 के दौरान तीन वर्षों में क्षतिग्रस्त डी.टीज के केवल 56 प्रतिशत मरम्मत कर सकी जिससे 4,888 डी.टीज की कमी हो गई। संचय जनवरी 2014 से शुरू हुआ जब जारी किए गए टेंडर्ज अंतिमकृत नहीं किए जा सके। शेष मरम्मत न किए गए क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की समग्र संख्या 31 मार्च 2011 में 17,042 से कम होकर 31 मार्च 2016 को 12,582 हो गई लेकिन यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की कम संख्या सूचित करने के कारण था।
- (iv) कार्यशाला में मरम्मत न किए गए क्षतिग्रस्त पड़े एमोरफस कोर²⁰ डी.टीज 2011-16 के दौरान 923 से (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 522, डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 401) से बढ़कर 11,762 (यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 7,554, डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 4,208) तक हो गए। यू.एच.बी.वी.एन.एल. के निदेशक मंडल (बी.ओ.डीज) ने निर्णय किया (अक्तूबर 2014) कि एमोरफस कोर के डी.टीज छ: महीनों के भीतर मरम्मत किए जाने चाहिए। तथापि, 2011-16 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. केवल 75 डी.टीज की मरम्मत कर सकी जबकि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने 874 डी.टीज की मरम्मत करवाई।

3.9.2.1 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों से लाभग्री का निकाला जाना

कार्यशालाओं में प्राप्त क्षतिग्रस्त डी.टीज के पुर्जे खोलकर तथा कॉयलज और ट्रांसफार्मर तेल निकालने के बाद मरम्मत के लिए जारी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(i) ट्रांसफार्मर ऑयल तथा खोए हुए हिस्सों की लागत की अवसूली

सितंबर 2002 में जारी अनुदेशों के अनुसार, जब भी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए कार्यशालाओं में भेजे जाते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल तथा ट्रांसफार्मरों के पुर्जों को नियमित अंतराल पर पूरा भरा जाना/जांच किया जाना अपेक्षित है। ट्रांसफार्मर ऑयल तथा खोए हुए

²⁰ कोर, फैरेमैग्नेटिक एमोरफोस धातु से बना होता है (आयरन, सिलिकॉन तथा फासफोरस का मिश्रण)।

हिस्सों की कमी की लागत, यदि कोई है तो, इसके उत्तरदायी कर्मचारियों से वसूल किया जाना है। 2011-12 से 2015-16 के दौरान 133.71 लाख लीटर के ट्रांसफार्मर ऑयल तथा ₹ 68.29 करोड़ मूल्य के 1,05,701 एच.टी./एल.टी ब्रास रॉड, दोनों डिस्कोम्ज की कार्यशालाओं में कम पाए गए। जब इन कमियों की रिपोर्ट वसूली के लिए संबंधित परिचालन परिमंडलों को भेजी गई तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था कि वसूली वास्तव में कर दी गई थी। परिचालन मंडल यू.एच.बी.वी.एन.एल., अंबाला शहर में मार्च 2008 में इंगित की गई वसूलियां मार्च 2016 तक भी नहीं की गई थीं।

सरकार ने बताया (जुलाई/सितंबर 2016) कि वसूली परिचालन शाखा द्वारा की जानी थी।

(ii) क्षतिग्रस्त कॉयलज के भार की गलत परिणाम

क्षतिग्रस्त डी.टीज की मरम्मत करते समय, नए कॉयलज जो मरम्मत किए गए डी.टीज में रखे जाने हैं, का भार, कॉयलज द्वारा सोखे गए ट्रांसफार्मर ऑयल के भार तक कम करते हुए, जो भार का एक या दो प्रतिशत होता है, निकाले गए कॉयलज के बराबर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. में, निकाले गए कॉयलज द्वारा सोखे गए ऑयल का भार कम किए बिना उनके पूरे भार, स्क्रैप के रूप में संयुक्त जांच रिपोर्ट (जे.वी.आर.) में लिए गए थे। लेकिन कॉयलज को जे.वी.आर. से स्क्रैप खाते में ट्रांसफर करते समय कॉयलज का भार एक या दो प्रतिशत कम कर दिया गया था इसके परिणामस्वरूप 2011-16 के दौरान 79,390 क्षतिग्रस्त डी.टीज के मरम्मत पर ₹ 0.76 करोड़ की कीमत का 40,556.67 कि.ग्रा. कॉयल अधिक जारी हुआ।

सरकार ने बताया (सितंबर 2016) कि जे.वी.आर. में प्रविष्ट निकाले गए कॉयल का भार का एक या दो प्रतिशत कम कर दिया गया था जब इसको स्क्रैप खाते में ट्रांसफर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निपटान के समय पर भार में कमी के तर्क की कोई प्रासारिकता नहीं है।

3.9.2.2 स्क्रैप का निपटान

क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा प्रचलित बाजार दरों के आधार पर प्रत्येक डिस्काम द्वारा अलग-अलग निर्धारित रिजर्व मूल्य पर अधिकारियों की एक समिति द्वारा उनकी जांच के बाद निपटान कर दिया जाता है। क्षतिग्रस्त डी.टीज से निकाले गए दूषित ट्रांसफार्मर ऑयल, एच.वी./एल.वी. कॉयलज, एच.टी./एल.टी. ब्रास रॉड तथा अन्य सामग्री को गासिक/द्विग्रासिक रूप में ई-नीलामी के माध्यम से निर्धारित रिजर्व मूल्य पर या उस से अधिक पर बेचा जाता है। ई-नीलामी, मैसर्ज एम.एस.टी.सी. लिमिटेड द्वारा करवाई जाती है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(i) स्क्रैप के निपटान में दोनों को कारण जाय की हानि

यू.एच.बी.वी.एन.एल. के निदेशक बोर्ड (बी.ओ.डीज) ने अप्रैल 2009 में निर्णय लिया कि रिजर्व मूल्य से पांच प्रतिशत नीचे तक स्क्रैप की नीलामी पूर्णकालिक निदेशकों के अनुमोदन के अधीन अनुमत की जाएगी तथा यदि प्रस्तावित मूल्य में पांच प्रतिशत से ज्यादा किंतु अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित अंतराल है तो मामले को संशोधित रिजर्व मूल्य नियत करने के लिए

पूर्णकालिक निदेशकों को भेज दिया जाएगा। 6 मई 2015 को आयोजित हुई अपनी बैठक में बी.ओ.डीज को सूचित किया गया कि स्कॉप सामग्री की भारी मात्रा कार्यशालाओं में संग्रहित हो गई थी जो नियत उच्च रिजर्व मूल्यों के कारण नीलाम नहीं की जा सकी। बी.ओ.डीज ने निर्णय लिया (सितंबर 2015) कि स्कॉप का निपटान जल्दी होना चाहिए तथा कोई भी स्कॉप 30 दिनों से ज्यादा तक नहीं पड़ा रहना चाहिए।

यूएच.बी.वी.एन.एल. में स्कॉपज का निपटान नियमित रूप से नहीं किया गया। अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि खराब ट्रांसफार्मर ऑयल, हाई-टेंसन/लो-टेंसन एलुमीनियम कॉयलज तथा ब्रास स्कॉप का निपटान न करने के कारण 2011-16 के दौरान ₹ 1.79 करोड़²¹ तथा ₹ 2.61 करोड़ के मध्य शृंखलित वार्षिक राजस्व से वंचित रहना पड़ा। उच्च रिजर्व मूल्य के निर्धारण के कारण स्कॉप का निपटान धीमा था तथा इसने, जब प्राप्त मूल्य रिजर्व मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक तक कम थे तो पूर्णकालिक निदेशकों के अनुमोदन से रिजर्व मूल्य को पुनः नियत नहीं किया था। डी.एच.बी.वी.एन.एल. में, प्रचलित बाजार दर मूल्य के समान रिजर्व मूल्य के संशोधन के कारण स्कॉप का नियमित रूप से निपटान किया गया था।

3.9.2.3 पावर ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशाला

यूएच.बी.वी.एन.एल. में – पानीपत स्थित पावर ट्रांसफार्मर मरम्मत वर्कशाप के रूप में कार्य रह रही थी जहां विद्युत ट्रांसफार्मर की (पी.टी.एफज) कार्य आदेश आधार पर प्राइवेट फर्मों द्वारा मरम्मत की जाती थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- 2011-16 के दौरान, 60 क्षतिग्रस्त पी.टी.एफज में से, 13 पी.टी.एफज का सर्वेक्षण किया गया था 21 पी.टी.एफज की मरम्मत की गई थी जबकि 26 पी.टी.एफज मरम्मत के बिना रह गए। आगे यह अवलोकित किया गया कि छ: पी.टी.एफज²² की मरम्मत के लिए अगस्त 2013 की निविदा आमंत्रण के विरुद्ध जुलाई 2014 में टेंडर के अंतिमकरण के बाद फर्मों ने दो पी.टी.एफज उठाए (जनवरी तथा फरवरी 2015) लेकिन ये मार्च 2016 तक बिना मरम्मत के पड़े रहे।
- 26 बिना मरम्मत पी.टी.एफज में से, पांच क्षतिग्रस्त पी.टी.एफज एक से 13 वर्षों से कार्यशाला में पड़े थे। पूर्णकालिक निदेशकों के निर्णय (अप्रैल 2014) के अनुसार 1995 से पहले निर्मित सभी पी.टी.एफज का निपटान किया जाना था। तथापि, इन पी.टी.एफज के सर्वेक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.56 करोड़ (ई-नीलामी के अनुसार पी.टी.एफज की न्यूनतम स्कॉप मूल्य पर परिकलित) की निधियों का अवरोधन हुआ।
- 2011-16 के दौरान सर्वेक्षण किए गए 13 पी.टी.एफज में से, सर्वेक्षण किए गए नौ पी.टी.एफज 31 मार्च 2016 तक भी तीन से 13 वर्षों से निपटान के लिए कार्यशाला में पड़े थे। उच्च रिजर्व मूल्य के कारण 2011-16 के दौरान 28 बार हुई ई-नीलामी के दौरान इन ट्रांसफार्मरों का निपटान नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप

²¹ प्रति वर्ष स्कॉप मर्दों के न्यूनतम शेष, जो संबंधित वर्ष की औसत बिक्री दर पर अविक्रीत रहे, को ध्यान में रखते हुए।

²² यूएच.बी.वी.एन.एल. के लिए छ: तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए तीन।

₹ 0.73 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा ₹ 0.58 करोड़ राशि के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितंबर 2016) कि क्षतिग्रस्त तथा सर्वेक्षण किए गए विद्युत ट्रांसफार्मरों का निपटान प्रक्रिया अधीन था तथा भविष्य में ई - नीलामी में निपटान कर दिया जाएगा।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने कोई पी.टी.एफ. मरम्मत कार्यशाला स्थापित नहीं की थी तथा प्राइवेट फर्मों द्वारा क्षतिग्रस्त पी.टी.एफज मरम्मत करवा रही थी। लेरवापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2016 तक 27 क्षतिग्रस्त पी.टी.एफज गत तीन से 15 वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़े हुए थे परिणामतः ₹ 2.28 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ था।

निष्कर्ष

2015 - 16 तक तीन वर्ष तक की अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों से मरम्मत किए गए वितरण ट्रांसफार्मरों की प्रतिशतता कम होकर यू.एच.बी.वी.एन.एल. में 57 से 31 प्रतिशत तक कम हो गई और डी.एच.बी.वी.एन.एल. में 70 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कम हो गई। यह मरम्मत के लिए टेंडर के अंतिमकरण में देरी तथा फर्मों को अपेक्षित कच्चा माल तथा स्थान प्रदान करने में कंपनी की विफलता के कारण था। दोनों डिस्कोम्ज की कार्यशालाओं में ₹ 68.29 करोड़ मूल्य के कम पाए गए तथा खोए हुए पुर्जों और ट्रांसफार्मर ऑयल की लागत को वसूल करने में कंपनियां विफल रही। अंततः, क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफार्मर 15 वर्षों तक शृंखलित अवधि से बिना निपटान किए पड़े थे परिणामतः ₹ 2.28 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड

3.10 मैट्रो लिंक का कार्यान्वयन तथा परिचालन

हुडा ने परियोजना की लागत तथा इसकी संभावित देयताओं की सीमा पर पूर्ण नजर रखे बिना ही, रियायत ग्राही की चूक तथा अनुबंध की समाप्ति के समय रियायत ग्राही की देयताओं के 80 प्रतिशत को अपनाते हुए एक रियायत अनुबंध किया। हुडा तथा इसकी उत्तराधिकारी एच.एम.आर.टी.सी. रियायत अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप रियायत ग्राही द्वारा ₹ 11.84 करोड़ राशि के अधिक यात्रा किराया के प्रभारण तथा कनैकिटविटी चार्जिंज के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की अवसूली हुई।

हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एम.आर.टी.सी.) राज्य सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व वाली वर्तमान शहरी सामूहिक परिवहन परियोजनाओं के साथ - साथ इन परियोजनाओं से संबंधित संपत्तियों तथा देयताओं तथा उनके परिचालन को अपने हाथ में लेने के उद्देश्य के साथ मार्च 2012 में निगमित की गई थी। तदनुसार फरवरी 2015 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने मैट्रो लिंक्स के विकास के लिए दो सार्वजनिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) परियोजनाएँ²³ एच.एम.आर.टी.सी. को हस्तांतरित की तथा इन परियोजनाओं

²³ मैट्रो लिंक सिकंदरपुर से एन.एच. - 8 गुरुग्राम तक तथा सिकंदरपुर से सैक्टर 56 गुरुग्राम तक।

से संबंधित कार्य तब से कार्पोरेशन द्वारा देखा जा रहा है। दो परियोजनाओं में से एक गुरुग्राम में सिकंदरपुर स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.- 8) तक का मैट्रो लिंक पूरा किया गया था तथा नवंबर 2013 में परिचालित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पूरी की गई परियोजना से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की (मई तथा जून 2016) तथा लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

रियायत अनुबंध करना

एक प्राइवेट कंपनी²⁴ ने सिकंदरपुर तथा एन.एच.- 8 गुरुग्राम के मध्य मैट्रो लिंक का विकास करने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव दिया (सितंबर 2007) जो इसके द्वारा विकसित गुरुग्राम के क्षेत्रों में ट्रैफिक के बढ़ने के कारण होने वाली भीड़-भाड़ तथा प्रदूषण को कम करेगा। दिसंबर 2007 में कंपनी ने एक व्यवहारिक अध्ययन प्रस्तुत किया जो इसने राइट्स लिमिटेड द्वारा करवाया था। व्यवहारिक अध्ययन में ₹ 403 करोड़ की पूँजीगत लागत पर 3.2 कि.मी. लंबाई के मैट्रो लिंक पर विचार किया गया था जो इक्विटी पर प्रतिवर्ष 15.1 प्रतिशत के रिटर्न की वित्तीय आंतरिक दर पर 30 वर्षों की समय अवधि के भीतर वित्तीय तौर पर व्यवहार्य बन जाएगा।

यह देखने के लिए कि क्या कोई अन्य पार्टी परियोजना में इच्छुक थी, हुड़ा ने 99 वर्षों के लिए बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर आधार पर मैट्रो रेल लिंक के विकास के लिए दिसंबर 2008 तथा फरवरी 2009 में दो बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ई.ओ.आई.) आमंत्रित किए। ई.ओ.आई. ने प्रावधान किया कि बोलीकर्त्ता या तो व्यावहारिक अध्ययन के अनुसार परियोजना को डिजाइन तथा कार्यान्वित कर सकता है या वैकल्पिक रूट के लिए तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। सारी लागत बोलीकर्त्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा राज्य सरकार/हुड़ा परिचालन तथा रख-रखाव के दौरान इक्विटी या ग्रांट या किसी सबसिडी के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी और ना ही करों या शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान करेगी। ई.ओ.आई. ने परिचालन के 35वें वर्ष तक किस्तों में ₹ 765 करोड़²⁵ के कनैकिटिविटी चार्जिंग तथा हुड़ा की जमीन के प्रयोग के लिए पटटे पर किराए की वसूली का प्रावधान भी किया। कार्य को प्रदान करने का आधार बोलीकर्त्ता द्वारा संपत्ति के विकास तथा विज्ञापन से सृजित राजस्व में उच्चतम हिस्सा था।

ई.ओ.आई. की प्रतिक्रिया, केवल कंपनियों के रैपिड मैट्रो रेल गुडगांव लिमिटेड (आर.एम.जी.एल.)²⁶ नामक एक संघ से प्राप्त हुई थी (मार्च 2009) जिसने ₹ 900 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर 5.1 कि.मी. की लंबाई वाले एक वैकल्पिक मैट्रो रूट का प्रस्ताव दिया। बोलीकर्त्ता ने विज्ञापन तथा प्रोपर्टी विकास द्वारा आय का एक प्रतिशत शेयरिंग उद्धृत

²⁴ डी.एल.एफ. कमशियल डेवलपर्ज लिमिटेड जो साइबर सिटी विकसित कर रहा था जिसके बीच से यह मैट्रो लिंक प्रस्तावित किया गया।

²⁵ रियायत अनुबंध के हस्ताक्षर करने पर ₹ 5 करोड़ तथा 17वें वर्ष की शुरुआत से 35वें वर्ष तक यानि 19 वर्ष के लिए ₹ 40 करोड़ प्रतिवर्ष।

²⁶ आईटी.एन.एल. इनसो रेल प्रणाली लिमिटेड, आई.एल. तथा एफ.एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड तथा डी.एल.एफ. मैट्रो लिमिटेड।

किया जो मोलभाव के बाद 5 से 10 प्रतिशत²⁷ तक हुड़ा दिया गया था। रियायत अनुबंध हुड़ा तथा आर.एम.जी.एल. के मध्य 9 दिसंबर 2009 को हस्ताक्षर किया गया था। आर.एम.जी.एल. ने हुड़ा को सूचित किया (जून 2010) कि उन्होंने मैट्रो लिंक के निर्माण के लिए ₹ 761.60 करोड़ के ऋण बैंकों से उठाए थे तथा शेष कंपनियों के समूह पाटनर्स द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित कि हुड़ा ने न तो ई.ओ.आई. में निर्धारित किया था और न ही इसने किसी चरण पर बाद में 5.1 कि.मी. की लंबाई के वैकल्पिक मैट्रो रूट के लिए विस्तृत लागत की जानकारी प्राप्त की थी यद्यपि इसने दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) से परियोजना के तकनीकी पहलू की जांच करवा ली थी। परियोजना को पूरा करने के बाद, रियायत ग्राही ने परियोजना लागत ₹ 1,088 करोड़ बताई। लागत अथवा वित्तीय व्यवहार्यता के किसी पूर्व अनुमानों की अनुपस्थिति में, इस परियोजना लागत का औचित्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि रियायत अनुबंध में एक उपबंध को शामिल किया गया था जिसने निर्धारित किया कि रियायत अनुबंध के अनुसार परियोजना को चलाने के लिए रियायत ग्राही की ओर से चूक के मामले में उसकी देयताओं के 80 प्रतिशत के साथ परियोजना संपत्तियों सहित पूरी प्रणाली को हुड़ा अपने हाथ में ले लेगा। इसने कंपनियों के समूह के उधारदाताओं को यह आश्वासन दिया था कि देयताओं को पूरा करने में आर.एम.जी.एल. की विफलता तथा अनुबंध समाप्त करने की घटना में देयताओं का एक बड़ा भाग हुड़ा/एच.एम.आर.टी.सी. वहन करेगा। यह सूचित किया जाता है आर.एम.जी.एल. लगातार हानियां उठा रहा है जो मार्च 2016 तक ₹ 334.54 करोड़²⁸ तक संचित हो गई थी।

सरकार ने बताया (दिसंबर 2016) कि क्योंकि हुड़ा की कोई ग्रांट/इक्विटी शामिल नहीं थी, हुड़ा द्वारा परिकलित परियोजना लागत प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि रियायत ग्राही की ओर से चूक के मामले में परियोजना चलाने के लिए परिसंपत्तियां तथा देयताएं ग्रहण करने का उपबंध, प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार के मॉडल रियायत अनुबंध (शहरी रेल सिस्टम्ज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अनुसार शामिल किया गया था। तथ्य रहा कि रियायत ग्राही की ओर से चूक के कारण अनुबंध की समाप्ति के मामले में इसकी संभावित देयता के साथ-साथ समग्र लागत के औचित्य का आश्वासन प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना लागत प्राप्त करना तथा इसकी जांच करना हुड़ा के लिए विवेकपूर्ण होता। यह, कनैकिटिविटी प्रभारों की प्रमात्रा तथा वसूली अवधि के साथ-साथ भी रियायत अवधि की लंबाई सुनिश्चित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार भी प्रदान करता।

कनैकिटिविटी प्रभारों के भुगतान में देरी

रियायत अनुबंध ने प्रावधान किया था कि आर.एम.जी.एल. को अनुबंध के हस्ताक्षर करने के 60 दिनों के भीतर यानि 8 फरवरी 2010 तक हुड़ा को ₹ पांच करोड़ के एक कनैकिटिविटी प्रभार का भुगतान करना था। अनुबंध ने निर्धारित किया कि लागू कानूनों के अंतर्गत एक मैट्रो

²⁷ आरंभ से 16वें वर्ष तक-पांच प्रतिशत, 17वें से 21वें साल तक-छः प्रतिशत, 22वें से 26वें साल तक-सात प्रतिशत, 27वें से 31वें वर्ष तक-आठ प्रतिशत, 32वें से 36वें वर्ष तक-नौ प्रतिशत तथा 37वें साल से रियायत अवधि के अंत तक-10 प्रतिशत।

²⁸ 2011-12 तक हानि ₹ 3.60 करोड़, 2012-13 के लिए ₹ 4.03 करोड़, 2013-14 के लिए ₹ 63.67 करोड़, 2014-15 के लिए ₹ 135.33 करोड़ तथा 2015-16 के लिए ₹ 127.91 करोड़।

सिस्टम स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति सहित सभी अनुमोदन, क्लीयरेंस तथा उपयुक्त एजेंसियों की संस्वीकृतियां प्राप्त करना रियायत ग्राही का दायित्व था।

आर.एम.जी.एल. ने कनैकिटविटी प्रभारों को रियायत अनुबंध में निर्धारित शर्त के अनुसार जमा नहीं किया तथा इस दलील पर समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) से आवश्यक अनुमोदन प्रतीक्षित थे। मई 2010 में हुडा ने आर.एम.जी.एल. को 30 दिनों के भीतर एम.ओ.यू.डी. से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने तथा एम.ओ.यू.डी. से अनुमोदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर कनैकिटविटी प्रभार जमा करवाने को कहा। बाद में फरवरी 2011 में हुडा ने आर.एम.जी.एल. को ₹ पांच करोड़ के कनैकिटविटी प्रभार जमा करने को कहा क्योंकि निर्माण कार्य जुलाई 2010 से ही ग्राउंड पर शुरू हो चुका था तथा ₹ 105 करोड़ 31 दिसंबर 2010 तक खर्च किए जा चुके थे। मई, जून तथा अगस्त 2011 में जारी अनुस्मारकों द्वारा इसका अनुसरण भी किया गया था। रियायत ग्राही ने दिसंबर 2011 में एम.ओ.यू.डी. से अनुमोदन प्राप्त किया तथा 19 दिसंबर 2011 को कनैकिटविटी प्रभार जमा किए। हुडा ने 1 जुलाई 2010 से 18 दिसंबर 2011 तक कनैकिटविटी प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर कम्पाउंडिंग ब्याज का भुगतान करने के लिए आर.एम.जी.एल. को कहा (दिसंबर 2011)। इस बात को इस आधार पर आर.एम.जी.एल. द्वारा इनकार दिया गया कि एम.ओ.यू.डी. द्वारा परियोजना की स्वीकृति के सात दिनों के भीतर कनैकिटविटी प्रभारों के भुगतान के लिए हुडा स्वयं सहमत था। अगस्त 2012 में हुडा ने आर.एम.जी.एल. को सूचित किया कि विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज प्रभार्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि रियायत अनुबंध की शर्तों के कार्यान्वयन में हुड़ा के अप्रोच्य में कोई सामंजस्य नहीं था क्योंकि प्रारंभ में यह एम.ओ.यू.डी. के अनुमोदन की प्राप्ति पर कनैकिटविटी प्रभारों को जमा करवाने हेतु सहमत था और इसके बाद प्रभारों को ब्याज सहित तुरंत जमा करने के लिए इसने बार-बार नोटिस जारी किए क्योंकि कार्य ग्राउंड पर वास्तव में शुरू हो चुका था। हुड़ा, तथापि रियायत अनुबंध की शर्तों से विपरित होने की अपनी आरभिक स्वीकृति तथा समय को देखते हुए अपनी मांग को लागू नहीं कर सका तथा एक्सटेंसन करने को बाध्य हुआ। रियायत अनुबंध की शर्तों से विपरिणामस्वरूप कनैकिटविटी प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए 21 महीनों²⁹ के लिए ₹ पांच करोड़ पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की अवसली हई।

सरकार ने बताया (दिसंबर 2016) कि ऐसे अनुमोदन समय लेते हैं तथा रियायत ग्राही के नियंत्रण से बाहर होते हैं। रियायत ग्राही को छः माह की दो क्योर अवधियां अनुमत की गई थी और विलंब अवधि पर ब्याज प्रभारण का कोई प्रश्न नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि रियायत अनुबंध में, अनुबंध के हस्ताक्षर होने के 60 दिनों के अंदर कनैकिटविटी प्रभारों के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया था और यह एम.ओ.यू.डी. से अनुमोदन के साथ लिंक नहीं किया गया था। पुनः ग्राउंड पर कार्य आरंभ किया जा चुका था तथा हुडा ने स्वयं कनैकिटविटी प्रभारों के भगतान की बार-बार मांग की थी।

²⁹ मार्च 2010 से नवंबर 2011 तक।

उच्चतर दर पर किराए का निर्धारण

रियायत अनुबंध ने निर्धारित किया था कि यात्री किराया समरूपी जोन स्लैब के लिए दिल्ली मैट्रो किराए से ज्यादा नहीं होगा तथा जब कभी दिल्ली मैट्रो किराया संशोधित होंगे तो ये संशोधित किए जाएंगे। आगे, दिल्ली मैट्रो रेलवे (संचालन एवं रख-रखाव) अधिनियम के अनुसार, रियायत ग्राही आरंभिक किराया निर्धारित कर सकता था जो तब तक लागू रहेगा जब तक कि अधिनियम के अनुसार बनाई गई एक किराया निर्धारण कमेटी किराए के संशोधन के लिए गठित की जाती है।

आर.एम.जी.एल. ने 14 नवंबर 2013 को यात्री सेवा शुरू की तथा ₹ 12 प्रति ट्रिप आरंभिक किराया निर्धारित किया। इसने 1 अगस्त 2014 से ₹ 20 प्रति ट्रिप किराया संशोधित किया यद्यपि डी.एम.आर.सी. द्वारा कोई किराया नहीं बढ़ाया गया था। अक्तूबर 2014 में, एच.एम.आर.टी.सी. ने आर.एम.जी.एल. को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इसने रियायत अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में किराए में बढ़ोतरी क्यों की थी। आर.एम.जी.एल. ने नोटिस का यह कहते हुए तर्क दिया कि ₹ 12 एक प्रमोशनल किराया था क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से परिचालनात्मक नहीं हुआ था तथा बाद में जब पूरी प्रणाली परिचालनात्मक बना दी गई तो ₹ 20 का पूरा किराया प्रारंभिक किराए के रूप में लागू किया गया। एच.एम.आर.टी.सी. ने राज्य एडवोकेट जनरल से कानूनी राय प्राप्त की जिसने राय दी (अप्रैल 2015) कि आर.एम.जी.एल. द्वारा निर्धारित ₹ 12 का किराया दिल्ली मैट्रो रेलवे (ओ. एंड एम.) की शर्तों में प्रारंभिक ओपनिंग पर निर्धारित किराया था तथा इसे एक प्रोमोशनल किराया नहीं कहा जा सकता।

अक्तूबर 2015 में, हुडा/एच.एम.आर.टी.सी. ने आर.एम.जी.एल. को सूचित किया कि यह दिल्ली मैट्रो किराए से ज्यादा का किराया निर्धारित नहीं कर सकता तथा इसने रियायतग्राही को ₹ 20 से ₹ 12 प्रति ट्रिप किराया स्टिटोर करने के लिए निर्देश दिया। आर.एम.जी.एल. को 1 अगस्त 2014 से आगे इसके द्वारा चार्ज किए गए अधिक किराए की राशि को एच.एम.आर.टी.सी. के पास जमा करवाने का निर्देश भी दिया गया था। तथापि नोटिसों के निर्गम से दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आर.एम.जी.एल. ने न तो अपना किराया कम किया था और न ही एच.एम.आर.टी.सी. के पास इसने अधिक चार्ज किए गए किराए को जमा किया था। कार्पोरेशन ने रियायत अनुबंध की शर्तों को लागू करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी परिणामतः पब्लिक की लागत पर रियायत ग्राही को अनुचित लाभ हुआ। मार्च 2016 तक आर.एम.जी.एल. द्वारा संग्रहित किया गया अधिक किराया ₹ 11.84 करोड़³⁰ परिकलित किया गया।

सरकार ने बताया (दिसंबर 2016) कि किराया निर्धारण कमेटी (एफ.एफ.सी.) बनाने हेतु एम.ओ. यूडी. को अनुरोध किया गया है, जब कभी एफ.एफ.सी. अपना फाईनल निर्णय देगी मामला सुलझा लिया जाएगा।

³⁰

अगस्त 2014 से मार्च 2016 तक 148.06 लाख यात्रियों के लिए ₹ 8 (अर्थात् ₹ 20 घटा ₹ 12) के अंतर किराए पर परिकलित।

निष्कर्ष

इस प्रकार, हुड़ा ने पूर्ण पारदर्शिता तथा प्रत्यक्षता सुनिश्चित नहीं की क्योंकि परियोजना की लागत का देयताओं पर भारी प्रभाव होगा जो रियायत ग्राही की चूक के कारण अनुबंध समाप्त की घटना में एच.एम.आर.टी.सी. के पास आ जाएगा। आगे, हुड़ा/एच.एम.आर.टी.सी. रियायत अनुबंध की नियमों तथा शर्तों को लागू करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप रियायत ग्राही द्वारा ₹ 11.84 करोड़ राशि के अधिक यात्री किराए की वसूली तथा कनैकिटविटी प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा वित्तीय निगम

3.11 वसूली निष्पादन

निगम ने 'वन टाइम सैटलमेंट स्कीम' के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना के कारण 15 लेखाओं में ₹ 10.43 करोड़ की हानि उठाई। निगम, प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा प्रतिभूति के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण ₹ 38.29 करोड़ के लंबित देयों को वसूल नहीं कर सका और इस राशि को बटटे खाते में डालना पड़ा।

3.11.1 प्रस्तावना

हरियाणा वित्तीय निगम, अप्रैल 1967 में राज्य वित्तीय निगम (एस.एफ.सी.जे) अधिनियम, 1951 के अधीन लघु तथा मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके प्रारंभ होने से मई 2010 तक निगम ने 18,531 इकाइयों को ₹ 2,870.40 करोड़ के ऋण संस्थीकृत किए थे और 17,160 इकाइयों को ₹ 1,781.06 करोड़ वितरित किए थे। निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.जे) ने निगम की समापन की स्थिति का संज्ञान लेते हुए समापन का अध्ययन करने के लिए एक समिति³¹ गठित की। समिति ने मार्च 2010 में या तो निगम का पुनरुत्थान/पुनः बहाली करने या निगम के वर्तमान रूप में कार्य करते रहने/समाप्त करने की अनुशंसा की। रिपोर्ट के आधार पर निगम ने अपने अव्यवहार्य कार्यचालन को देखते हुए अपनी वितरण गतिविधि रोक दी (मई 2010) तथा स्वयं को केवल बकाया ऋण खातों की वसूली तक सीमित कर लिया।

वर्तमान लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से मार्च 2016 के दौरान निगम के वसूली निष्पादन को आवृत्त करती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के आरंभ में वसूली के लिए लंबित 524 मामलों में से 283 ऋण मामलों (54 प्रतिशत) की संवीक्षा की, लेखापरीक्षा ने 170 ऋणियों में से 60 को भी आवृत्त किया जिनके खाते वन टाइम सैटलमैट (ओ.टी.एस.) स्कीम के अंतर्गत निपटान किए गए थे जो पहले (मार्च 2008) बटटे खाते में डाल दिए गए थे लेकिन निगम द्वारा भविष्य वसूली के अधिकार रख लिए गए थे।

³¹

प्रबंध निदेशक (एम.डी.) हरियाणा वित्तीय निगम, एम.डी., हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम, महाप्रबंधक, लघु औद्योगिक विकास बैंक आफ इंडिया और निदेशक एच.एफ.सी।

3.11.2 वसूली स्थिति

निगम, खातों की दो प्रतियां रखता है अर्थात् मानक प्रथा के अनुसार ज्ञापन खाते तथा अंतिम खाते। ज्ञापन खातों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार उधार लेने वाले के देयों/वसूलियों को समायोजित किया जाता है। यह उन खातों के संबंध में भी रखे जाते हैं जो पहले वसूली के अधिकार के साथ बटटे खाते में डाले गए थे जबकि अंतिम खातों में, ब्याज को पहचानने तथा संदिग्ध संपत्तियों हेतु प्रावधान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार देयों तथा वसूलियों को दिखाया जाता है तथा निपटाया जाता है।

2012-16 की अवधि के दौरान ज्ञापन खाते तथा अंतिम खातों के अनुसार बकाया ऋण खातों के विवरण नीचे दी गई तालिका 3.3 में प्रकट किए गए हैं:

तालिका: 3.3: 2012-16 के दौरान बकाया ऋण लेखे

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	ज्ञापन खाते के अनुसार	अंतिम खाते के अनुसार	ज्ञापन खाते के अनुसार	अंतिम खाते के अनुसार	ज्ञापन खाते के अनुसार	अंतिम खाते के अनुसार	ज्ञापन खाते के अनुसार	अंतिम खाते के अनुसार
मूल बकाया	140.00	88.27	116.63	68.94	98.55	18.06	80.30	31.94
ब्याज बकाया	3,215.92	0.00	3,527.94	0.00	3,880.97	0.00	4,656.72	0.00
कुल बकाया	3,355.92	88.27	3,644.57	68.94	3,979.52	18.06	4,737.02	31.94

स्रोत: निगम से प्राप्त सूचना।

विज्ञप्ति लेखाओं के अनुसार, बकाया ऋण मार्च 2013 को ₹ 3,355.92 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 को ₹ 4,737.02 करोड़ हो गए जबकि अंतिम लेखाओं के अनुसार, यह 2013-16 के दौरान ₹ 88.27 करोड़ से कम होकर ₹ 31.94 करोड़ रह गए। देय राशि तथा पिछली अंतिम राशि की प्रतिशतता विज्ञप्ति लेखाओं में 2013-16 के दौरान 46.31 से कम होकर 13.37 रह गई, जबकि अंतिम लेखाओं में 2013-15 के दौरान वन टाइन सैटलमेंट स्कीम के माध्यम से बकाया ऋण की वसूली के कारण यह 53.80 से बढ़कर 99.28 हो गई। एक रूप लेखांकन प्रचलन पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, निगम उन अग्रिमों को बटटे खाते में डाल सकता है जिसके विरुद्ध विवेकपूर्ण बटटा खाता हेतु सौ प्रतिशत प्रावधान किया गया है। तदनुसार, निगम ने 246 ऋण लेखाओं को बटटे खाते में डाल दिया (मार्च 2015) जिनके विरुद्ध ₹ 2,027.72 करोड़ (मूल और विविध रखें³² - ₹ 38.29 करोड़ और ब्याज - ₹ 1,989.43 करोड़) वसूलनीय था।

³²

संबंधित ऋणी से देयों की वसूली प्रक्रिया में निगम द्वारा किया गया व्यय।

3.11.2.1 ओटीएस स्कीमों के माध्यम से वसूली

दो बन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस.) स्कीमें 2011 “नान-प्रफोर्मिंग परिसंपत्तियों का समझौता निपटान³³” (एन.पी.एज) और “हानि परिसंपत्तियों का समझौता निपटान³⁴” (हानि) नामक चिरकालिक चूककर्ताओं के ऋणों के निपटान के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन (दिसंबर 2011) से आरंभ की गई थी। ओटीएस.-एन.पी.ए. के अंतर्गत न्यूनतम वसूलनीय राशि, ऋण खाते को इसके सदेहपूर्ण होने की तिथि से नया रूप देकर सुनिश्चित की जानी थी। नया रूप देते समय, परिसंपत्तियों के विक्रय से वसूल की गई राशि विविध रखर्चों, मूल और ब्याज के क्रम में समायोजित की जानी थी। नया रूप देने के बाद कुल निपटान राशि का निर्णय, गिरवी रखी गई संपत्तियों के निवल वसूलनीय मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना था। ओटीएस.-लॉस के अधीन, ऋण खातों को ओटीएस-एन.पी.ए. के मामले जैसा नया रूप दिया जाना था परंतु निपटान राशि नया रूप देने के बाद बकाया मूल जमा विविध व्यय होगी।

नीचे तालिका 3.4 दो ओटीएस. स्कीमों में 31 मार्च 2016 को समाप्त चार वर्षों के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या, उनके विरुद्ध बकाया राशि और निपटान की गई तथा माफ की गई राशि को इंगित करती है।

तालिका संख्या 3.4: निपटान किए गए मामलों, उनके विरुद्ध बकाया राशि और निपटान की गई तथा माफ की गई राशि के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	ओटीएस. के समय बकाया मूल और विविध रखर्चे	ओटीएस. के समय बकाया ब्याज	ओटीएस. के समय कुल बकाया	राशि जिस पर खातों का निपटान किया गया	माफ की गई राशि	कुल बकाया से माफ की गई की प्रतिशतता	नया रूप देने से पहले मूल बकाया में से वसूली की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)=(7)/(5)x 100	(9)=(6)/(3)x 100
2012-13	136	48.50	1,346.97	1,395.47	18.77	1,376.70	98.66	38.70
2013-14	50	16.39	468.87	485.26	7.31	477.95	98.49	44.60
2014-15	34	7.83	340.26	348.09	6.27	341.82	98.20	80.08
2015-16	9	2.92	34.18	37.10	3.76	33.34	89.86	128.77
कुल	229	75.64	2,190.28	2,265.92	36.11	2,229.81	98.41	47.74

स्रोत: निगम से प्राप्त सूचना।

2012-16 के दौरान, निगम ने ₹ 2,229.81 करोड़ की राशि माफ करते हुए 229 मामलों का निपटान किया। कुल बकाया राशि में से माफ की गई राशि की प्रतिशतता कुल बकाया राशि के 89 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। ऋण खातों को नया रूप देने से पहले कंपनी बकाया मूल का केवल 47.74 प्रतिशत वसूल कर सकी।

³³ नॉन-प्रफोर्मिंग परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें मूल या ब्याज तीन मास से अधिक समय से अतिरेक है।

³⁴ हानि परिसंपत्तियां वे ऋणी/ऋण के मामले हैं जिनके खाते एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और कोई प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं हैं।

3.11.2.2 सांविधिक माध्यमों से वसूली

एस.एफ.सीज अधिनियम, 1951 की धारा 29 और 31 निगम को, अधिकार में ली गई परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से और मूल ऋणी और गारंटर से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के माध्यम से अपने देय बकाया वसूल करने का अधिकार देता है। 2012-15 के दौरान धारा-29 और 31 के द्वारा की गई वसूली संबंधी विवरण नीचे तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: धारा 29 और 31 द्वारा की गई वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

2012-15 के दौरान धारा 29 और 31 के अंतर्गत वसूली निष्पादन	2012-13	2013-14	2014-15
धारा 29 के अंतर्गत मामलों में वसूल की गई राशि	3.16	0.31	1.49
धारा 31 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की गई राशि	5.02	6.15	5.02
सभी प्रणालियों द्वारा कुल वसूली	39.36	29.29	13.08
कुल वसूली से धारा 29 के अंतर्गत वसूली की प्रतिशतता	8	1	11
कुल वसूली से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की प्रतिशतता	13	21	38

स्रोत: निगम से प्राप्त सूचना।

2012-15 के दौरान की गई ₹ 81.73 करोड़ की कुल वसूली में से निगम ने मुख्य/समानान्तर प्रतिभूति की बिक्री के द्वारा ₹ 21.16 करोड़ (26 प्रतिशत) वसूल किए। निगम ने 2012-16 के दौरान एस.एफ.सीज अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कोई परिसंपत्ति अधिकार में नहीं ली। मार्च 2016 को ₹ 27.20 करोड़ के निर्धारित मूल्य वाली परिसंपत्तियां मुख्यतः सांविधिक प्रभारों की ओर कोर्ट केसों के अनिर्गम के कारण विक्रय के लिए लंबित थीं।

3.11.3 लेखापरीक्षा परिणाम

3.11.3.1 ओ.टी.एस. स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पी.एस.यू.ज-हरियाणा सरकार के लिए ओ.टी.एस. स्कीमों के कार्यान्वयन को आवृत्त करते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.2 पर चर्चा के दौरान, कोपु को सूचित किया गया (जनवरी 2016) कि निगम ने, किसी मूल राशि को नहीं छोड़ा था और निपटान मूल बकाया या प्रतिभूति का मूल्य जो भी उच्चतर था उस राशि पर किया गया था। ओ.टी.एस. स्कीमज 2011 के मार्गनिर्देशों के अनुसार भी, निगम को निपटान राशि परिकलित करते हुए गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम या तो निपटान राशि को गिरवी रखी प्रतिभूति के मूल्य के साथ जोड़ने में विफल रहा या स्कीम के निर्देशों के अनुरूप लेखा के निपटान में विफल रहा जिससे 15 मामलों में ₹ 10.43 करोड़ की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 7** में संक्षेप में दिया गया है।

3.11.4 वसूली प्रमाणपत्रों को जारी न करना

एस.एफ.सी.जे अधिनियम, 1951 की धारा 32जी निगम को ऋण लेने वाले/गारंटर की संपत्ति की कुर्की करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में देयों की वसूली करने का हक देती है। 2012-15 के दौरान निगम ने जिला प्रशासन के माध्यम से वसूली प्रमाणपत्र जारी करके ₹ 16.19 करोड़ वसूल किए। 2015-16 की समाप्ति पर 1991 से 2004 के दौरान जारी ₹ 32.33 करोड़ की वसूली से आवेष्टि 26 आर.सी.जे क्रियान्वयन के लिए लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 343 मामलों में से 148 मामलों में निगम ने ₹ 1,598.47 करोड़³⁵ माफ कर दिए थे। तथापि, निगम ने 686.99³⁶ करोड़ की राशि वाले 47 मामलों में एस.एफ.सी. अधिनियम की धारा 32-जी का सहारा लेने का विकल्प प्रयोग नहीं किया जिसके कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।

3.11.5 देयों को बद्टे खाते में डालना

2014-15 के दौरान निगम ने 246 मामलों में ₹ 48.81 करोड़ की वितरित राशि के विरुद्ध ₹ 38.29 करोड़ के मूल और विविध खर्चों तथा ₹ 1,989.42 करोड़ के ब्याज को बद्टे खाते में डाल दिया। निगम इन 246 मामलों में राशि बद्टे खाते में डालने की तिथि तक मूल के प्रति केवल ₹ 11.85 करोड़ (24 प्रतिशत) वसूल कर सका।

लेखापरीक्षा ने 246 मामलों में से 148 की नमूना-जांच की जैसा कि नीचे तालिका 3.6 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.6: बद्टे खाते में डाले नमूना-जांच किए 148 मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मामले की प्रकृति	मामलों की संख्या	वितरित राशि	बद्टे खाते में डालने की तिथि तक मूल और विविध खर्चों की वसूली	बद्टे खाते में डाले गए मूल और विविध	बद्टे खाते में डाला गया ब्याज
कोर्ट केसेज	21	7.64	2.17	6.19	423.91
दोषपूर्ण प्रतिभूति	60	11.66	1.58	10.96	391.86
कर्जदार द्वारा धोखे से बेची गई प्रतिभूति	29	2.67	0.47	2.27	167.14
प्रतिभूति की अनुपलब्धता	31	10.69	2.17	8.88	453.19
परिसमापन अधीन	7	2.77	0.88	2.10	131.99
कुल	148	35.43	7.27	30.40	1,568.09

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि देयों की अवसूली के मुख्य कारण दोषपूर्ण स्वामित्व की प्रतिभूति (60 मामले), प्रतिभूति की अनुपलब्धता (31 मामले), कर्जदारों द्वारा धोखे से बेची प्रतिभूति (29 मामले) और अन्य कारण जैसे परिसमापन अधीन इकाई या कोर्ट केसेज

³⁵ मूल और विविध खर्च ₹ 30.40 करोड़ और ब्याज ₹ 1,568.07 करोड़।

³⁶ मूल और विविध खर्च ₹ 10.51 करोड़ और ब्याज ₹ 676.48 करोड़।

(28 मामले) थे। यह स्पष्ट था कि निगम द्वारा ऋण संस्वीकृत करने और प्रतिभूति सुरक्षित करने के लिए किया गया नियंत्रण त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 30.40 करोड़ के मूल की हानि हुई।

निष्कर्ष

वन टाईम सैटलमेंट स्कीमों के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना के कारण निगम ने 15 लेखाओं में ₹ 10.43 करोड़ की हानि उठाई। निगम प्रतिभूति की अनुपलब्धता, प्रतिभूति का दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण ₹ 38.29 करोड़ के बकाया देयों की वसूली नहीं कर सकी और इस राशि को बट्टे खाते में डालना पड़ा।

मामला अप्रैल 2016 में सरकार को भेजा गया था; इनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2016)।

हरियाणा वन विकास निगम लिटिड

3.12 कंपनी का कार्यचालन

कंपनी न तो इसके द्वारा नियत लाभ लक्ष्य प्राप्त कर सकी न ही काटी गई लकड़ी और वन उत्पादन से अपेक्षित लाभ सुनिश्चित कर सकी। गोल लकड़ी की वसूली के लिए नियत न्यूनतम 50 प्रतिशत के मानदंड की तुलना में कम वसूली और अनुपयुक्त भूमि पर पौधारोपण परियोजना के संबंध में दोषपूर्ण योजना के कारण कंपनी ने ₹ 3.27 करोड़ की हानि भी उठाई।

3.12.1 प्रस्तावना

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को कंपनीज अधिनियम, 1956 के अधीन पूर्ण स्वामित्व की सरकारी कंपनी के रूप में खड़े पेड़ों और अन्य वन उत्पाद के लिए किसानों को उचित मूल्य का आश्वासन देने तथा कृषक समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने और वन पर आधारित तथा संबंधित उद्योगों के विकास के मुख्य प्रयोजन से दिसंबर 1989 में निगमित किया गया था।

कंपनी के कार्यचालन की पिछली बार समीक्षा की गई थी तथा 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक), हरियाणा सरकार में प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा की लकड़ी के विक्रय/नीतामी के लिए रिजर्व मूल्य के नियतन और लेखाओं के बकाया के निपटान के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। रिपोर्ट पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई और 9 मार्च 2012 को राज्य विधानसभा को प्रस्तुत 58वीं रिपोर्ट में शामिल अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली संबंधी इसकी सिफारिश की अनुपालना लिंबित थी।

2011-12 से 2015-16 की अवधि को आवृत्त करते हुए जनवरी से मई 2016 के मध्य लेखापरीक्षा में कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा जांच में मुख्य कार्यालय

और रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चयनित चार क्षेत्रीय कार्यालयों³⁷ के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी। इसे अंतिम करते समय प्रबंधन तथा सरकार के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.12.2 वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने वर्ष 2014-15 तक के अपने खाते पूर्ण कर लिए थे। 2011-15 की अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति (*परिशेष्ट 8*) दर्शाती है कि कंपनी का निवल लाभ वन उत्पाद तथा लकड़ी क्रेट्स के टर्नओवर में वृद्धि के कारण 2011-12 में ₹ 4.23 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 6.29 करोड़ हो गया था। फिर भी, यह 2013-14 और 2014-15 में कम होकर क्रमशः ₹ 5.81 करोड़ और ₹ 2.68 करोड़ हो गया। समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान परिचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में कर से पहले लाभ 7.8 प्रतिशत से 12.78 प्रतिशत तक शृंखलित था। कंपनी की परिचालन आय कुल आय की 94 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थी।

इसके परिचालनों को नियमित करने और सभी परिचालन इकाइयों का कुशल कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को वार्षिक कार्यचालन/कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, गतिविधि-वार भौतिक लक्ष्य नियत करने चाहिए और परिचालन, व्यापार और अन्य गतिविधियों के संबंध में शीर्षवार व्यय के लिए बजट तैयार करना चाहिए। निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) ने अनुमोदन के लिए एक वार्षिक परिचालन योजना तैयार करने के निर्देश दिए (मई 2009)। तथापि, कोई ऐसी योजनाएं या लक्ष्य बी.ओ.डी. को उनके विचार या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। कंपनी द्वारा नियत किए गए लक्ष्य और उनके विरुद्ध प्राप्तियां नीचे तालिका 3.7 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 3.7: क्षेत्रीय कार्यालयवार लाभ के लक्ष्य और प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

आर.ओ./वर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
अंबाला	1.25	1.72	2.00	2.54	2.10	1.16	2.50	0.96	2.00	0.74
गुडगांव	1.50	0.61	1.75	2.27	2.00	3.04	3.00	2.89	3.00	1.58
हिसार	1.00	0.09	1.00	1.00	1.00	-0.23	0.75	0.04	0.75	1.01
जींद	0.80	0.03	0.75	-0.05	0.75	0.10	0.75	1.36	1.50	0.24
कुरुक्षेत्र	0.50	2.11	2.00	2.65	2.10	3.86	3.50	0.92	2.00	1.40
रोहतक	1.00	1.43	1.00	1.02	1.25	-0.15	1.25	-0.29	0.75	0.43
कुल	6.05	5.99	8.50	9.43	9.20	7.78	11.75	5.88	10.00	5.40

स्रोत: कंपनी डाटा।

³⁷ अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार तथा गुडगांव।

2011-12 में छ: आर.ओज में से तीन आर.ओज, 2012-13 में एक आर.ओ., 2013-14 में चार आर.ओज और 2014-15 और 2015-16 में पांच आर.ओज उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। 2015-16 में आर.ओ. वर लाभ के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रतिशतता 16 (आर.ओ. जींद) और 135 (आर.ओ. हिसार) के मध्य शृंखलित थी। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण कंपनी द्वारा लाभ के लक्ष्य का इकाई के अनुमानित व्यवसाय के साथ जोड़े बिना तय किया जाना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि कंपनी ने अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य नियत कर दिए हैं और वह इसके बी.ओ.डीज द्वारा अनुमोदित (जून 2016) कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कंपनी ने 2012-15 के दौरान ₹ 48.95 करोड़ (वैट और परिवहन को छोड़कर) मूल्य के फर्नीचर की आपूर्ति के लिए सरकारी विभागों से चार आदेश प्राप्त किए थे जिन पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय था। तथापि, कंपनी ने ₹ 47.60 करोड़ मूल्य के आपूर्ति फर्नीचर की लागत में न तो उत्पाद शुल्क शामिल किया और न ही इसका बिल बनाया और जमा करवाया। उत्पाद शुल्क के कारण देयता ₹ 5.95 करोड़³⁸ परिकलित की गई।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कंपनी ने अब 2015-16 के दौरान प्राप्त आदेशों के लिए उत्पाद शुल्क जमा करवाना शुरू कर दिया है।

3.12.3 वृक्षों की कटाई

कंपनी वन विभाग, हरियाणा द्वारा आबंटित अपने वन क्षेत्रों में मृत, सूखे के साथ-साथ हरे खड़े पेड़ों को गिराने का काम करती है। राज्य सरकार ने वन विभाग की अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार पेड़ गिराने के लिए विशिष्ट वन क्षेत्रों³⁹ को कंपनी के लिए चिन्हित किया है। कंपनी किसानों, पंचायतों, सरकारी विभागों और संस्थाओं से भी स्वयं द्वारा नियत खरीद मूल्य पर पेड़ खरीदती है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(i) 2011-16 के दौरान, गैर-वन क्षेत्र⁴⁰ से पेड़ों को कटाई 5,306 से 11,016 घन मीटर के मध्य रही जबकि वन क्षेत्रों से कटाई 2011-12 में 37,296 से बढ़कर 2015-16 में 61,506 घन मीटर हो गई। तथापि, 2011-12 और 2015-16 में क्रमशः 423 घन मीटर और 50 घन मीटर की खरीद के अलावा पिछले पांच वर्षों के दौरान पंचायतों और किसानों से कोई खरीद नहीं की गई थी। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि किसान अपने खड़े पेड़ों और वन उत्पाद को, यदि उन्हें उच्चतर मूल्य मिलता है तो खुले बाजार में बेच सकते हैं। उत्तर मूल्यों के अवास्तविक निर्धारण का सूचक था जिसके कारण मूल्य किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थे।


³⁸ ₹ 47.60 करोड़ x 12.50 प्रतिशत = ₹ 5.95 करोड़।

³⁹ अंबाला जिला, इंद्री रेंज, रोहतक जिला, झज्जर जिला, हिसार जिला, जींद जिला, गुडगांव जिला, फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, मेवात जिला और रेवाड़ी जिला।

⁴⁰ चिन्हित वनीय क्षेत्र से अन्य क्षेत्र और वन क्षेत्र का अर्थ है, सरकारी अभिलेखों में 'वन' के रूप में रिकार्ड किया गया क्षेत्र।

(ii) पेड़ों की कटाई के बाद, इन पेड़ों से कंपनी बिक्री के लिए गोल लकड़ी तथा ईंधन की लकड़ी प्राप्त करती है। कंपनी ने अनुदेश जारी किए (सितंबर 2008 और नवंबर 2013) कि वन क्षेत्रों में गोल लकड़ी की प्राप्ति पेड़ों के खड़े घनत्व का 50 से 65 प्रतिशत होना चाहिए। वनीय क्षेत्रों के संबंध में मृत, सूखे और हरे पेड़ों के स्टैडिंग वॉल्यूम से गोल लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के प्राप्ति निष्पादन को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

चार्ट 3.3: गोल लकड़ी का संपरिवर्तन



स्रोत: कंपनी डाटा।

क्षेत्रीय इकाइयों में, गोल लकड़ी और सूखे/मृत पेड़ों की प्राप्ति में काफी भिन्नता थी। 2011-12 में गुडगांव में सूखे/मृत पेड़ के संबंध में प्राप्ति प्रतिशतता 37 प्रतिशत था जबकि रोहतक में यह 77 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, हरे पेड़ों के संबंध में विभिन्न आरओज में प्राप्ति प्रतिशतता 43 (2012-13 में हिसार) और 62 प्रतिशत (2015-16 में जींद) के मध्य श्रृंखलित थी। गोल लकड़ी की कम प्राप्ति का मूल्य ₹ 2.86 करोड़⁴¹ औंका गया था। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि संपरिवर्तन विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है तथा किस्मों के साथ-साथ स्थल स्थितियों में भी भिन्नता होती है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने स्वयं अनुदेश जारी किए थे कि वनीय क्षेत्रों में गोल लकड़ी की प्राप्ति पेड़ के खड़े वॉल्यूम (घनत्व) का 50-65 प्रतिशत होना चाहिए और यह कंपनी पर था कि मानदंड निर्धारित करते समय किस्मों और स्थल परिस्थितियों को ध्यान में रखे। आगे, दी गई व्यापक भिन्नताओं और राजस्व आशयों के साथ, कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वह भिन्नताओं के कारणों की जांच करे और जहां भी आवश्यकता हो अधिक विशिष्ट मानदंड निर्धारित करें।

(iii) कंपनी के लिए चिन्हित वनीय क्षेत्रों में संबंधित वन मंडल, वन क्षेत्र के खड़े वृक्षों को काटने/गिराने के लिए कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ.) को सुपुर्द/आवंटित करता है। 2011-14 के दौरान वन मंडल, हिसार ने आरओ. हिसार को कोई भी मृत/सूखे पेड़ सुपुर्द नहीं किए। आरओ. हिसार ने जुलाई 2013 के दौरान दो वर्ष से अधिक विलंब के बाद मंडल वन अधिकारी के समक्ष वृक्षों के आबंटन का मामला उठाया परंतु फरवरी 2015 के दौरान आवंटित होने तक मामले का अनुसरण नहीं किया। कंपनी ने वृक्षों का आबंटन न होने के कारण

⁴¹ हानि रूपान्तर प्रत्येक मास में गोल लकड़ी के 50 प्रतिशत से कम संपरिवर्तन को औसत मासिक विक्रय दर से गुणा करके संपरिवर्तन आधार पर परिकलित की गई।

2011-15 (2012-13 के अलावा) के दौरान ₹ 97.91 लाख⁴² की हानि उठाई क्योंकि आर.ओ. ने इस अवधि के दौरान नियत लागतें वहन करनी जारी रखी।

(iv) पेड़ों को काटने/गिराने और इसके टिंबर और ईंधन की लकड़ी में रूपान्तरण के बाद इन्हें कंपनी के विक्रय भंडार⁴³ को भेजा जाता है। इन उत्पादों के जोन-वार⁴⁴ रिजर्व मूल्य, किस्मों, लंबाई और श्रेणी⁴⁵ के आधार पर, एक वर्ष (अप्रैल से मार्च) के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने नियत मूल्य से कम मूल्यों पर प्राप्त बोलियों के कोई रिकार्ड नहीं रखे थे और आर.ओज ने मुख्य कार्यालय को केवल तभी सूचित किया जब लकड़ी को नियत मूल्य से कम पर बेचने का प्रस्ताव था। नियत मूल्य से कम प्राप्त बोलियों का कोई रिकार्ड न रखने के कारण, कंपनी मूल्य प्रवृत्ति के साथ-साथ नीलामी प्रक्रिया, जहां लकड़ी नहीं बेची गई थी, में प्रकट मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकी। आगे, इन मामलों में निपटान की प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि कम किए गए रिजर्व मूल्य के साथ पुनर्नीलामी के लिए जाने की बजाय कंपनी ने रिजर्व मूल्य से कम पर ही लकड़ी का निपटान कर दिया। नमूना-जांच किए गए 27 मामलों में, जहां टिंबर रिजर्व मूल्य से कम पर बेची गई थी, यह देखा गया कि विभिन्न आकारों और श्रेणियों के 25,507 घन मीटर सफेदा ₹ 15.94 करोड़ के रिजर्व मूल्य के विरुद्ध ₹ 11.81 करोड़ में बिकी परिणामतः नियत मूल्य की तुलना में ₹ 4.13 करोड़ की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि प्राप्त मूल्य नियत मूल्य से कम होने की दशा में अब बोली फार्मज रखे जा रहे हैं।

3.12.4 वृक्षारोपण परियोजना में दोषपूर्ण योजना

अपनी गतिविधियों के विभिन्नीकरण के लिए, कंपनी ने ₹ 5,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर सफेदा और एलोवेरा के पेड़ लगाने के लिए 11 वर्षों की लीज पर यमुनानगर की एक सहकारी समिति से 63.2 एकड़ की भूमि लेने के लिए जनवरी 2008 से प्रभावी एक अनुबंध किया। सफेदा कलोनज पांच वर्षों बाद और एलोवेरा की फसल एक वर्ष में दो बार काटी जानी थी। कंपनी ने परियोजना पर पांच वर्षों की अवधि के दौरान किए जाने के संभावित ₹ 85.20 लाख के व्यय के विरुद्ध ₹ 1.22 करोड़ की आय का अनुमान लगाया था। 2007-08 से 2015-16 के दौरान कंपनी ने ₹ 88.31 लाख का व्यय करके लगभग 32,600 सफेदा और 88,000 एलोवेरा के पौधे लगाए। तथापि, मार्च 2016 तक अर्जित राजस्व केवल ₹ 5.26 लाख था। इसके अतिरिक्त, केवल 22,227 सफेदा के पौधे (68 प्रतिशत) बचे रह सके। कंपनी ने 11 वर्षों में सफेदा पेड़ों की दो फसलों की कटाई की

⁴² प्रबंधन द्वारा परिकलित।

⁴³ मार्च 2016 को-113 विक्रय डिपो (हिसार-8, कुरुक्षेत्र-9, अंबाला-35, रोहतक-26, जींद-11 तथा गुडगांव-24)।

⁴⁴ जोन-1 तथा जोन-2 में क्रमशः 4 तथा 2 आर.ओज हैं।

⁴⁵ गोल लकड़ी, ईंधन की लकड़ी ग्रेड-I एवं II तथा खोखली एवं खराब।

योजना बनाई थी परंतु आठ वर्षों से अधिक समय के बाद भी, सफेदा की एक भी फसल नहीं कटी जा सकी। कंपनी ने तैयार हुए सफेदा के पौधों के विक्रय से लकड़ी और इंधन लकड़ी के वसूलनीय मूल्य के रूप में ₹ 42.27 लाख का अनुमान लगाया था (फरवरी 2016) तथापि, अभी तक नीलामी नहीं करवाई गई थी (जुलाई 2016)।

लेरवापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने इस परियोजना को लेने से पहले मिट्टी की जांच नहीं करवाई थी। भूमि शिलाखंडों से भरी थी, जिसने प्रारंभिक वर्षों में पेड़ों के विकास को रोक दिया। इस प्रकार, जो मूल्य कंपनी के हाथ में आ गया था उसको ध्यान में रखने के बाद, कंपनी को पहले ही ₹ 40.78 लाख⁴⁶ की न्यूनतम हानि हो चुकी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि इसने जून 2016 में पेड़ों की कटाई और विक्रय की नीलामी के लिए नोटिस जारी किया था परंतु इसे स्थगित कर दिया गया और परियोजना का लाभ/हानि का निर्धारण इस चरण पर नहीं किया जा सकता था। कंपनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसने 11 वर्षों के पट्टा अवधि के दौरान दो फसलों की योजना बनाई थी परंतु आठ वर्षों की समाप्ति के बाद भी (जुलाई 2016) एक भी फसल की कटाई नहीं की गई थी।

3.12.5 विनिर्माण गतिविधियों में माल की अधिक खपत

कंपनी के पास पोलिबैग और काटेदार तार के लिए क्रमशः हिसार और कुरुक्षेत्र में दो विनिर्माण केन्द्र हैं। कंपनी कार्यालय/स्कूल के विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के विनिर्माण में भी लगी हुई है।

कंपनी ने शिक्षा विभाग, हरियाणा से एक समान विशिष्टता वाले 52,300 बटरफलाई मेजों और 1,56,900 कुर्सियों का क्रमशः ₹ 3,323 और ₹ 953 प्रति मद की दर पर दो आपूर्ति आदेश प्राप्त किए (जनवरी एवं अक्टूबर 2013)। कंपनी ने 52,046 मेज और 1,56,138 कुर्सियां अपने आरओज द्वारा आपूर्ति की जिसके लिए भुगतान मार्च 2013 से जनवरी 2014 के दौरान प्राप्त किए गए।

लेरवापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दूसरे आदेश में अंबाला और कुरुक्षेत्र क्षेत्रों द्वारा मेजों के विनिर्माण में सामग्री के प्रयोग की तुलना में पहले आपूर्ति आदेश के विरुद्ध मेजों के विनिर्माण में ₹ 22.96 लाख मूल्य की सामग्री की अधिक खपत थी जैसा कि नीचे तालिका 3.8 में दर्शाया गया:

तालिका 3.8: सनमाईका और प्लाईवुड की खपत

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	पहले आदेश में प्रति मेज खपत (प्रति इकाई स्क्वायर फुट में)		दूसरे आदेश में प्रति मेज खपत (प्रति इकाई स्क्वायर फुट में)		पहले आदेश में अधिक उपभोग (प्रति इकाई स्क्वायर फुट में)		कुल धन मूल्य (₹ लाख में)
		प्लाईवुड	सनमाईका	प्लाईवुड	सनमाईका	प्लाईवुड	सनमाईका	
1	अंबाला	11.25	16	10	10.67	1.25	5.33	7.73
2	कुरुक्षेत्र	10.04	16	10	10.67	0.04	5.33	15.23
कुल								22.96

स्रोत: कंपनी डाटा।

⁴⁶ ₹ 88.31 लाख - ₹ 5.26 लाख - ₹ 42.27 लाख (अनुमानित वसूलनीय मूल्य) = ₹ 40.78 लाख।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि दूसरे आदेश के समय, कंपनी ने पहले आपूर्ति आदेश से प्राप्त किए अनुभव के अनुसार कच्चे माल और अन्य मदों की खपत के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आर.ओ. कुरुक्षेत्र पहले ही 2008 से फर्नीचर का विनिर्माण कर रही थी। आगे, सनमाइका और प्लाईवुड के अधिक उपभोग के कारण लागत में वृद्धि हुई और इस प्रकार, कंपनी का लाभ ₹ 22.96 लाख कम हो गया।

3.12.6 ई-निविदा के लिए निर्देशों की अनुपालना न करना

मुख्य कार्यालय ने ₹ एक लाख से अधिक मूल्य के काम ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करने के लिए निविदा/ई-निविदा अपनाने के निर्देश दिए थे (जून 2014)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि क्षेत्रीय कार्यालय इन अनुदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे थे जिसके फलस्वरूप काम सौंपने में पारदर्शिता का अभाव था और अनियमितताओं का जोखिम बढ़ गया था।

(i) कंपनी पेड़ों की कटाई और रूपांतरण, टिंबर और ईधन की लकड़ी को लादने/उतारने, इकट्ठा करने, विक्रय भंडार तक ले जाने/परिवहन, फर्नीचर के विनिर्माण/परिवहन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त करती है। 2011-16 के दौरान, चयनित चार आर.ओज ने छोटे अनुबंधों से भिन्न श्रम और परिवहन के ठेकेदारों को ₹ 71.38 करोड़ का भुगतान किया था। सभी आर.ओज ने खुली टेंडरिंग के बिना पंजीकृत ठेकेदारों से दर-सूचियों के माध्यम से श्रम और परिवहन के ठेकेदार नियुक्त किए थे। आगे, अधिकतर निम्नतम ठेकेदार द्वारा उदधृत दरें बिल्कुल मुख्य कार्यालय द्वारा अनुमोदित दरों/लागत मानदंडों की अनुसूची के समान थी। ज्यादातर मामलों में प्राप्त दर-सूची एक जैसी लिखावट में (गुडगांव में केवल पेड़ की कटाई के परिचालन के लिए) और बिना किसी लेटर हैड/स्टाम्प के थी। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कुछ ठेकेदार जो पेड़ की कटाई का काम कर रहे हैं, अनपढ़ हैं और हो सकता है कि दरें लिखने में कंपनी के स्टाफ की सहायता ली गई हो, परंतु दर-सूची पर हस्ताक्षर स्वयं ठेकेदारों द्वारा किए गए हैं।

(ii) आर.ओ. गुडगांव, मसानी बांध पर पर्यावरण पर्यटन स्थल विकासित करने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी एजेंसियों⁴⁷ के लिए पौधारोपण और भू-निर्माण से संबंधित परियोजनाएं चला रहा था। आर.ओ. गुडगांव को मार्च 2016 तक निविदा पर या नामांकन के आधार पर 61 परियोजनाएं सौंपी गई थी। इनमें से 21 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई। नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में से 16 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई थी तथा पांच परियोजनाएं कार्यान्वयन अधीन थी। यह देखा गया कि निविदा अपनाने के लिए मुख्य कार्यालय के निर्देशों के बावजूद (जून 2014) परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य आर.ओ. द्वारा दर-सूची आधार पर निष्पादित करवाए गए। कंपनी ने बताया (जुलाई 2016) कि निविदा संभव नहीं थी क्योंकि कुछ परियोजनाएं रक्षा क्षेत्रों में निष्पादित किए गए थे जहां सुरक्षा एक मुद्दा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने रक्षा क्षेत्र से भिन्न जैसे भारतीय राष्ट्रीय

⁴⁷

रक्षा मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, आर.आई.टी.ई.एस., वन और वन्य जीवन, नगर निगम गुडगांव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय रेलवे।

राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) और नगर निगम गुडगांव के लिए भी परियोजनाएं निष्पादित की थी और इन स्थानों में भी निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा नहीं की गई थी।

(iii) वन विभाग ने पर्यावरणीय पर्यटन सुविधाओं के परिचालन और रख-रखाव के लिए कंपनी को मसानी बांध रेवाड़ी में स्थित 22.57 एकड़ की भूमि हस्तांतरित (अक्तूबर 2015) की। इसे परिचालन योग्य बनाने के लिए कंपनी ने मार्च 2016 तक ₹ 96.91 लाख खर्च कर दिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ₹ 1 एक लाख से ऊपर कार्य निष्पादित करने के लिए निविदा/ई-निविदा अपनाने हेतु मुख्यालय के अनुदेशों (24 जून 2014) के बावजूद पूरा कार्य दर-सूची (यहां तक कि उन मामलों में भी जहां कार्य की राशि ₹ 1 पांच लाख से अधिक थी) के माध्यम से निष्पादित⁴⁸ किया गया।

निष्कर्ष

इस प्रकार, कंपनी न तो इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकी तथा न ही काटी गई लकड़ी और वन उत्पाद से अनुमानित प्रतिफल सुनिश्चित कर सकी। कंपनी ने गोल लकड़ी की वसूली के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के मानदंडों की तुलना में कम वसूली की और अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण परियोजना के संबंध में दोषपूर्ण योजना के कारण ₹ 3.27 करोड़ की हानि उठाई। अंत में, ई-निविदा अनिवार्य करने वाले मार्गनिर्देशों की अनुपालना न करते हुए ठेकेदारों को कार्य सौंपने की प्रक्रिया से निष्ठा और पारदर्शिता के प्रति कोई आश्वासन प्रदान नहीं हुआ।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

3.13 दुलाई प्रभारों की अस्वीकृति

भारतीय खाद्य निगम को प्रत्यक्ष रूप से गेहूं की आपूर्ति के अनुदेशों की अनुपालना करने की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2.29 करोड़ के दुलाई प्रभार वहन करने पड़े।

कंपनी, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केन्द्रीय पूल के लिए मंडियों से गेहूं प्राप्त करती है। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.), साविधिक प्रभार तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार नियत करती है। इन दरों के आधार पर कंपनी गेहूं की डिलीवरी पर एफ.सी.आई. से अनाज की लागत तथा अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति का दावा करती है।

भारत सरकार ने रबी विपणन मौसम 2013-14 के दौरान खरीदी गई गेहूं की प्रासंगिक अस्थाई दरें सूचित करते समय (8 मई 2013) बताया कि गेहूं की डिलीवरी इसके प्राप्त के तुरंत बाद कर दी जानी चाहिए सिवाए यदि एफ.सी.आई. इसे स्वीकर करने के लिए असमर्थ है। 30 जून 2013 के बाद के दुलाई प्रभार (इसमें कंपनी द्वारा खर्च की गई निधियों पर ब्याज तथा

⁴⁸ चार दीवारी का निर्माण, विद्यमान भवनों में नियत की जाने वाली परिसंपत्तियां, विद्यमान भवन की मरम्मत तथा प्रकृति व्याख्यान केंद्र का सृजन।

भण्डारण प्रभार शामिल हैं) केवल तभी भुगतान योग्य थे यदि एफ.सी.आई. ने गेहूं स्वीकर करने से इनकार किया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2014) कि एफ.सी.आई. ने कंपनी के किसान सेवा केन्द्र⁴⁹ (एफ.एस.सी.) करनाल को उनके गोदामों में 30 जून 2013 तक 33,841 एम.टी. गेहूं सीधे पहुंचाने का निर्देश दिया। कंपनी 15,322.50 एम.टी. की कमी छोड़ते हुए 30 जून 2013 तक केवल 18,518.50 एम.टी. गेहूं पहुंचा सकी जो 28 नवंबर 2013 तथा 17 अक्टूबर 2014 के मध्य पहुंचाया गया था। परिणामतः ₹ 2.41 करोड़⁵⁰ के ढुलाई प्रभार काटे गए थे तथा इन्हें कंपनी को वहन करना पड़ा था।

कंपनी ने बताया (सितंबर 2016) कि गेहूं की शेष प्रमात्रा परिवहन समस्याओं के कारण समय पर पहुंचाई नहीं जा सकी तथा इसे गेहूं पहुंचाने हेतु लगभग 35 - 40 कि.मी. तक अतिरिक्त परिवहन प्रभार वहन करने पड़ते। कंपनी का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यदि कंपनी 'लागत - लाभ' विश्लेषण करती तथा अतिरिक्त 35 - 40 कि.मी. हेतु परिवहन लागत पर ₹ 11.85 लाख⁵¹ का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी आवंटित स्थानों पर गेहूं की शेष प्रमात्रा पहुंचाती तो ढुलाई प्रभार के ₹ 2.29 करोड़ (₹ 2.41 करोड़ - ₹ 0.12 करोड़) के अस्वीकरण से बचा जा सकता था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (मई 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.14 कर्मचारियों के अंशदान का अधिक भुगतान

कंपनियों ने कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के आधिक्य में कर्मचारी भविष्य निधि को अंशदान के कारण ₹ 1.29 करोड़ का अधिक व्यय किया।

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) स्कीम, 1952 में प्रावधान है कि एक नियोक्ता द्वारा देय अंशदान, प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रीटेनिंग अलाउंस का 12 प्रतिशत होगा। स्कीम के पैरा 26 (ए) (2) में प्रावधान है कि जहां कर्मचारी का मासिक वेतन ₹ 6,500⁵² से अधिक हो जाता है तो नियोक्ता द्वारा देय अंशदान ₹ 6,500 के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित कर दिया जाएगा। स्कीम का पैरा 29 (2) आगे प्रावधान करता है कि किसी कर्मचारी के संबंध में, जिस पर स्कीम लागू होती है, उसके द्वारा देय अंशदान, यदि वह ऐसा चाहता है तो, उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ते तथा रीटेनिंग अलाउंस के 12 प्रतिशत से

⁴⁹ कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय।

⁵⁰ यद्यपि गेहूं की कम पहुंच 15,322.50 एम.टी. थी, एफ.सी.आई. ने केवल 15,052 एम.टी. हेतु ₹ 2.41 करोड़ के आगे लाए गए प्रभार की कटौती की।

⁵¹ सभी राज्य खरीद एजेंसियों के लिए अनुमोदित परिवहन दरों पर 15,052 एम.टी. गेहूं की विलंबित प्रमात्रा हेतु अतिरिक्त 35 - 40 कि.मी. के वैकल्पिक मार्ग हेतु परिकलित।

⁵² सितंबर 2014 से ₹ 15,000 तक बढ़ाया गया।

आधिक इस शर्त पर हो सकता है कि नियोक्ता स्कीम के अंतर्गत देय अपने अंशदान से अधिक अंशदान का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

दो कंपनियों⁵³ द्वारा नियोक्ता के अंशदान के अधिक भुगतान का मामला वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में पहले प्रतिवेदित किया गया था जिस पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा दिसंबर 2006 में विचार-विमर्श किया गया था। कोपु ने निर्णय किया कि हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज़िज़, सभी पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइज़िज़ द्वारा अनुसरण की जाने वाली एक समान नीति तैयार करेगा। बाद में, राज्य सरकार ने निर्णय किया (मई 2014) कि जहां ई.पी.एफ. अधिनियम/स्कीम के अंतर्गत आवृत्त कर्मचारियों का वास्तविक मासिक वेतन ₹ 6,500 की निर्धारित सीमा से अधिक है, राज्य सा.क्षेत्र., नियोक्ता के हिस्से के रूप में कर्मचारी द्वारा ई.पी.एफ. को किए गए अंशदान के बराबर राशि का अंशदान करेगा जो कि न्यूनतम ₹ 780 प्रतिमाह (अर्थात् ₹ 6,500 का 12 प्रतिशत) तथा कर्मचारी के वास्तविक मासिक वेतन (मूल वेतन जमा घेड-वेतन जमा महंगाई भत्ता) का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मई 2015, फरवरी, मार्च तथा जून 2016) कि जून 2014 से मार्च 2016 के दौरान वास्तविक मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के अधिकतम अंशदान तक सीमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विशिष्ट अनुदेशों (मई 2014) के बावजूद इन कंपनियों ने 12 प्रतिशत की दर पर अपने हिस्से का अंशदान जारी रखा। कंपनियों ने सरकारी अनुदेशों से विचलन की सूचना अपने निदेशक मंडल को नहीं दी। इस प्रकार, कंपनियों ने नियोक्ता के हिस्से की ओर अधिक अंशदान के कारण ₹ 1.29 करोड़⁵⁴ का अतिरिक्त व्यय किया।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. के संबंध में, सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि यह 19 जनवरी 2004 को आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर पर नियोक्ता के हिस्से का अंशदान कर रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशक मंडल ने उपर्युक्त बैठक में यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया था जब तक स्टेट ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज़िज़/राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता। चूंकि मामले पर मई 2014 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका था, कंपनी को अंशदान की प्रतिशतता परिवर्तित करनी चाहिए थी।

⁵³ हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.)।

⁵⁴ हारट्रोन: ₹ 39.42 लाख, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 15.45 लाख, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड: ₹ 15.31 लाख तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी.: ₹ 58.84 लाख।

हारट्रोन के संबंध में सरकार ने बताया (अगस्त 2016) कि यह एच.एस.आई.आई.डी.सी. से अलग कर दिया गया (1982) था तथा इसने उस समय एच.एस.आई.आई.डी.सी. में विद्यमान नियमों तथा विनियमों को अपना लिया (दिसंबर 1982)। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि इसे मई 2014 में जारी निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लागू थे।

शेष उपक्रमों के संबंध में सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2016)।

महुआ पाल

(महुआ पाल)

चण्डीगढ़

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

दिनांक: 12 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित


शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)


भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 17 जनवरी 2017



परिशिष्ट



परिशिष्ट 1

सा.क्षे.उ., जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.11 में संदर्भित)

(कॉलम 4 एवं 6 से 9 तक आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष, जहाँ तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी	आंतिकरण हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश	इक्विटी	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ								
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	48.11	2012-13	-	-	-	4.35	
				2013-14	-	-	-	6.50	
				2014-15	-	-	-	6.75	
				2015-16	1.00	-	-	6.75	
2	हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2011-12	21.47	2012-13	1.00	-	-	1.25	
				2013-14	1.25	-	-	3.55	
				2014-15	1.25	-	-	3.50	
				2015-16	13.24			3.50	
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2010-11	16.61	2011-12	-	-	-	3.35	
				2012-13	-	-	-	3.91	
				2013-14	-	-	5.00	-	
				2014-15	-	-	-	2.10	
				2015-16				2.10	
4	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014-15	48.84	2015-16	-	-	8.51	-	
5	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	25.00	2014-15	-	-	68.00	-	
				2015-16	-	-	72.46	-	
6	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2012-13	24.66	2013-14	1.00	-	20.29	-	
				2014-15	-	-	21.50	-	
				2015-16	4.81	-	21.05	-	
7	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	1.56	2015-16	-	-	-	11.83	
8	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	5.00	2015-16	-	-	29.85	-	
9	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	4.14	2015-16	-	-	-	5.50	
10	हरियाणा रोडवेज अभियानिकी निगम लिमिटेड	2013-14	6.60	2015-16	0.05	-	-	-	

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष, जहाँ तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी	आंतिकरण हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2014-15	2148.78	2015-16	200.00	97.24	-	-
12	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	2890.24	2015-16	31.57	-	-	-
13	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	1640.28	2015-16	831.82	-	2379.37	
14	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	1449.12	2015-16	556.03	59.59	1513.13	2534.40
15	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014-15	9.89	2015-16	0.01	-	-	-
16	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड			2014-15	5.00	-	-	-
कुल क (कार्यरत सरकारी कम्पनियां)					1648.03	156.83	4139.16	2599.34
ख	कार्यरत सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-
	कुल ख (कार्यरत सांविधिक निगम)		-	-	-	-	-	-
	कुल योग (क + ख)		-	-	1648.03	156.83	4139.16	2599.34

परिशिष्ट 2

अन्ततम अतिमकृत वित्तीय विवरणियों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा साविधिक निगमों की संक्षेपित वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(अनुच्छेद 1.15 में संबंधित)

(कॉलम 5 से 12 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम / क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूँजी [@]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मैनपार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	4.14	13.22	-40.29	2813.55	-45.12	-20.77	-22.93	163.19	-	95
2	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.56	-	6.47	64.81	-0.04	-0.49	8.08	-0.04	-	99
3	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.00	-	9.82	79.92	-1.08	-7.68	25.25	0.84	3.33	222
4	हरियाणा बन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.20	-	45.70	50.69	2.68	-0.17	45.90	2.68	5.84	67
क्षेत्रवार योग				10.90	13.22	21.70	3008.97	-43.56	-29.11	56.30	166.67	296.04	483
वित्त													
5	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	48.11	11.18	2.62	1.30	0.99	-0.66	61.91	1.47	2.37	84
		2011-12	2016-17	48.11	9.52	5.36	7.58	2.74	अन्तिमकरण अधीन	62.99	3.04	4.83	
6	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2011-12	2016-17	21.47	66.59	-10.62	1.25	-1.35	-0.68	88.06	0.18	0.20	26
7	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	16.61	-	0.02	3.89	-0.21	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	17.50	-0.21	-	34
क्षेत्रवार योग				86.19	76.11	-5.24	12.72	1.18	-0.68	168.55	3.01	1.79	144

साक्षेत्र (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर 2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6

क्र. सं.	कम्पनी का नाम/क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मैनपावर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मूलभूत संरचना													
8	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	48.83	1934.01	1119.64	5073.29	748.59	-1.97	3154.78	1046.76	33.18	549
		2014-15	2016-17	48.84	1741.02	1160.22	912.19	143.75	अन्तिमकरण अधीन	3098.04	342.95	11.07	
9	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	25.00	183.85	0.35	45.43	0.08	शून्य टिप्पणी	209.20	21.47	10.26	192
10	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	122.04	0.00	-29.76	157.13	-4.48	-10.79	92.28	134.74	146.01	66
		2014-15	2016-17	122.04	0.00	39.54	141.86	69.30	-10.51	161.58	86.62	53.61	
क्षेत्रवार योग				195.88	1924.87	1200.11	1099.48	213.13	-10.51	3468.82	451.04	13.00	807
विद्युत													
11	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	2890.24	3310.28	-333.68	6377.45	108.21	-106.39	6340.73	758.05	11.96	2920
12	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	2148.78	5818.45	189.26	1377.61	-8.42	1.26	8495.48	468.04	5.51	4061
13	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	1640.28	18140.21	-16309.78	10550.54	-1480.57	-57.97	3966.89	-55.57	-	8764
14	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	1449.12	13370.58	-12719.03	11170.03	-636.16	-89.96	3206.18	314.34	9.80	9682
क्षेत्रवार योग				8128.42	40639.52	-29173.23	29475.63	-2016.94	-253.06	22009.28	1484.86	6.75	25427
सेवाएं													
15	हरियाणा पर्टन निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	24.66	-	25.78	264.92	-6.12	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	52.21	-6.12	-	1406
16	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	6.60	-	16.10	132.24	2.23	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	23.58	4.81	20.40	114
17	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	9.89	-	61.20	25.93	3.51	-3.66	75.97	6.19	8.15	189
18	हारटोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.50	-	3.24	0.61	0.26	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	3.74	0.26	6.95	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम / क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूँजी [@]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मैनपावर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	2011-12	2016-17	14.72	-	13.40	2.22	4.41	0	41.35	4.41	10.67	1	
		2012-13	2016-17	14.72	-	13.56	0.90	0.16	0	41.51	0.16	0.39		
		2013-14	2016-17	14.72	- 14.00	0.67 0.26 0	41.95 0.26 0.62							
22	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.00	-	0.12	-	0.27	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	1.12	0.27	24.11	-	
21	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड*													
क्षेत्रवार योग				57.37	-	120.44	424.37	0.41	-3.66	198.57	5.67	2.86	1710	
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				8478.76	42653.72	-27836.22	34021.17	-1845.78	-297.02	25901.52	2111.25	8.15	28571	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2014-15	2016-17	5.84	30.54	-	95.77	30.83	-3.24	352.60	33.25	9.43	609	
		2015-16	2016-17	5.84	50.21	-	84.22	23.45	अन्तिमकरण अधीन	393.64	26.54	6.74		
क्षेत्रवार योग				5.84	50.21	-	84.22	23.45	-	393.64	26.54	6.74	609	
वित्त														
2	हरियाणा वित्तीय निगम	2014-15	2015-16	207.66	-	-108.77	4.02	51.83	-0.04	224.24	52.13	23.25	66	
क्षेत्रवार योग				207.66	0.00	-108.77	4.02	51.83	-0.04	224.24	52.13	23.25	66	
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				213.50	50.21	-108.77	88.24	75.28	-0.04	617.88	78.67	12.73	675	
कुल योग (क+ख)				8692.26	42703.93	-27944.99	34109.41	-1770.50	-297.06	26519.40	2189.92	8.26	29246	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	10.89	-	-353.23	0.00	-0.34	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	-342.34	-0.34	-	-	
क्षेत्रवार योग				10.89	-	-353.23	0.00	-0.34	0.00	-342.34	-0.34	-	-	

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर 2016 का लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6

क्र. सं	कम्पनी का नाम/क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचयत लाभ (+)/ हानि (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेरवापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	नियोजित पूँजी [@]	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिशतता	मैनपावर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वित्त													
2	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
विद्युत													
3	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.24	-	-0.37	-	-0.32	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	0.87	-0.32	-	-
4	एच.ए.आरयू.पी. कोयला निगम लिमिटेड*			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग			1.24	-	-0.37	-	-0.32	-	0.87	-0.32	-	-
मूलभूत संरचना													
5	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड #	1997-98	1998-99	6.85	3.69	-27.18	-	-7.97	-	9.4	-3.57	-	-
	क्षेत्रवार योग			6.85	3.69	-27.18	-	-7.97	-	9.40	-3.57	0.00	-
विविध													
6	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2013-14	2015-16	0.24	5.03	-12.30	-	-0.05	गैर - समीक्षा प्रमाणपत्र	-4.46	0.05	-	-
		2014-15	2016-17	0.24	5.03	-12.40	-	-0.11	-	-4.57	-0.01	-	-
	क्षेत्रवार योग			0.24	5.03	-12.40	-	-0.11	-	-4.57	-0.01	-	-
	योग ग. (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)			19.22	8.72	-393.18	-	-8.74	-	-336.64	-4.24	-	-
	कुल योग (क+ख+ग)			8711.48	42712.65	-28338.17	34109.41	-1779.24	-297.06	26182.76	2185.68	8.35	29246

@ नियोजित पूँजी, शेयर होल्डर फंड तथा दीर्घविधि उधारों को निरूपित करती है।

समापनाधीन कंपनियां।

* प्रथम लेरवे अभी तक प्रतीक्षित।

परिशिष्ट 3

राज्य सरकार से दावा की गई सबसिडी की प्राप्ति न होने से ब्याज की हानि दर्शाने वाली
विवरणी

(अनुच्छेद 2.6.1.5 ii में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कोमज द्वारा दावा की गई ¹ सबसिडी	डिस्कोमज द्वारा प्राप्त की गई ² सबसिडी	सबसिडी, जो हरियाणा सरकार द्वारा अभी जारी की जानी है	उ.ह.बि.वि.नि.लि. सबसिडी (वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	यू.एच. सबसिडी (कुल सबसिडी के प्रतिशत में)	जारी न की गई ³ सबसिडी में यू.एच. हिस्सा	धारण लागत की ब्याज हानि
2011-12	4,298.96	3,576.58	722.38	1,946.75	54.43	393.19	48.17
2012-13	5,287.65	5,129.13	158.52	3,620.03	70.58	111.88	13.43
2013-14	7,065.93	5,200.00	1,865.93	3,520.48	67.70	1,263.26	151.59
2014-15	7,805.37	5,234.63	2,570.74	3,136.59	59.92	1,540.39	184.86
2015-16	11,193.35	6,323.35	4,870.00	3,794.01	60.00	2,922.00	350.64
कुल						748.69	

परिशिष्ट 4

2011-12 से 2015-16 के दौरान कंपनी की ए.टी. एंड सी. हानियां दर्शने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.7.9 में संदर्भित)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	26.18	27.27	25.48	26.36	27.27
2	बिक्री हेतु प्राप्त यूनिटों की संख्या (एम.यूज में)	16,744.46	17,648.62	17,719.70	19,312.01	19,647.87
3	बेचे गए/बिल बनाए गए यूनिटों की संख्या (एम.यूज में)	13,202.51	12,131.74	11,979.05	13,406.00	13,459.84
4	जारी किए गए यूनिटों की संख्या (एम.यूज में)	12,146.86	11,365.93	11,361.01	12,738.78	12,991.44
5	निर्धारित राजस्व (₹ करोड़ में)	3,902.42	4,908.88	6,158.95	6,924.23	7,872.33
6	राजस्व वसूली (₹ करोड़ में)	3,590.39	4,599.01	5,841.19	6,579.61	7,598.50
7	प्रति यूनिट औसत वसूली दर (₹ में)	3.18	4.35	4.86	4.75	5.52
8	वास्तविक ए.टी. एंड सी. हानियां (एम.यूज में) (2-4)	4,597.60	6,282.69	6,358.69	6,573.23	6,656.43
9	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ए.टी. एंड सी. हानियां (प्रतिशत में)	36.42	34.68	31.53	28.38	25.67
10	वास्तविक ए.टी. एंड सी. हानियां (प्रतिशत में) (8/2*100)	27.46	35.60	34.30	34.04	33.88
11	मानकों से अधिक हानियां (प्रतिशत में) (10-9)	-	0.92	2.77	5.66	8.21
12	मानकों से अधिक हानियां (एम.यूज में) (8*11/10)	-	162.36	513.52	1,092.96	1,613.03
13	अधिक हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) (12*7*0.1)	-	70.63	249.57	519.16	890.39
कुल (₹ करोड़ में)				1,729.75		

परिशिष्ट 5

2015-16 तक पांच वर्षों के दौरान निर्धारित राजस्व, इसके संग्रहण तथा बकाया दर्शने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.8.1 में संदर्भित)

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	2,377.97	2,735.84	3,148.94	2,860.09	3,357.59
2	वर्ष के दौरान निर्धारित /बिल किया गया राजस्व	3,902.42	4,908.88	6,158.95	6,924.23	8,209.19
3	वसूली हेतु देय कुल राशि (1+2)	6,280.39	7,644.72	9,307.89	9,784.32	11,566.78
4	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	3,590.39	4,599.01	5,841.19	6,579.61	7,764.31
5	वर्ष के दौरान बटटे खाते डाली गई राशि	-	-	-	-	-
6.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	2,735.84	3,148.94	2,860.09	3,357.59	3,802.47
7	कुल देयों से वसूली गई राशि की प्रतिशतता (4/3 x 100)	57.17	60.16	62.76	67.25	67.13
8	निर्धारण महीनों की संख्या के संबंध में बकाया [(कॉलम 6/ (कॉलम 2/12)]	8.41	7.70	5.57	5.82	5.56

परिशिष्ट 6

**वर्ष 2011-12 तथा मार्च 2016 को समाप्त अवधि हेतु राजस्व के बकायों की
श्रेणीवार स्थिति (जींद परिमंडल को छोड़कर) दर्शाने वाली विवरणी**

(अनुच्छेद 2.8.3 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

उपभोक्ता की श्रेणी	कनैकिटड उपभोक्ता				डिस्कनैकिटड उपभोक्ता			
	2011-12		मार्च 2016		2011-12		मार्च 2016	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
घरेलू (ग्रामीण)	246760	46044.72	304461	65764.89	200483	38989.63	234374	57126.11
घरेलू (जाहरी)	53943	6360.17	73198	8009.91	64437	5807.69	81344	8552.96
कुल घरेलू	300703	52404.89	377659	73774.80	264920	44797.32	315718	65679.07
गैर - घरेलू	24789	5234.71	50662	8597.21	33877	4105.83	40699	6516.38
कृषि	86560	6904.22	110115	6122.40	8132	1530.74	13331	1617.77
औद्योगिक	2505	6284.59	5719	12455.43	6200	4314.44	6290	4502.95
सरकारी विभाग	5555	7320.09	5938	12798.24	316	226.95	532	490.12
कुल	420112	78148.5	550093	113746.08	313445	54975.28	376570	78806.29

परिशिष्ट 7

उन मामलों को दर्शाने वाली विवरणी जिनमें निगम स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार रेहन प्रतिभूति के मूल्य के साथ निपटान राशि लिंक करने में विफल रहा या खाते का निपटान करने में विफल रहा

(अनुच्छेद 3.11.3.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	मामले के तथ्य	निगम का उत्तर
1	जे.बी. एग्रो, यमुना नगर (3 ऋण खाते)	जनवरी 1995 से दिसंबर 1998 के दौरान ₹ 16.10 लाख की राशि के तीन ऋण संवितरित किए गए थे। यूनिट इसके आरंभ से ही चूक में थी। निगम ने ₹ 1.24 करोड़ के बकाया देयों के विरुद्ध ₹ 0.32 करोड़ पर एक बार निपटान (व्यक्तिगत मामले के रूप में तथा न कि किसी ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत) हेतु उधारकर्ता का मामला अनुसारित किया (मार्च 2010) जिसका भुगतान नहीं किया गया था तथा ओ.टी.एस. निर्णय निरस्त किया गया था (जुलाई 2011)। उधारकर्ता के आग्रह पर (अगस्त 2012) इसका पूर्ववर्ती निपटान निर्णय ₹ 0.38 करोड़ (ओ.टी.एस. राशि ₹ 0.32 करोड़ तथा ब्याज हेतु ₹ 0.06 करोड़) पर फिर लागू किया गया था (दिसंबर 2012)। उधारकर्ता ने जुलाई 2013 में राशि जमा करवाई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उधारकर्ता ने निगम के पास ₹ 0.66 करोड़ मूल्य की भूमि रेहन रखी (दिसंबर 2008)। चूंकि ओ.टी.एस.-एनपी.एस. नीति 2011 भी उन मामलों को आवृत्त करती है जिनमें पूर्ववर्ती ओ.टी.एस. निरस्त किया गया था। इसलिए इस मामले पर विचार किया जाना था तथा ओ.टी.एस. स्कीम 2011 के अंतर्गत निपटान किया जाना था तथा रेहन रखी गई संपत्ति के मूल्य से कम मूल्य पर निपटान नहीं किया जाना चाहिए था। इस निपटान में उधारकर्ता का पक्ष लिया गया परिणामस्वरूप निगम को ₹ 0.28 करोड़ (₹ 0.66 करोड़ - ₹ 0.38 करोड़) की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि संपादित प्रतिभूति बेची नहीं जा सकी क्योंकि वह 20 वर्षों से अधिक समय से अवैध अतिक्रमणाधीन थी तथा इसलिए निपटान राशि प्रतिभूति मूल्य के साथ लिंक नहीं की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि ऋण प्रतिभूति के विरुद्ध 18 वर्ष पहले (1995 से 1998) अनुमत किया गया था तथा ऋण की संस्थीकृति के समय निगम ने राजस्व अभिलेखों से सत्यापन के अतिरिक्त प्रतिभूति का भौतिक सत्यापन किया था जबकि उत्तर के अनुसार भी अतिक्रमणकारियों के नाम दर्ज किए गए थे।
2	ए.डी.एल. इंटरनैशनल (2 ऋण खाते)	निगम ने ₹ 5.07 करोड़ के बकाया देयों के विरुद्ध ₹ 0.61 करोड़ पर ऋण के निपटान हेतु उधारकर्ता के प्रस्ताव (जनवरी 2011) को स्वीकार किया (जनवरी 2012) जबकि निगम के पास रेहन रखी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (फरवरी 2011) ₹ 2.14 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ (₹ 2.14 करोड़ - ₹ 0.61 करोड़) की स्वयं प्रदत्त हानि हुई।	निगम ने बताया कि ऋणी ने ₹ 0.61 करोड़ का प्रस्ताव किया जोकि निगम द्वारा ऋणी के वित्तीय संकट के कारण बताते हुए स्वीकार कर लिया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि निपटान प्रतिभूति मूल्य के साथ निपटान राशि लिंक करते हुए नीति के उल्लंघन में किया गया था।

साक्षेत्र (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर 2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	मामले के तथ्य	निगम का उत्तर
3	गोविंद बिल्डर्ज़, सोनीपत (1 ऋण खाता)	निगम ने ₹ 20.88 करोड़ के बकाया देयों (अप्रैल 2013) के विरुद्ध ₹ 0.43 करोड़ पर उधारकर्ता के ऋण खाते का निपटान किया (जून 2013) तथा रेहन रखी गई संपत्ति का मूल्य (मार्च 2012) ₹ 2.45 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 2.45 करोड़ की संपार्श्विक प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य (मार्च 2012) पर विचार किए बिना ₹ 42.89 लाख पर ऋण का निपटान किया था (जून 2013) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ (₹ 2.45 करोड़ - ₹ 42.89 लाख) की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि मुख्य प्रमोटर पहले ही दिवंगत हो चुका था तथा गारंटर केवल ₹ 42.89 लाख की ओटीएस. राशि का भुगतान करना चाहता था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य ₹ 2.45 करोड़ था तथा ओटीएस. राशि को परिकलित करने के लिए लिंक किया जाना चाहिए।
4	नैशनल स्टील ट्यूब, भिवानी (1 ऋण खाता)	उधारकर्ता के ₹ 92.53 लाख के बकाया देयों के विरुद्ध निगम के पास रेहन रखी गई संपत्ति का मूल्य (मई 2012) ₹ 44.42 लाख था। तथापि, निगम ने केवल ₹ 0.32 लाख पर निपटान किया (दिसंबर 2012)। इस प्रकार, रेहन रखी गई संपत्ति के मूल्य से कम पर ऋणों के निपटान के परिणामस्वरूप ₹ 44.10 लाख (₹ 44.42 लाख - ₹ 0.32 लाख) की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि एक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल दस्तावेज खो गए थे तथा शेष दो संपार्श्विक प्रतिभूतियां बेची नहीं जा सकी। फिर भी, निपटान प्रतिभूति के मूल्य के साथ लिंक किए बिना किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिभूति के दस्तावेज निगम द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने चाहिए थे।
5	पारसले फूड्स लिमिटेड, हिंसर (2 ऋण खाते)	उधारकर्ता के मामले में ₹ 8.06 करोड़ के बकाया देयों (नवंबर 2012) के विरुद्ध प्रतिभूति का निर्धारित मूल्य ₹ 56.23 लाख था। निगम ने ₹ 88.12 लाख पर निपटान राशि परिकलित की। उप-समिति के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा ₹ 70 लाख पर खाते का निपटान किया गया था जोकि नीति के उल्लंघन में था तथा परिणामस्वरूप ₹ 18.12 लाख की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि उपलब्ध प्रतिभूति विवादास्पद थी तथा एस.एफ.सी. अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अंतर्गत प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली होगी। फिर भी, उधारकर्ता द्वारा बताई गई राशि पर निपटान किया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अधिनियम में उपलब्ध विकल्प का सहारा लेना चाहिए तथा नीति के अनुसार निपटान किया जाना चाहिए।
6	मुकुंद पाईप, सिरसा (2 ऋण खाते)	दो निपटान स्कीमों में से ओटी.एस.-एन.पी.ए. को मामले में न्यूनतम निपटान राशि ओटी.एस. - हानि स्कीम से अधिक थी जैसा कि बाद के मामले में केवल रीकास्ट लेखाओं की केवल मूलधन राशि वसूल की गई है जबकि पहले मामले में रीकास्ट खाते के मूलधन के साथ व्याज वसूल किया गया है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एक यूनिट को संवीकृत किए गए चार ऋणों के विरुद्ध कुल बकाया राशि (दिसंबर 2012) ₹ 22.17 करोड़ थी। निगम ने ₹ 52 लाख पर संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार की (मार्च 1996) किंतु उसका पुनर्निर्धारण नहीं किया। उधारकर्ता ने ओटी.एस.-हानि स्कीम के अंतर्गत ऋण के निपटान हेतु आवेदन दिया (जुलाई 2012)। चूंकि, निगम के पास संपार्श्विक प्रतिभूति थी इसलिए मामला ओटी.एस.-एन.पी.एस. स्कीम के अंतर्गत आवृत्त किया जाना था तथा इसके अंतर्गत न्यूनतम निपटान राशि ₹ 1.07 करोड़ परिकलित की गई। तथापि, निगम ओटी.एस.-हानि स्कीम के अंतर्गत ₹ 72.32 लाख के लिए खाते का निपटान करने पर सहमत हुआ (जुलाई 2012)। इसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 34.30 लाख (₹ 106.62 लाख - ₹ 72.32 लाख) की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि उधारकर्ता ने निगम को अपनी खराब वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित किया तथा एन.पी.ए. नीति की बजाए हानि नीति के अनुसार ओटी.एस. राशि का भुगतान करने के लिए सक्षम था। इस प्रकार ऋण का निपटान हानि नीति के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उधारकर्ता की प्रतिभूति उपलब्ध थी तथा एन.पी.ए. नीति के अंतर्गत आवृत थी जानी चाहिए थी।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	मामले के तथ्य	निगम का उत्तर
7	भिवानी फाइबर्स, भिवानी (3 ऋण खाते)	तीन लेखाओं में ₹ 39.30 करोड़ के बकाया शेषों (मई 2013) वाली यूनिट ने ओटी.एस. - एन.पी.ए. स्कीम के अंतर्गत ऋण के निपटान हेतु आवेदन दिया (जून 2013) तथा निगम ने ₹ 2.34 करोड़ पर निपटान राशि परिकलित की (जनवरी 2014)। उधारकर्ता ने एक खाते की तारीख को सदेहपूर्ण होने के कारण विवाद किया तथा ₹ 1.55 करोड़ के रूप में निपटान राशि परिकलित की (जनवरी 2014)। निपटान राशि का निर्णय करते समय (सितंबर 2014) निदेशक मंडल ने अवलोकित किया कि खाते की तारीख सदेहास्पद होने का ध्यान किए बिना न्यूनतम वसूलनीय राशि ₹ 2.34 करोड़ ही होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने उधारकर्ता द्वारा प्रस्तावित (मई 2014) के रूप में ₹ 1.86 करोड़ पर खाते का निपटान यह कारण बताते हुए किया (दिसंबर 2014) कि उपलब्ध रेहन प्रतिभूति बेची नहीं जा सकी क्योंकि उधारकर्ता समाप्त हेतु औद्योगिक वित्तपोषण एवं पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास गया (2003)। चूंकि निपटान राशि ₹ 2.34 करोड़ के रूप में ही परिकलित की गई, ₹ 1.86 करोड़ पर खाते का निपटान करने के निर्णय के परिणामस्वरूप निगम को ₹ 0.47 करोड़ की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य ₹ 1.34 करोड़ था तथा बी.आई.एफ.आर. ने उधारकर्ता कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। फिर भी, ₹ 1.86 करोड़ पर निपटान हेतु उधारकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि नीति के संबंध में ओटी.एस. राशि ₹ 2.34 करोड़ की मूलधन राशि से कम नहीं हो सकती। पुनः, हालांकि बंद करने हेतु बी.आई.एफ.आर. आदेश परित किए गए हैं। निगम का दावा शेष रहेगा तथा वसूली मध्यस्थ के माध्यम से प्रभावित की जा सकती है। तथापि, कम राशि पर निपटान करने के पश्चात् निगम का दावा पहले निपटान किए गए के रूप में माना गया है।
8.	एयर इम्पैक्ट, बहादुरगढ़ (1 ऋण खाता)	एक यूनिट के ₹ 25.41 करोड़ (मूलधन एवं विविध व्यय ₹ 0.87 करोड़ तथा ब्याज ₹ 24.54 करोड़) के बकाया देयों (जनवरी 2012) के विरुद्ध रेहन संपत्ति का निर्धारित मूल्य (फरवरी 2012) ₹ 6.15 करोड़ था। निगम ने इस तथ्य के कारण ₹ 0.98 करोड़ पर ऋण के निपटान करने का निर्णय लिया कि यह विगत 11 वर्षों से प्राथमिक प्रतिभूति (मूल्य ₹ 0.98 करोड़) के साथ-साथ संपार्शिक प्रतिभूति (मूल्य ₹ 5.18 करोड़) बेचने में सक्षम नहीं था। प्राथमिक प्रतिभूति बेची नहीं जा सकी क्योंकि भूमि का कुछ हिस्सा हुड़ा द्वारा अधिगृहीत किया गया था तथा शेष भूमि का चिह्नीकरण नहीं किया गया था। निगम ने स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल तथा संपार्शिक प्रतिभूति के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया तथा ऋण का निपटान ₹ 6.15 करोड़ की बजाय ₹ 0.98 करोड़ पर किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.17 करोड़ (₹ 6.15 करोड़ - ₹ 0.98 करोड़) की हानि हुई।	निगम ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रतिभूति 11 वर्षों की समाप्ति के बावजूद बेची नहीं जा सकी तथा यदि निगम संपार्शिक प्रतिभूति का निपटान करके देयों की वसूली हेतु एस.एफ.सी. अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अंतर्गत मामला दर्ज करेगा तो यह लंबी प्रक्रिया होगी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि एस.एफ.सी. अधिनियम में उपलब्ध आश्रयों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा निपटान नीति के अनुसार किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 8

मार्च 2015 को समाप्त गत चार वर्षों के लिए हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति तथा कार्यरत परिणाम दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 3.12.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
देयताएं				
प्रदत्त पूँजी	0.20	0.20	0.20	0.20
रिजर्व एंड सरप्लस	31.93	38.1	43.23	45.70
उधार	0	0	0	0
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	0.79	0.51	0.71	0.74
चालू देयताएं एवं प्रावधान	8.89	27.86	29.18	28.49
आस्थगित कर देयताएं	0	0.03	0.06	0.01
कुल	41.81	66.70	73.38	75.14
परिसंपत्तियां				
निवल अचल परिसंपत्तियां	3.24	3.17	3.37	5.43
दीर्घ अवधि ऋण / अग्रिम	0.57	0.51	0.34	0.45
अन्य गैर - चूल परिसंपत्तियां	3.43	2.95	2.54	2.83
चूल परिसंपत्तियां / अग्रिम	34.56	60.07	67.13	66.43
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	0.01	-	-	-
कुल	41.81	66.70	73.38	75.14
नियोजित पूँजी ¹	32.92	38.81	44.14	46.64
निवल मूल्य ²	32.13	38.30	43.43	45.90
आय	48.41	87.60	76.12	53.91
व्यय	42.45	78.22	67.50	49.93
वर्ष का लाभ (+) या हानि (-)	5.97	9.38	8.62	3.97
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-
कर हेतु कम प्रावधान	1.74	3.09	2.81	1.29
निवल लाभ (+)/हानि (-)	4.23	6.29	5.81	2.68
राज्य सरकार को प्रदत्त लाभांश	0.06	0.06	0.06	उपलब्ध नहीं

¹ शेयर धारक निधि जमा दीर्घ अवधि देयताएं।

² कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं।

शब्दावली



संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.सी.डी.	अग्रिम खपत जमा
ए.पी.	कृषि पंपसैट
ए.आर.आर.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
ए.टी. एंड सी.	कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक
बी.ई.आर.	बोली मूल्यांकन रिपोर्ट
बी.जी.	बैंक गारंटी
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
बी.एस.ई.	बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज
सी.ए.पी.ई.एक्स.	पूँजीगत व्यय
सी.सी.बी.	कंज्यूमर केयर बिलिंग
सी.ओ.पी.यू.	लोक उपक्रम समिति (कोपू)
सी.आर.एफ.	आकस्मिक रिजर्व निधि
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आई.एस.सी.ओ.एम.	वितरण कंपनियां (डिस्कोम्ज)
डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मैट्रो रेल निगम
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.एस.	घरेलू आपूर्ति
डी.टी.ज	वितरण ट्रांसफार्मर
ई.डी.	विद्युत शुल्क
ई.ओ.आई.	एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट
ई.पी.एफ.	कर्मचारी भविष्य निधि
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.डी.	वित्त विभाग
एफ.डी.आर.	सावधि जमा रसीद
एफ.एफ.सी.	किराया निर्धारण समिति
एफ.एस.ए.	ईंधन सरचार्ज समायोजन
एफ.एस.सी.	किसान सेवा केन्द्र
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्त निगम
एच.एल.आर.डी.सी.	हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम
एच.एम.आर.टी.सी.	हरियाणा सामूहिक रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम
एच.टी.	हाई - टेंसन
एच.यू.डी.ए.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)
आई.डी.ई.ए.	इंटर एक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन और विश्लेषण
आई.टी.आई.ए	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी
जे.वी.	संयुक्त उद्यम
जे.वी.आर.	संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट
के.वी.	किलो वोल्ट
के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पियर
के.डब्ल्यू.	किलो वाट
के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट आवर
एल.डी.	निर्धारित क्षतियां
एल.डी.एच.एफ.	एल. - लोड, डी. - दिन, एच. - घंटा, एफ. - घटक
एल.ओ.ए.	स्वीकृति - पत्र
एल.एस.	बृहद आपूर्ति
एल.टी.	लो - टेंसन
एम.डी.	प्रबंध निदेशक
एम.डी.ए.एस.	मीटर डाटा प्राप्ति प्रणाली
एम.ओ.पी.	विद्युत मंत्रालय
एम.ओ.यू.डी.	शहरी विकास मंत्रालय
एम.एस.	मध्यम आपूर्ति
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.यू.	मिलियन यूनिट्स
एम.वाई.टी.	बहुवर्षीय टैरिफ (मल्टी इयर टैरिफ)
एन.डी.एस.	गैर - घरेलू आपूर्ति
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
एन.पी.एज	नॉन प्रफोर्मिंग परिसंपत्तियां
ओ.टी.एस.	पुराने समायोजन
पी.बी.जी.	निष्पादन बैंक गारंटी
पी.एफ.सी.	विद्युत वित्त निगम
पी.जी.	निष्पादन गारंटी
पी.पी.पी.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप

संकेताक्षरों की शब्दावली

पी.आर.एमज	विद्युत विनियामक उपाय
पी.एस.यूज	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पी.टी.एफज	विद्युत ट्रांसफार्मर
पी.वी.सी.	पोली विनियल क्लोरोइड
पी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	लोक जल निर्माण
आर.ए.	विनियामक परिसंपत्तियाँ
आर-ए.पी.डी.आर.पी.	पुनर्गठित - त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आर.सी.	वसूली प्रमाण - पत्र
आर.डी.एस.	ग्रामीण घरेलू आपूर्ति
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम
आर.एम.जी.एल.	रेपिड मैट्रो रेल गुडगांव लिमिटेड
आर.ओ.ज	क्षेत्रीय कार्यालय
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.सी.ए.डी.ए.	सुपरवाइजरी कंट्रोल तथा डाटा प्राप्ति प्रणाली
एस.सी.सी.	सेवा कनैक्शन प्रभार
एस.डी.ओ.	उप - मंडल अधिकारी
एस.एफ.सी.	राज्य वित्तीय निगम
एस.ओ.पी.	विद्युत की बिक्री
टी.डी.एस.	स्रोत पर कटौती किया गया कर
टी.एच.डब्ल्यू.	ट्रांसफार्मज हैंडलिंग वर्कशॉपस
टी.आर.डब्ल्यू.	ट्रांसफार्मज रिपेयर वर्कशॉपस
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.बी.	विश्व बैंक
डब्ल्यू.टी.डी.	पूर्णकालिक निदेशक

